सत्यमेव जयते

कृषि फसल बीमा योजनाओं की निष्पादन लेखापरीक्षा पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

संघ सरकार (सिविल)

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

2017 की प्रतिवेदन संख्या 7

(निष्पादन लेखापरीक्षा)

कृषि फसल बीमा योजनाओं की

निष्पादन लेखापरीक्षा

पर

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

का प्रतिवेदन

संघ सरकार (सिविल)

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

2017 की प्रतिवेदन संख्या 7

(निष्पादन लेखापरीक्षा)

विषय-सूची

	विषय	पृष्ठ सं.
	प्राक्कथन	v
	कार्यकारी सारांश	vii
अध्याय-1	**प्रस्तावना**	
1.1	पृष्ठभूमि	1
1.2	विभिन्न अस्तित्वों की भूमिका	5
1.2.1	भारत सरकार	5
1.2.2	कार्यान्वयन अभिकरण	5
1.2.3	राज्य सरकारें	6
1.2.4	बैंक/वित्तीय संस्थान (एफआई)	6
1.3	लेखापरीक्षा उद्देश्य	8
1.4	लेखापरीक्षा क्षेत्र तथा नमूना	8
1.5	लेखापरीक्षा पद्धति	9
1.6	लेखापरीक्षा मापदण्ड	10
1.7	आभार	10
अध्याय-2	**वित्तीय प्रबंधन**	
2.1	प्रस्तावना	11
2.2	बजट आबंटन तथा व्यय	11
2.3	भारतीय कृषि बीमा कम्पनी लिमिटेड (एआईसी) के पास एनआईएस के अंतर्गत बचतें	13
2.4	जांच के बिना निजी बीमा कम्पनियों को निधियों का निर्गम	15
2.5	सरकारो के दावा अंशो हेतु पुन: बीमा कवर का लाभ न उठाना	16
2.6	उपयोग प्रमाणपत्र (यूसी)	17
2.6.1	आईए द्वारा राज्यों को यूसी का प्रस्तुतीकरण न किया जाना	17

2.6.2	बैंक/एफआई द्वारा एआईसी को यूसी का प्रस्तुतीकरण न किया जाना	17
	निष्कर्ष	19
	अनुशंसाएं	20
अध्याय-3	**योजनाओं का कार्यान्वयन**	
3.1	प्रस्तावना	21
3.2	किसानों के डाटाबेस का अनुरक्षण नहीं होना	21
3.3	किसानों का कवरेज	22
3.4	बीमा के निर्धारित क्षेत्र/इकाई क्षेत्र को अपनाना	31
3.5	राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचनाएं जारी करने में विलंब	31
3.6	किसानों को बैंक/एफआई द्वारा घोषणाओं की विलंबित प्रस्तुति के कारण लाभ से वंचित रखना	32
3.7	फसल कटाई परीक्षण	33
3.8	स्वचालित मौसम स्टेशनों की कार्यप्रणाली	35
3.9	कृषि विभाग को मौसम डाटा प्रदान करने में विलम्ब	38
3.10	बुवाई क्षेत्र के आधिक्य में बीमाकृत क्षेत्र	38
3.11	दावों की स्थिति	42
3.12	बैंक/एफआई के निष्पादन में कमियां	44
3.13	बीमा कम्पनियों के निष्पादन में कमियां	46
3.14	बीमा कम्पनियों का गलत चयन	48
	निष्कर्ष	49
	अनुशंसाएं	50
अध्याय-4	**योजना की मॉनिटरिंग तथा जागरूकता**	
4.1	प्रस्तावना	51
4.2	जीओआई तथा राज्य सरकारों द्वारा खराब मॉनिटरिंग	51
4.3	कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा खराब मॉनिटरिंग	53
4.4	निजी बीमा कम्पनियों को जारी निधियों की सरकारी लेखापरीक्षा का गैर-प्रावधान	53

4.5	एमएनएआईएस तथा डब्ल्यूबीसीआईएस में प्रीमियम के कैपिंग का प्रभाव	54
4.6	किसानों में फसल बीमा योजनाओं की जागरूकता की कमी	55
4.7	शिकायत निवारण प्रणाली का अभाव	56
	निष्कर्ष	56
	अनुशंसाएं	57
	परिशिष्ट	59-65
	अनुबंध	67-91
	पारिभाषिक शब्द और संक्षिप्तीकरणों की शब्दावली	93-95

प्राक्कथन

भारत सरकार (जीओआई) ने प्राकृतिक आपदा, कीड़ों तथा रोगों जैसे विभिन्न जौखिमों, जो फसल की आंशिक तथा पूर्ण विफलता का कारण बनते है, के प्रति कृषि समुदाय का बीमा करने के लिए पिछले तीन दशकों से कुछ फसल बीमा योजनाएं प्रारम्भ की है। व्यापक फसल बीमा योजना (सीसीआईएस), 1985 में प्रारम्भ, प्रथम देशव्यापी योजना थी। सीसीआईएस को 1999 में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस) द्वारा परिवर्तित कर दिया गया था तथा भारतीय कृषि बीमा कम्पनी लि. (एआईसी) को 1 अप्रैल 2003 से कार्यान्वयन अभिकरण (आईए) के रूप में नामित किया गया था। जीओआई ने उग्र मौसम परिस्थितियों जैसे कि अभाव, अधिक अथवा असामयिक वर्षा, पाला, तापमान में परिवर्तन आदि के प्रति किसानों के जोखिमों को कवर करने के लिए राज्यों में खरीफ मौसम से प्रारम्भिक मौसम आधारित फसल बीमा योजना (डब्ल्यूबीसीआईएस) को भी प्रारम्भ किया था।

जीओआई ने संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एमएनएआईएस) को प्रारंभ किया तथा इसे रबी मौसम 2010-11 से 50 जिलों में प्राम्भिक आधार पर कार्यान्वित किया। रबी मौसम 2013-14 से जीओआई ने एनएआईएस को परिवर्तित करते हुए एमएनएआईएस तथा डब्ल्यूबीसीआईएस को एक नए कार्यक्रम, राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम (एनसीआईपी) में मिला दिया था। तथापि, राज्यों के अनुरोध पर एनएआईएस रबी मौसम 2015-16 तक जारी रही। एआईसी तथा अन्य सूचीबद्ध निजी बीमा कम्पनियों को एनसीआईपी के अतंर्गत कार्यान्वयन अभिकरणों (आईए) के रूप में नामित किया गया था। एनएआईएस, जहां जीओआई तथा राज्य सरकारों ने बीमा प्रीमियम (किसानों के अंश से अधिक) तथा बीमा दावों (एआईसी द्वारा पूरे किए जाने वाली सीमा से अधिक) को आर्थिक सहायता प्रदान की थी, के विपरीत डब्ल्यूबीसीआईएस से सरकारी आर्थिक सहायता को केवल बीमा प्रीमियम तक सीमित कर दिया गया था। खरीफ मौसम 2016 से जीओआई ने एनएआईएस तथा एनसीआईपी को परिवर्तित किया तथा प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) को प्रारम्भ किया तथा डब्ल्यूबीसीआईएस की पुनर्संरचना की।

वर्तमान निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदन 2011-12 से 2015-16 तक की अवधि के दौरान सरकारी निधियों के उपयोग, योजनाओं के कार्यान्वयन तथा मॉनिटरिंग की समीक्षा करता है।

जीओआई के फसल बीमा प्रदान करने के तीन दशकों के लम्बे प्रयास के बावजूद इन योजनाओं के अंतर्गत किसानों का आवृतन निम्न रहना जारी रहा। गैर-ऋणी किसानों का आवृतन विशेष रूप से निम्न रहा मुख्यतः क्योंकि योजनाएं ऋणी किसानों पर लक्षित रही हैं जिनके लिए योजनाओं में अनिवार्य आवृतन का अनुबंध हैं।

जीओआई तथा राज्य सरकारों ने बीमाकृत किसानों के डाटा बेस का अनुरक्षण नहीं किया था। एआईसी ने भी किसी भी योजना के अंतर्गत समाविष्ट डाटा का अनुरक्षण नहीं किया था। अधिकांश किसानों ने एनएआईएस के अंतर्गत ऋण राशि के बराबर बीमाकृत राशि को अपनाया था जो दर्शाता है कि या तो ऋणी किसानों का केवल ऋण राशि को आवृतन करने का उद्देश्य था (जिस मामले में योजना ने फसल बीमा के रूप में कार्य करने से अधिक ऋण बीमा के रूप मे कार्य किया) या फिर वह अवगत नहीं थे या ऋण संवितरण बैक/एफआई द्वारा योजना के पूर्ण प्रावधानों के सबंधं में उन्हे उचित प्रकार से सूचित नहीं किया था। बुआई क्षेत्र एवं बीमाकृत क्षेत्र से संबंधित डाटा में अंतर था। इसके अलावा राज्य सरकारों द्वारा प्रदत्त तथा एआईसी द्वारा उपयोग किए गए डाटा की सम्पूर्णता सुनिश्चित नहीं थी। राज्य सरकारों तथा ऋण/बीमा संवितरण बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों द्वारा विलम्बों तथा चूक, जिसका परिणाम कृषि समुदाय को बीमा आवृतन के इनकार तथा विलम्ब करने में हुआ, पाई गई थीं। योजनाओं को मानीटर करने हेतु कोई प्रभावी क्रियाविधि नहीं थीं।

इस प्रतिवेदन को भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत भारत के राष्ट्रपति को प्रस्तुतीकरण हेतु तैयार किया गया है।

लेखापरीक्षा भारत के नियत्रंक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार की गई है।

कार्यकारी सारांश

पिछले तीन दशको से, भारत सरकार (जीओआई) ने कृषि समुदाय की सहायता करने के लिए आनुक्रामिक कृषि फसल बीमा योजनाओं को प्रारम्भ किया है। इस लक्ष्य के लिए जीओआई ने 1985 में व्यापक फसल बीमा योजना (सीसीआईएस) को प्रारम्भ किया था जिसे रबी मौसम 1999-2000 से राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस) द्वारा परिवर्तित कर दिया गया था। संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एमएनएआईएस) को रबी मौसम 2010-11 से 50 जिलों में प्रारम्भिक आधार पर तथा प्रारम्भिक मौसम आधारित फसल बीमा योजना (डब्ल्यूबीसीआईएस) को खरीफ मौसम 2007 से प्रारम्भ किया गया था। एनएआईएस को परिवर्तित करते हुए रबी मौसम 2013-14 से इन दोनों प्रारम्भिक योजनाओं को एक छत्र राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम (एनसीआईपी) में मिला दिया गया था। तथापि, कुछ राज्यों में एनएआईएस को उनके विकल्प के अनुसार, रबी मौसम 2015-16 तक जारी रखा जाना अनुमत किया गया था। खरीफ मौसम 2016 से जीओआई ने एनएआईएस और एनसीआईपी के स्थान पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) को प्रारम्भ किया तथा डब्ल्यूबीसीआईएस की पुनर्संरचना की थी।

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला कृषि, सहकारिता तथा किसान कल्याण विभाग (डीएसीएण्डएफडब्ल्यू) केन्द्रीय स्तर पर बजटीय नियंत्रण, निधियों के निर्गम तथा योजनाओं के समग्र प्रशासन हेतु उत्तरदायी है। योजनाओं के अंतर्गत निधियां दोनों जीओआई तथा राज्य सरकारों द्वारा भारतीय कृषि बीमा कम्पनी लिमिटेड (एआईसी) को जारी की जाती है। जिसे एनएआईएस के अंतर्गत एकमात्र बीमा कम्पनी (या कार्यान्वयन अभिकरण) के रूप में तथा अन्य योजनाओं के अंतर्गत प्रणालन अभिकरण, जिसके माध्यम से जीओआई तथा संबंधित राज्य सरकार से बीमा कम्पनी (इसके सहित) को बीमा प्रीमियम का प्रेषण किया जाता है, के रूप में नामित किया गया है।

योजनाओं के अंतर्गत किसानों को (किसानों के अंश से अधिक) बीमा प्रीमियम में आर्थिक सहायता प्राप्त है तथा जीओआई तथा राज्य सरकारों द्वारा आर्थिक सहायता के भार को बराबर बांटा जाता है। एनएआईएस के मामले में दावा भुगतानों को जीओआई तथा संबंधित राज्य सरकारों द्वारा बराबर विभाजित किया जाता है (एआईसी द्वारा अदा की जाने वाली सीमा से अधिक)। अन्य सभी योजनाओं में दावा भुगतानों का भार पूर्णतः संबंधित बीमा कम्पनी द्वारा वहन किया जाता है।

इस प्रतिवेदन के उद्देश्य हेतु, लेखापरीक्षा ने डीएसीएण्डएफडब्ल्यू, नौ चयनित राज्य सरकारों, एआईसी तथा निजी बीमा कम्पनियों के अभिलेखों की जांच की थी। प्रतिवेदन में खरीफ मौसम 2011 से रबी मौसम 2015-16 तक की अवधि शामिल है।

इस प्रतिवेदन का अध्याय 1 योजनाओ की पृष्ठभूमि सूचना तथा लेखापरीक्षा दृष्टिकोण प्रदान करता है। अध्याय 2, 3 तथा 4 क्रमशः वित्तीय प्रबंधन, योजनाओं का कार्यान्वयन, मॉनीटरिंग तथा इन योजनाओं की जागरूकता के संबंध में लेखापरीक्षा निष्कर्ष प्रदान करते हैं। महत्वपूर्ण निष्कर्ष नीचे दिए गए हैः

(क) वित्तीय प्रबंधन

(i) यद्यपि डीएसीएण्डएफडब्ल्यू ने निरन्तर अपने अंश को समय पर जारी किया था फिर भी राज्य सरकारों द्वारा विलम्बित निर्गम के अवसर देखे गए थे। ऐसे विलम्बों ने प्रभावित किसानों को बीमा क्षतिपूर्ति के निर्गम को प्रभावित किया जिसने कृषि समुदाय को सामयिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य को विफल किया।

(पैरा सं. 2.2)

(ii) दिशानिर्देश एनएआईएस के अंतर्गत संग्रहित प्रीमियम तथा एआईसी द्वारा अदा किए गए दावों के बीच अंतर के कारण हुई बचतों, यदि कोई हैं, के उपयोग पर मौन थे, अतः बचतें एआईसी के पास रहीं।

(पैरा सं. 2.3)

(iii) एआईसी निजी बीमा कम्पनियो को निधियां जारी करने से पूर्व उनके द्वारा दावों की जांच में उचित सचेतना बरतने में विफल था।

(पैरा सं. 2.4)

(iv) एआईसी, दिशानिर्देशों में आवश्यकता के बावजूद एनएआईएस के अंतर्गत जीओआई तथा राज्य सरकारों की ओर से पुन: बीमा कवर प्राप्त करने में विफल था। उसी समय एआईसी ने दावा देयता के अपने स्वंय के अंश हेतु पुन: बीमा कवर लिया था।

(पैरा सं. 2.5)

(v) एआईसी ने केवल नई निधियों की मांग के समय ही डीएसीएण्डएफडब्ल्यू को उपयोग प्रमाणपत्र (यूसी) प्रस्तुत किए थे न कि निधियों के निर्गम के एक सप्ताह के भीतर जैसा दिशानिर्देशों में अपेक्षित था।

(पैरा सं. 2.6.1)

(vi) चूंकि कार्यान्वयन अभिकरणों ने बैंक/एफआई द्वारा यूसी के प्रस्तुतीकरण को सुनिश्चित नहीं किया था इसलिए न्यूनतम आश्वासन कि दावों को लाभार्थी किसानों को संवितरित किया गया है, की भी कमी है।

(पैरा सं. 2.6.2)

(ख) योजनाओं का कार्यान्वयन

(i) योजना दिशानिर्देशों में जीओआई तथा राज्य सरकारों को प्रीमियम आर्थिक सहायता (₹10,617.41 करोड़) तथा दावा देयता (₹21,989.24 करोड़) के माध्यम से पर्याप्त वित्तीय अंशदान के बावजूद बीमाकृत किसानों का डाटा बेस का अनुरक्षण करना अपेक्षित नहीं था। परिणामस्वरूप, जीओआई तथा राज्य सरकारें बैंक/एफआई तथा आईए (एआईसी तथा निजी बीमा कम्पनियां) की ऋण संवितरण शाखाओं द्वारा प्रस्तुत सूचना पर निर्भर थीं।

(पैरा सं. 3.2)

(ii) योजनाओं के अंतर्गत किसानों का आवृतन जनगणना 2011 के अनुसार किसानों की जनसंख्या की तुलना में काफी कम था। इसके अतिरिक्त, गैर-ऋणी किसानों का आवृतन नगण्य था।

(पैरा सं. 3.3.2 तथा 3.3.4)

(iii) योजनाओं के अंतर्गत छोटे एवं सीमांत किसानों का आवृतन जनगणना 2011 के अनुसार ऐसे किसानों की जनसंख्या की तुलना में काफी कम था।

(पैरा सं. 3.3.6)

(iv) बटाईदारों तथा काश्तकारों का कोई डाटा इस तथ्य के बावजूद कि दिशानिर्देशों में योजनाओं के अंतर्गत इनके आवृतन का प्रावधान है, अनुरक्षित नहीं था।

(पैरा सं. 3.3.8)

(v) यद्यपि वार्षिक बजट आवंटनों में एससी/एसटी वर्ग के आवृतन हेतु विशिष्ट प्रावधान शामिल था, फिर भी ऐसे आवृतन तथा इस वर्ग के लिए निधियों के उपयोग के किसी डाटा का अनुरक्षण नहीं किया गया था।

(पैरा सं. 3.3.9)

(vi) यह पाया गया था कि 97 प्रतिशत किसानों ने एनएआईएस के अंतर्गत ऋण राशि के बराबर बीमाकृत राशि को चुना था जो दर्शाता है कि या तो ऋणी किसानों का उदेश्य केवल ऋण राशि का आवृतन करना था (जिस मामले में योजना ने फसल बीमा के रूप में कार्य करने से अधिक ऋण बीमा के रूप में कार्य किया था) या फिर वो अवगत नहीं थे या ऋण संवितरण बैंक/एफआई द्वारा उन्हे योजना के पूर्ण प्रावधानों से उचित प्रकार से सूचित नहीं किया था।

(पैरा सं. 3.3.10)

(vii) जबकि योजनाओं में परिभाषित क्षेत्र न्यूनतम संभावित इकाई को अधिसूचित करने का प्रावधान था फिर भी केवल **ओडिशा** ने ही धान हेतु इकाई के रूप में ग्राम को परिभाषित करके इसे प्राप्त किया है।

(पैरा. 3.4)

(viii) अधिसूचनाओं को जारी करने में विलंब, बैंक/एफआई द्वारा निर्धारित तिथियों के भीतर घोषणा की प्राप्ति में विलम्ब, राज्य सरकारों से पैदावार डाटा की प्राप्ति में विलम्ब, आईए द्वारा दावो को संसाधित करने में विलम्ब तथा बैंक/एफआई द्वारा किसानों के खातों में दावों के संवितरण में अनियमितताएं थीं।

(पैरा सं. 3.5, 3.6, 3.11.3 तथा 3.12)

(ix) फसल कटाई प्रयोगों (सीसीई) तथा स्वाचालित मौसम स्टेशनों के कार्यों में कमियां पाई गई थीं।

(पैरा सं. 3.7 तथा 3.8)

(x) बुवाई क्षेत्र एवं बीमाकृत क्षेत्र से संबंधित डाटा में अंतर था। इसके अलावा इस संबंध में राज्य सरकारों द्वारा प्रदत्त और एआईसी द्वारा उपयोग किए गए डाटा की सम्पूर्णता सुनिश्चित नहीं थी।

(पैरा सं. 3.10)

(ग) योजनाओं की मॉनीटरिंग तथा जागरूकता

(i) जीओआई, राज्य सरकारों तथा कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा योजनाओं की मॉनीटरिंग काफी खराब थी क्योंकि (i) फसल बीमा योजनाओं के कार्यान्वयन को मानीटर करने हेतु डीएसीएण्डएफडब्ल्यू के निर्देशन के अंतर्गत एक स्वतंत्र अभिकरण तकनीकी सहायता इकाई (टीएसयू) की स्थापना नहीं की गई है, (ii) डीएसीएण्डएफडब्ल्यू द्वारा योजनाओं के प्रचालन के 14 वर्षो के बावजूद भी आवधिक मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार नहीं की गई थी, (iii) फसल बीमा की राज्य स्तरीय समन्वय समिति तथा जिला स्तरीय मॉनिटरिंग समिति ने उनको आबंटित कार्य को प्रभावी रूप से नहीं किया था तथा (iv) कार्यान्वयन अभिकरणों ने भी योजनाओं की मॉनीटरिंग, जो उनको सौंपी गई थी, प्रभावी रूप से नहीं की थी।

(पैरा सं. 4.2 एवं 4.3)

(ii) योजनाओं के अंतर्गत निजी बीमा कम्पनियों को निधियो की बड़ी राशि के प्रावधान के बावजूद भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा का कोई प्रावधान नहीं था (जबकि डब्ल्यूबीसीआईएस में स्वतंत्र सरकारी अभिकरण द्वारा निरीक्षण अभिकरण का प्रावधान था)।

(पैरा सं. 4.4)

(iii) एनआईसीपी के अंतर्गत प्रीमियम के कैपिंग, जिसे योजनाओं के अंतर्गत सरकारों की देयताओं को सीमित करने के लक्ष्य से प्रारम्भ किया गया था, का परिणाम भी ऋणी किसानों को उनकी पूर्ण पात्रता से इन्कार किए जाने में हुआ।

(पैरा सं. 4.5)

(iv) लेखापरीक्षा के दौरान सर्वेक्षण किए गए दो तिहाई किसान योजनाओं से अवगत नहीं थे।

(पैरा सं. 4.6)

(v) जीओआई तथा राज्य सरकार के स्तर पर किसानों की शिकायतों के तीव्र निपटान हेतु शिकायत निवारण प्रणालियां तथा मॉनीटरिंग क्रियाविधियां अपर्याप्त थीं।

(पैरा सं. 4.7)

अनुशंसाएं :

i. डीएसीएण्डएफडब्ल्यू को यह सुनिश्चित करने हेतु कि राज्य सरकारों का अंश समय पर प्राप्त हुआ है, एक क्रियाविधि प्रारम्भ करनी चाहिए।

ii. चूंकि, एनएआईएस को पीएमएफबीवाई से बदल दिया गया है इसलिए एनएआईएस के अंतर्गत बचतों के समायोजन के मामले को डीएसीएण्डएफडब्ल्यू, वित्त मंत्रालय और एआईसी द्वारा तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाना है।

iii. डीएसीएण्डएफडब्ल्यू को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कार्यान्वयन अभिकरणों को भुगतान केवल उचित जांच के पश्चात ही जारी किए गए हैं।

iv. जीओआई तथा राज्य सरकारों को कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा स्वयं को तथा बैंक/एफआई द्वारा कार्यान्वयन अभिकरणो को यूसी के सामयिक प्रस्तुतीकरण को सुनिश्चित करना चाहिए जिससे कि कृषि समुदाय को बीमा लाभों को अच्छी तरह मॉनीटर किया जा सके।

v. यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजनाओं के लाभ उद्दष्टि लाभार्थियों तक पहुंचे, जीओआई और राज्य सरकारों को मॉनीटरिंग के उद्देश्य के लिए लाभार्थी किसानों के विस्तृत डाटाबेसों को अनुरक्षित/पहुंच किया जाना चाहिए और बीमा योजनाओं का अधिक प्रभावी कार्यान्वयन किया जाना चाहिए।

vi. डीएसीएण्डएफडब्ल्यू को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी उपाय करने चाहिए कि किसानों की बड़ी संख्या को येाजनाओं के अंतर्गत लाया जाए और ज्यादा गैर-ऋणी किसानों को योजनाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

vii. राज्य सरकारों को बीमा के लिए परिभाषित क्षेत्र के रूप में गांव को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि योजनाएं कृषि समुदाय के लिए उचित रूप से लक्षित हों।

viii. डीएसीएण्डएफडब्ल्यू को फसल उपज के और सही आकलन के लिए उपाय (जहां संभव हो तकनीक के माध्यम से) करने चाहिए।

ix. डीएसीएण्डएफडब्ल्यू और राज्य सरकारों को विश्वसनीय तंत्र प्रदान करने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वास्तविक बुवाई क्षेत्र के विवरण सही है क्योंकि प्रभावित किसानो को भुगतान योग्य बीमा दावों की राशि इस पर निर्भर है।

x. डीएसीएण्डएफडब्ल्यू को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी उपाय करने चाहिए कि बैंक /एफआई योजना दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट समयसीमाओं का पालन करें।

xi. सरकारों यह सुनिश्चित करने हेतु कि योजनाओं के कार्यान्वयन को सभी स्तरों पर प्रभावी रूप से मॉनीटर किया गया है, कदम उठाने चाहिए।

xii. डीएसीएण्डएफडब्ल्यू को यह सुनिश्चित करने हेतु कि सरकारों द्वारा प्रदत्त निधियों का कार्यान्वयन अभिकरणों (निजी बीमा कम्पनियों सहित) द्वारा दक्षता तथा प्रभावी रूप उपयोग किया गया है, भारत के नियत्रंक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा का प्रावधान अपेक्षित है।

xiii. योजनाओं के अंतर्गत कृषि समुदाय के बीमा आवृतन को कम किए बिना सरकारों की देयताओं को कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए।

xiv. कृषि समुदाय में योजनाओं के आवृतन तथा लाभो पर अच्छी जागरूकता उत्पन्न करने हेतु अधिक सम्मिलित प्रयास किए जाने अपेक्षित हैं।

अध्याय-1: प्रस्तावना

1.1 पृष्ठभूमि

1.1.1 भारतीय कृषक समुदाय को प्राकृतिक आपदा, कृमि एवं रोगों जैसे विभिन्न जोखिमों, जो फसल की आंशिक अथवा पूर्ण विफलता का कारण बनते है, से होने वाले नुकसान की सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु भारत सरकार (जीओआई) ने वित्तीय वर्ष 1985-86 में व्यापक फसल बीमा योजना (सीसीआईएस) प्रारम्भ की थी। सीसीआईएस को रबी[1] मौसम 1999-2000 से राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस) के द्वारा परिवर्तित कर दिया गया था।

1.1.2 एनएआईएस के अंतगर्त कृमि तथा रोगों सहित गैर-निरोध्य प्राकृतिक जोखिम से हो रही फसल हानियों को पूरा करने हेतु व्यापक जोखिम बीमा प्रदान करना था। योजना राज्य सरकारों[2] के लिए वैकल्पिक थी तथा इसमें खाद्य फसलों तेल बीजों, वाणिज्यिक फसलों तथा बागवानी फसलों सहित सभी फसलें शामिल थीं। योजना उन सभी किसनों (बंटाईदारों तथा काशतकार किसानों सहित) हेतु उपलब्ध थी जो अधिसूचित क्षेत्रों[3] में अधिसूचित फसलों की पैदावार कर रहे है। खाद्य तथा तेल बीज की फसलों के मामलें में योजना ने विभिन्न फसलों तथा मौसमों के प्रीमियम की विभिन्न दरों अथवा बीमांकिक प्रीमियम, जो भी कम था, का प्रावधान किया था। वाणिज्यिक तथा बागवानी फसलों के मामले में योजना ने बीमांकिक प्रीमियम का प्रावधान किया था। योजना ऋणी किसानों (अर्थात् जो अधिकृत फसलों तथा क्षेत्रों हेतु अनुसूचित

---

1 'रबी मौसम' फसलें सर्दियों के दौरान उगाई जाती हैं तथा इसमें गेहूँ, जौ, सरसों आदि शामिल है।

2 'राज्यों' में इस पूरे प्रतिवेदन मे संघ शासित क्षेत्र शामिल है।

3 प्रत्येक फसल मौसम के प्रारम्भ में राज्य सरकार को विशिष्ट बीमा योजना हेतु फसलों को अधिसूचित करना तथा क्षेत्रों को परिभाषित करना अपेक्षित है।

वित्तीय संस्थानों से फसल ऋण का लाभ उठा रहे है) के लिए अनिवार्य थी तथा गैर-ऋणी किसानों हेतु स्वैच्छिक थी। भारतीय सामान्य बीमा निगम (जीआईसी) 31 मार्च 2003 तक कार्यान्वयन अभिकरण (आईए) था तथा इसके पश्चात भारतीय कृषि बीमा कम्पनी लिमिटेड (एआईसी) को आईए के रूप में नियुक्त किया गया था। योजना में छोटे तथा सीमांत किसानों[4] को प्रीमियम में आर्थिक सहायता का प्रावधान था जिसे जीओआई तथा राज्य सरकारों के बीच बराबर विभाजित किया जाना था खाद्य फसलों के मामले में 100 प्रतिशत प्रीमियम तथा वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलों में मामले 150 प्रतिशत प्रीमियम तक के दावों को आईए द्वारा पूरा किया जाना था तथा इस सीमा के परे दावों को जीओआई तथा राज्यों द्वारा बराबर विभाजित किया जाना था। तथापि, राज्यों के पास योजना में निर्धारित आर्थिक सहायता से अधिक अतिरिक्त प्रीमियम आर्थिक सहायता प्रदान करने का विकल्प था। एनएआईएस को रबी मौसम 2013-14 से राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम (एनसीआईपी) के अंतर्गत परिवर्तित कर दिया गया था। तथापि, राज्यों के अनुरोध पर एनएआईएस रबी मौसम 2015-16 तक जारी रही। खरीफ[5] मौसम 2011 से रबी मौसम 2015-16 की अवधि के दौरान 9.41 करोड़ किसानों का बीमा किया गया था तथा 2.96 करोड़ किसानों ने दावा लाभ प्राप्त किये थे। जीओआई तथा राज्य सरकारों ने खरीफ 2011 से रबी 2015-16 की अवधि के दौरान छोटे तथा सीमांत किसानों के प्रति ₹1,410.50 करोड़ की प्रीमियम आर्थिक सहायता जारी की।

1.1.3 इसके अतिरिक्त, जीओआई ने खरीफ मौसम 2007 से प्राराम्भिक आधार[6] पर एक मौसम आधारित फसल बीमा योजना (डब्ल्यूबीसीआईएस)

---

[4] एक 'छोटा किसान' 2 हेक्टर (5 एकड़ या कम) की भूमि वाला एक खेतीहर है। एक 'सीमांत किसान' 1 हेक्टर (2.5 एकड़ या कम) की भूमि वाला एक खेतीहार है।

[5] खरीफ मौसम की फसलों को मानसून महीनों के दौरान उगाया जाता है तथा अक्टूबर तथा नवम्बर में कटाई की जाती है और इसमें चावल, मक्का, बजारा, कपास, आदि शामिल है।

[6] 11 राज्यों में कार्यान्वित (महाराष्ट्र एवं राजस्थान सहित जिन्हें इस प्रतिवेदन में विस्तृत संवीक्षा के लिए चयनित किया गया है।

प्रारम्भ की। डब्ल्यूबीसीआईएस के अंतर्गत मुख्य मौसमी संकटों के प्रति किसानों का बीमा किया गया तथा इसे प्रारम्भिक आधार पर चयनित राज्यों में एनएआईएस के साथ कार्यान्वित किया गया था। डब्ल्यूबीसीआईएस सभी किसानों को लागू थी परंतु ऋणी किसानों के लिए अनिवार्य थी तथा जोत क्षेत्र का ध्यान किये बिना सभी किसानों हेतु शून्य से 50 प्रतिशत के बीच प्रीमियम आर्थिक सहायता (प्रीमियम स्लैब दर पर निर्भर), जिसे जीओआई तथा राज्यों के बीच बराबर विभाजित किया जाना था, के साथ बीमांकिक प्रीमियम के भुगतान पर अनिवार्य थी। तथापि, राज्यों के पास योजना में निर्धारित आर्थिक सहायता के अधिक अतिरिक्त प्रीमियम प्रदान करने का विकल्प था। दावों को पूणत: बीमा कम्पनियों द्वारा अदा किया जाना था। एआईसी के अतिरिक्त जीओआई ने आईए के रूप में निजी बीमा कम्पनियों को सूचीबद्ध तथा नियुक्त किया। डब्ल्यूबीसीआईएस रबी मौसम 2013-14 से राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम (एनसीआईपी) का भाग हो गया। खरीफ मौसम 2011 से खरीफ मौसम 2013 तक की अवधि (प्राराम्भिक कार्यान्वयन की अवधि) के दौरान 3.41 करोड़ किसानों का बीमा किया गया था तथा 2.40 करोड़ किसानों ने दावा लाभ प्राप्त किये थे। एनसीआईपी के भाग के रूप में रबी मौसम 2013-14 से रबी मौसम 2015-16 की अवधि के दौरान 2.49 करोड़ किसानों का डब्ल्यूबीसीआईएस के अंतर्गत बीमा किया गया था तथा 2.02 करोड़ किसानों ने दावा लाभ प्राप्त किये थे।

1.1.4 जीओआई ने रबी मौसम 2010-11 से पूरे देश में 50 जिलों में प्रारम्भिक आधार पर संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एमएनएआईएस) कार्यान्वित की। खरीफ मौसम 2011 से खरीफ मौसम 2013 के बीच एमएनआईएस ने 0.66 करोड़ किसानों का बीमा किया जिनमें से 0.19 करोड़ किसानों ने दावा प्राप्त किए।

1.1.5 जीओआई ने पूरे देश में एमएनआईएस तथा डब्ल्यूबीसीआईएस को शामिल करके एक छत्र योजना के रूप में रबी मौसम 2013-14 से

एनसीआईपी को प्रारम्भ किया जहां सभी किसानों को उनके जोत क्षेत्र का ध्यान किए बिना शून्य से 75 प्रतिशत (प्रीमियम स्लैब पर निर्भर) के बीच आर्थिक सहायता, जिसे जीओआई तथा राज्यों द्वारा बराबर विभाजित किया जाना था, के साथ प्रीमियम को बीमांकिक आधार पर प्रभारित किया जाना था। तथापि, राज्यों के पास योजना में निर्धारित आर्थिक सहायता से अधिक अपेक्षित प्रीमियम आर्थिक सहायता प्रदान करने का विकल्प था। सभी दावा देयताओं को आईए द्वारा पूरा किया जाना था। कुछ राज्य सरकारों के अनुरोध पर एनएआईएस भी एनसीआईपी के डब्ल्यूबीसीआईएस घटक के साथ रबी मौसम 2015-16 तक जारी रही। रबी मौसम 2013-14 से रबी मौसम 2015-16 के बीच एमएनएआईएस के अंतर्गत 2.06 करोड़ किसानों का बीमा किया गया था तथा 0.64 करोड़ किसानों ने दावा लाभ प्राप्त किए थे।

1.1.6 जीओआई ने एनएआईएस तथा एनसीआईपी को परिवर्तित करके खरीफ मौसम 2016 से प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) को प्रारम्भ किया तथा मौसम आधारित फसल बीमा योजना (डब्ल्यूबीसीआईएस) की पुन: संरचना करके पुर्नगठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (पुर्नगठित डब्ल्यूबीसीआईएस) को प्रारंभ किया। पीएमएफबीवाई योजना प्राथमिक रूप से एनएआईएस तथा एमएनएआईएस का एक सम्मिश्रण है तथा पुर्नगठित डब्ल्यूबीसीआईएस, डब्ल्यूबीसीआईएस का ही परिवर्तित रूप है। योजनाओं में दोनों निरोधी बुआई/वृक्षारोपण जोखिम तथा कटाई पश्चात हानियां शामिल हैं। आईए (एआईसी तथा अन्य सूचीबद्ध नीति बीमा कम्पनियां) को राज्य सरकारों द्वारा बोलियों के माध्यम से चुना गया है।

इन सभी योजनाओं की विशेषताओं की विस्तृत तुलना **परिशिष्ट क** तथा **ख** में है।

1.2 विभिन्न अस्तित्वों की भूमिका

1.2.1 भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय में कृषि,सहकारिता तथा किसान कल्याण विभाग (डीएसीएण्डएफडब्ल्यू) शीर्ष प्राधिकरण है जो योजनाओं के समग्र कार्यान्वयन, प्रीमियम आर्थिक सहायता (सभी योजनाओं में) के जीओआई के भाग के निर्गम तथा एआईसी (एनएआईएस के संबंध में) द्वारा संग्रहित 100 प्रतिशत प्रीमियम से अधिक बीमा दावों के प्रति वित्तीय देयता हेतु उत्तरदायी है।

1.2.2 कार्यान्वयन अभिकरण

योजनाओं के प्रचालन दिशानिर्देशों के अनुसार, आईए अर्थात् एआईसी के साथ-साथ अन्य सूचीबद्ध निजी बीमा कम्पनियां कृषि फसल योजनाओं के अंतर्गत किसानों को फसल बीमा प्रदान करने के लिए उत्तरदायी थी। आईए को ऋण संवितरण केन्द्रों के साथ सीधा सम्पर्क रखना अपेक्षित नहीं है बल्कि उन्हें अधिकतर जिला स्तर पर केवल नोडल केन्द्रों (संबंधित बैंक/वित्तीय संस्थानों के) के साथ सम्पर्क रखना है। आईए को नोडल केन्द्रों से बीमाकृत किसानों के के विवरण प्राप्त करना तथा दावों यदि कोई हो, का परिकलित करना अपेक्षित है। एमएनएआईएस तथा डब्ल्यूबीसीआईएस के मामले में, निजी बीमा कम्पनियां प्रीमियम आर्थिक सहायता हेतु दावें एआईसी को प्रेषित करते हैं जो अपने स्वंय के प्रीमियम आर्थिक सहायता के दावों को सम्मिलित करते हुए संयुक्त दावों का परिकलन करती है तथा जीओआई तथा राज्य सरकारों को अपने भागों को जारी करने की सिफारिश करती है। एनएआईएस के संबंध में एआईसी, जीओआई तथा राज्य सरकारों को प्रीमियम आर्थिक सहायता के अपने भाग तथा दावा देयताओं हेतु सिफारिश करती है। जीओआई तथा राज्य सरकारों से निधियों की प्राप्ति पर एआईसी निजी बीमा कम्पनियों (एमएनएआईएस तथा डब्ल्यूबीसीआईएस के संबंध में) को प्रीमियम आर्थिक सहायता तथा नोडल केन्द्रों को दावा राशियों (एनएआईएस के संबंध में) जारी करता है।

1.2.3 राज्य सरकारें

राज्य कृषि एवं बागवानी विभाग राज्य में योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु उत्तरदायी शीर्ष प्राधिकरण हैं। प्रत्येक फसल मौसम के प्रारम्भ में राज्य सरकारें फसल बीमा समन्वय समिति (एसएलसीसीसीआई), जिसकी अध्यक्षता कृषि उत्पादन आयुक्त अथवा समतुल्य द्वारा की जाती है, के निर्णय के अनुसार मौसम के दौरान शामिल की जाने वाली फसलों (एमएनएआईएस तथा डब्ल्यूबीसीआईएस के मामले में प्रीमियम दर) को अधिसूचित तथा क्षेत्रों को परिभाषित करती हैं। राज्य सरकारें अधिसूचनाओं में निर्दिष्ट निर्धारित तिथियों के भीतर बीमा कम्पनियों को फसल कटाई प्रयोगों (सीसीई)[7] की आवश्यक संख्याओं को करने के पश्चात डाटा भी प्रदान करती हैं।

जिला मैजिस्ट्रेट की अध्यक्षता वाली जिला स्तरीय मानीटरिंग समिति (डीएलएमसी) योजनाओं के कार्यान्वयन को मॉनीटर करती है तथा जिले में सीसीई करती है।

1.2.4 बैंक/वित्तीय संस्थाओं (एफआई)

बैंक तथा एफ आई किसानों को ऋण प्रदान करते हैं, किसानों का बीमा प्रीमियम भाग का संग्रहण करते हैं, किसानों की विभिन्न श्रेणियों पर समेकित विवरणीयां तैयार करते है तथा इसे बीमा प्रीमियम सहित नोडल केन्द्रों को प्रेषित करते हैं। संवितरण शाखाएं डीएलएमसी अथवा आईए के प्रतिनिधियों द्वारा सत्यापन हेतु प्रस्ताव प्रपत्रों तथा अन्य संबंधित दस्तावेजों के अभिलेखों का अनुरक्षण करती हैं। जिला मुख्यालयों में नोडल शाखाएं आईए को निर्धारित प्रारूपों में फसल-वार/क्षेत्र-वार वार्षिक फसल बीमा घोषणाएं प्रस्तुत करती है। बैंक सेवा प्रभारी के रूप में किसानों से संग्रहित प्रीमियम का 4 प्रतिशित प्राप्त करते हैं।

प्रवाह **चार्ट**-1 उपर्युक्त को स्पष्ट करता है।

---

[7] अधिसूचित/विशिष्ट क्षेत्रों में फसल पैदावार का निर्धारण करने हेतु प्रयोग

चार्ट सं. 1- दस्तावेजों एवं सूचना का प्रवाह चार्ट

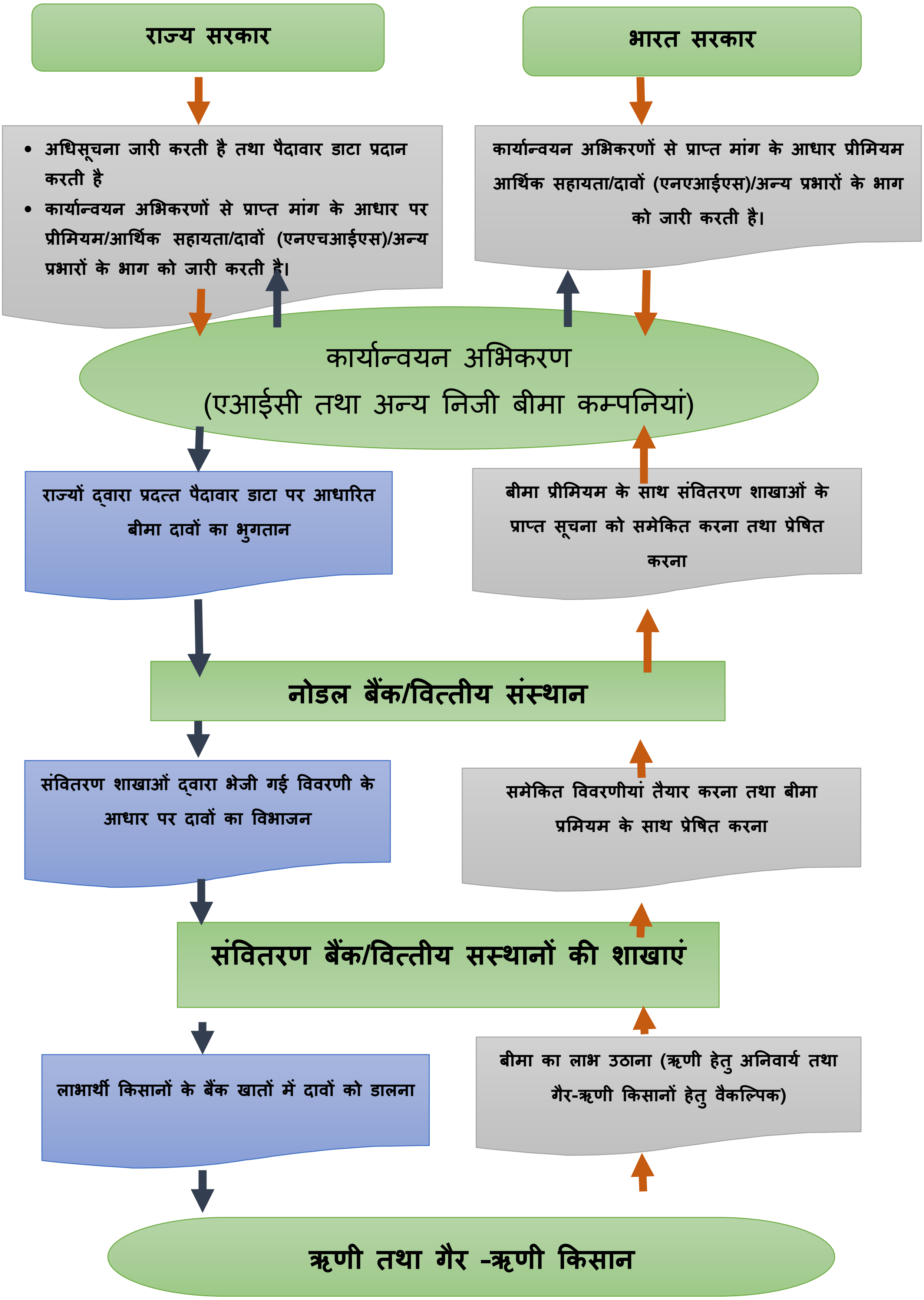

1.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा यह जांच करने हेतु की गई थी कि क्या:

- निधियों को प्रभारी तथा मित्तव्ययी उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु पर्याप्त रूप से तथा सामयिक प्रकार से प्रदान किया गया था;
- फसल बीमा योजनओं को प्रभावी रूप से कार्यान्वित किया गया था; तथा
- योजनाओं के मॉनीटर हेतु प्रभावी नियंत्रण प्रणालियां मौजूद है।

1.4 लेखापरीक्षा क्षेत्र तथा नमूना

कृषि फसल बीमा योजनाओं की निष्पादन लेखापरीक्षा खरीफ मौसम 2011 से प्रारम्भ होकर रबी मौसम 2015-16 तक पांच वर्ष की अवधि के लिए डीएसीएण्डएफडब्ल्यू, एआईसी तथा नौ चयनित राज्यों (आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, ओड़िशा, राजस्थान तथा तेलंगाना) में की गई थी। राज्यों, जिलों, ब्लॉकों तथा ग्रामों का चयन निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा किया गया था:

तालिका 1: चयन हेतु मापदण्ड

विवरण	चयन हेतु मापदण्ड
राज्य	नौ राज्यों का स्वीकृत दावों के आधार पर चयन किया गया था।
जिला	एक राज्य के भीतर न्यूनतम दो तथा अधिकतम दस के तहत 15 प्रतिशत जिलों का पीपीएसडब्ल्यूओआर[8] पद्धति द्वारा चयन किया गया था। कुल मिलाकर 33 जिलों का चयन किया गया था जैसा **अनुबंध-I** में ब्यौरा दिया गया है।
ब्लाक/तालुका/उप-जिला	नमूना जिलों के अंतर्गत एसआरएसडब्ल्यूओआर पद्धति[9] का उपयोग करके दो ब्लॉक का चयन किया गया था।
ग्राम	जिले में प्रत्येक नमूना ब्लॉक में प्रणालीगत नमूना के माध्यम से तीन ग्रामों का चयन किया गया था।

[8] बिना प्रतिस्थापन आकार की अनुपातिक संभावना

[9] बिना प्रतिस्थापन सामान्य याद्दच्छिक नमूना

किसान	योजनाओं के अंतर्गत शामिल किसानों के अभिलेखों की संवीक्षा यद्दाच्छिक नमूना आधार पर फील्ड सर्वेक्षणों के साथ की गई थी।

1.5 लेखापरीक्षा पद्धति

कृषि फसल बीमा योजनाओं (एनएआईएस, एमएनएआईएस तथा डब्ल्यूबीसीआईएस) को 26 राज्यों तथा 2 संघ शासित क्षेत्रों में कार्यान्वित किया गया है। तीन राज्यों[10] तथा पांच संघ शासित क्षत्रों[11] ने किसी भी योजना में भाग नहीं लिया था।

निष्पादन लेखापरीक्षा 19 अप्रैल 2016 को डीएसीएण्डएफडब्ल्यू के साथ “प्रवेश सम्मेलन” के साथ आरम्भ की गई जिसमें लेखापरीक्षा पद्धति, क्षेत्र, उद्देश्यों तथा मापदण्डों पर चर्चा की गई थीं। निष्पादन लेखापरीक्षा प्रक्रिया में डीएसीएण्डएफडब्ल्यू, एआईसी तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालयों, राज्य कृषि/ बागवानी विभागों, जिलों/तालुकाओं तथा ग्राम स्तर पर बैंकों में संबंधित अभिलेखों की जांच शामिल है।

लेखापरीक्षा के निष्कर्ष तथा लेखापरीक्षा निष्कर्षों के समेकन तथा विश्लेषण के पश्चात 31 अक्तूबर 2016 को डीएसीएण्डएफडब्ल्यू को ड्राफ्ट प्रतिवेदन प्रेषित किया गया था। डीएसीएण्डएफडब्ल्यू ने ड्राफ्ट प्रतिवेदन के अंतरिम उत्तर प्रस्तुत किए है, जिन्हें प्रतिवेदन में उचित रूप से सम्मिलित कर लिया गया है। डीएसीएण्डएफडब्ल्यू के साथ निर्गम सम्मेलन 16 फरवरी 2017 को किया गया। संबंधित राज्य सरकारों के साथ निर्गम सम्मेलन कर लिया गया है जहॉ राज्य विशिष्ट निष्कर्षों पर चर्चा की गई थी।

---

10 अरूणाचल प्रदेश, नागालैण्ड तथा पंजाब

11 चण्डीगढ़, दमन एवं दीव, दादर एवं नागर हवेली, एनसीटी दिल्ली तथा लक्षद्वीप

1.6 लेखापरीक्षा मापदण्ड

निष्पादन लेखापरीक्षा में अपनाए गए मापदण्ड हेतु स्त्रोत निम्नलिखित हैं:

- एनएआईएस, एमएनएआईएस तथा डब्ल्यूबीसीआईएस पर डीएसीएण्डएफडब्ल्यू द्वारा जारी योजना दिशानिर्देश
- जीओआई तथा राज्य सरकारों द्वारा जारी आदेश, अधिसूचनाएं, परिपत्र, अनुदेश।
- योजनाओं की मूल्यांकन रिपोर्टों/सर्वेक्षण रिपोर्टें
- सामान्य वित्तीय नियमावली, 2005 तथा राज्य सामान्य वित्त एवं लेखांकन नियमावली।

1.7 आभार

लेखापरीक्षा इस निष्पादन लेखापरीक्षा को करने के दौरान डीएसीएण्डएफडब्ल्यू, राज्य कृषि/बागवानी विभागों, कार्यान्वयन अभिकरणों तथा उनके अधिकारियों द्वारा दिए गए सहयोग तथा सहायता के लिए आभार प्रकट करती है।

अध्याय-2: वित्तीय प्रबंधन

2.1 प्रस्तावना

डीएसीएण्डएफडब्ल्यू बजटीय नियंत्रण, निधियों के निर्गम तथा केन्द्रीय स्तर योजनाओं के समग्र प्रशासन हेतु उत्तरदायी है। एनएआईएस, एमएनएआईएस तथा डब्ल्यूबीसीआईएस के अंतर्गत प्रीमियम आर्थिक सहायता में अंश के प्रति तथा एनएआईएस के अंतर्गत संग्रहित प्रीमियम के 100 प्रतिशत के अधिक के दावो (खाद्य तथा तेलबीज फसलों हेतु) के साथ जीओआई तथा राज्य सरकारों द्वारा एआईसी को 50:50 के आधार पर निधियां जारी की जाती हैं। बदले में एआईसी निजी बीमा कम्पनियों को प्रीमियम आर्थिक सहायता का उनका अंश (एमएनएआईएस तथा डब्ल्यूबीसीआईएस) जारी करता है। योजनाएं मांग संचालित हैं तथा जीओआई तथा राज्य सरकारें एआईसी से मांग पर निधियां जारी करती है।

2.2 बजट आबंटन तथा व्यय

खरीफ मौसम 2011 तथा रबी मौसम 2015-16 के दौरान, जीओआई एवं राज्य सरकारों ने प्रीमियम आर्थिक सहायता एवं दावों की देयताओं को पूरा करने के लिए ₹32606.65 करोड़ व्यय किए जैसा कि **अनुबंध-II (क), अनुबंध-II (ख) एवं II (ग)** में वर्णित है।

जीओआई (सभी कार्यान्वयन राज्यों के संबंध में) तथा चयनित नौ राज्यों द्वारा वर्ष 2011-12 से 2015-16 हेतु कृषि फसल बीमा योजनाओं के अतंर्गत निधियों के आबंटन तथा उपयोग के ब्यौरे नीचे दिए गए है:

तालिका 2: आबंटन तथा व्यय

मंत्रालय/राज्य	(₹ करोड़ में)									
	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15		2015-16	
	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय	आबंटन	व्यय
डीएसी एण्ड एफ डब्ल्यू[12]	1,025.00	1,053.33	1,550.00	1,549.18	2,550.00	2,551.02	2,784.93	2,598.35	3,185.09	2,982.47
आन्ध्र प्रदेश	258.59	258.59	291.68	291.68	178.35	145.78	106.00	93.18	172.00	115.32
असम	0.92	0.37	0.82	0.82	1.00	1.00	2.00	0.00	4.00	0.00
गुजरात	245.11	56.86	456.13	390.65	460.03	629.71	434.00	171.17	487.36	517.36
हरियाणा	14.62	7.37	7.15	7.05	37.49	37.24	50.50	0.01	35.12	34.31
हिमाचल प्रदेश	3.18	3.78	6.86	8.33	9.46	7.92	12.87	10.34	17.5	2.00
महाराष्ट्र	63.98	63.98	111.47	111.47	287.29*	287.29	125.51	125.51	1,007.24*	1,007.24
ओडिशा	59.00	56.39	282.57	298.87	30.00	10.27	160.00	159.95	160.00	70.14
राजस्थान	336.97	336.87	359.52	358.99	249.80	249.55	362.17	362.07	316.00	269.96
तेलंगाना[13]	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.86	56.15	69.88	15.36

(स्रोत: डीएसी एवं एफडब्ल्यू तथा चयनित राज्य सरकारें)

* ***सवंर्धित प्रावधान महाराष्ट्र में प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों के कारण 2012-13 तथा 2014-15 के दौरान सूचित मुख्य दावों को पूरा करने के लिए किए गए थे।***

डीएसीएण्डएफडब्ल्यू को सभी कार्यान्वयन राज्यों के राज्य वार अंशदान को प्रदान करने का अनुरोध किया गया था जो प्रतीक्षित है (फरवरी 2017)। लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि डीएसीएण्डएफडब्ल्यू द्वारा प्रदत्त डाटा के अनुसार लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान जीओआई की कुल देयताएं (एनएआईएस के मामले में प्रीमियम आर्थिक सहायता तथा बीमा दावों का अंश) ₹11,095.02 करोड़ तथा ₹10,734.35 करोड़ क्रमशः के बजट प्रावधान तथा वास्तविक व्यय के प्रति ₹15,792.23 करोड़ थी। डीएसीएण्डएफडब्ल्यू को डाटा में अंतर का स्पष्टीकरण प्रदान करने का अनुरोध किया गया था जो प्रतीक्षित है (फरवरी 2017)।

असम में, यद्यपि वित्त विभाग द्वारा निधियां प्रदान की गई थी। फिर भी कृषि विभाग ने 2014-15 तथा 2015-16 में किसी भी निधि का आहरण नही किया

[12] निर्गम तथा व्यय के विवरण जो कार्यान्वयन राज्यों को लागू है

[13] तेलगांना राज्य 02 जून 2014 को स्थापना की गई थी। .

था। **हरियाणा** सरकार ने खरीफ मौसम 2014 से योजनाओं को कार्यान्वित करना बदं कर दिया था। खरीफ मौसम 2013 तथा रबी मौसम 2013-14 से संबंधित बकायों को 2015-16 में जारी किया गया था। इसी प्रकार राज्य सरकारों के अंश के निर्गम में विलम्ब **आन्ध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र** तथा **तेलगांना** में पाए गए थे जिसने किसानों के दावों की प्रतिपूर्ति को प्रभावित किया। **राजस्थान** में पिछले वर्ष से 2013-14 में आबंटन तथा व्यय में कटौती उस वर्ष में बीमा प्रीमियम के कैपिंग के कारण है।

2.3 भारतीय कृषि बीमा कम्पनी लिमिटेड (एआईसी) के पास एनआईएएस के अंतर्गत बचतें

जुलाई 1999 में जारी एनएआईएस दिशानिर्देशों के अनुसार, आईए (मार्च 2003 तक जीआईसी तथा इसके पश्चात एआईसी) को खाद्य फसलों तथा तेल बीजो के मामले में 100 प्रतिशत प्रीमियम तथा वाणिज्यिक तथा बागवानी फसलों के मामले में 150 प्रतिशत तक की पूर्ण देयताओं को पूरा करना अपेक्षित था। इन सीमाओं से अधिक देयताओं को पांच वर्षों की अवधि में बीमांकिक व्यवस्था के पूर्ण पारगमन तक जीओआई तथा राज्य सरकारों को बराबर विभाजित किया जाना था। इसके पश्चात्, प्रीमियम के 150 प्रतिशत तक के सभी दावों को तीन वर्षों की अवधि तक आईए द्वारा पूरा किया जाना चाहिए तथा उसके बाद इस सीमा को 200 प्रतिशत तक बढ़ाना होगा। इन सीमाओं से अधिक के दावों को कोर्पस निधि, जिसे जीओआई तथा राज्य सरकारों के बराबर अंशदान से सृजित किया जाना है, से पूरा किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एनएआईएस के प्रचालन की अवधि (रबी मौसम 1999-2000 से रबी मौसम 2015-16 तक अर्थात् 33 मौसम) के दौरान एआईसी ने प्रीमियम के संग्रहण से ₹2,518.62 करोड़[14] की बचतें संचित की

[14] डीएसीएण्डएफडब्ल्यू द्वारा अगस्त 2016 में प्रदत्त डाटा के अनुसार

थीं (संग्रहित प्रीमियम की राशिः ₹14,056.81 करोड़ घटा अदा किए गए दावे का एआईसी अंशः ₹11,538.19 करोड़)। दिशानिर्देश संग्रहित प्रीमियम तथा एआईसी द्वारा अदा किए गए दावों के बीच अंतर के कारण बचतों के उपयोग, यदि कोई है, पर मौन थे तथा इस प्रकार एआईसी ने बचतें रखी।

डीएसीएण्डएफडब्ल्यू इस आधार पर कि एआईसी को योजना के कार्यान्वयन हेतु सभी प्रचालन व्ययों की प्रतिपूर्ति की जाती थी एवं बचतें रखने का एआईसी के लिए कोई औचित्य नहीं था, बचतों को वापिस करने के लिए एआईसी तथा वित्त मंत्रालय के साथ मामला उठा रहा है। लेखापरीक्षा ने पाया कि वित्त मंत्रालय ने यह बताते हुए कि इन निधियों का आहरण "योजना को बदलने की प्रस्तावना के रूप में तथा एआईसी द्वारा लाभों के रूप में विनियोजित किए जा रहे व्यक्तिगत राज्य के अधिक प्रीमियम को रोकने के लिए एआईसी के रखे गए लाभों/रिजर्वों (एनआईएएस गतिविधियों द्वारा अर्जित)" से किया जा रहा है, डीएससीएण्डएफडब्ल्यू को ₹200 करोड़ जारी करने के लिए दिसंबर 2009 में एआईसी को निर्देश दिया था। बाद में, वित्त मंत्रालय यह बताते हुए कि (i) दिसंबर 2009 में ₹200 करोड़ के निर्गम पर लेखापरीक्षकों द्वारा आपत्ति की गई है तथा (ii) ऐसे भुगतान आईआरडीए के विनियमों के अनुसार एआईसी द्वारा बनाए रखे जाने वाले सम्पन्नता अनुपात को कम करेंगे, आगे निधियां जारी करने हेतु एआईसी को अनुमत करने के लिए सहमत नहीं हुआ था (अप्रैल 2014)। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि ₹200 करोड़ के निर्गम पर सीएजी द्वारा कोई टिप्पण नहीं था तथा सांविधिक लेखापरीक्षकों ने केवल यह योग्य ठहराया कि ₹200 करोड़ को एआईसी के तुलन-पत्र में 'आग्रिम तथा अन्य परिसम्पत्तियां' के रूप में दर्शाया जा रहा है तथा राशि को रखे गए लाभों/रिजर्वों के प्रति समायोजित नहीं किया गया था। जहां तक सम्पन्नता अनुपात का संबंध है, इस अनुपात को बनाये रखने का निर्णय एआईसी के हिस्सेदारों (यथा सभी सरकारी बीमा कंपनियां एवं नाबार्ड)

द्वारा वित्त मंत्रालय के परामर्श से लिया जाएगा, और इसका एआईसी द्वारा भारत सरकार को बचतों के प्रेषण के निर्गम के साथ कोई संबद्ध नहीं है।

डीएसीएण्डएफडब्ल्यू ने बताया (जनवरी 2017) कि उन्होंने भारत की समेकित निधि में बचतों के प्रेषण के लिए वित्त मंत्रालय के समक्ष मुद्दे को दोबारा उठाया है।

2.4 जांच के बिना निजी बीमा कम्पनियों को निधियों का निर्गम

एमएनएआईएस तथा डब्ल्यूबीसीआईएस के अंतर्गत, डीएसीएण्डडब्ल्यूएफ ने एआईसी को जीओआई तथा राज्य सरकारो से प्राप्त निधियों के प्रणालन तथा निजी बीमा कम्पनियों को प्रीमियम आर्थिक सहायता जारी करने का उत्तरदायित्व सौंपा था। डीएसीएण्डएफडब्ल्यू दिशानिर्देशों (अक्टूबर 2009) ने अनुबंध किया कि निजी बीमा कम्पनियों को अंतिम भुगतान सबंधित राज्य सरकार के प्रमाणपत्र तथा जीओआई द्वारा नियुक्त अभिकरण द्वारा उत्पाद बैंचमार्किंग तथा आवृतन के सबंध में यादृत्छिक जांच तथा ऐसी जांच के निष्कर्षों को सही पाए जाने के साथ मौसम के दौरान आवृतन के पूर्ण ब्यौरों सहित अंतिम सांख्यिकी को प्रस्तुतीकरण पर किया जाना था।

तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि 2011-16 के दौरान एआईसी ने किसी भी दिशानिर्देश जैसा ऊपर उल्लेख किया गया है, आदि के अनुपालन के बिना दस निजी बीमा कम्पनियों[15] को प्रीमियम आर्थिक सहायता के रूप में ₹3,622.79 करोड़[16] जारी किए थे।

---

15 आईसीआईसीआई लोमबार्ड जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लि., इफ्को टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लि, एचडीएफसी इर्गो जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लि, चौलामइंलम एसएस जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लि, टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लि, रिलाईंस जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लि, फ्यूचर जनर्ली इंडिया इंश्योरेंस कम्पनी लि., एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लि., यूनिवर्सल सौपो जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लि., बजाज एलियाज जनरल इंश्योरेंस कम्पनी लि.,

16 जीओआई का अंश ₹1,873.36 करोड़ तथा राज्य का अंश: ₹1,749.43 करोड़

लेखापरीक्षा को अपने उत्तर (अक्टूबर 2016) में, एआईसी ने दिशानिर्देशो के अंतर्गत निजी बीमा कम्पनियों को सौंपी गई आवश्यकता को सुनिश्चित किया परंतु यह स्पष्ट करने में विफल रहा कि निधियों के निर्गम से पूर्व दिशानिर्देशों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु एआईसी ने कोई कार्रवाई क्यों नहीं की थी।

2.5 सरकारो के दावा अंशो हेतु पुन: बीमा कवर का लाभ न उठाना

एनएआईएस के दिशानिर्देशों के अनुसार, एआईसी को अंतराष्ट्रीय पुनः बीमा बाजार में उपयुक्त पुनः बीमा कवर प्राप्त करना अपेक्षित था। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि जबकि एआईसी ने एनएआईएस के अंतर्गत केवल दावों के अपने अंश के लिए ही पुनः बीमा सहायता की व्यवस्था की थी फिर भी उन्होने जीओआई तथा राज्य सरकारो द्वारा पूरे किए जाने वाले दावों के अंश हेतु पुनः बीमा सहायता की व्यवस्था नहीं की थी। अगर ऐसा पुनः बीमा प्रदान किया गया होता तो जीओआई तथा राज्य सरकारों की कुल ₹21,989.24 करोड़ की देयताओं को कम किया जा सकता था।

एआईसी ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2016) कि एनएआईएस (खाघ तथा तेल बीज फसलों हेतु) के सबंध में जब कभी दावें निर्धारित सीमा से अधिक हुए है तो सरकारों ने जोखिम का विभाजन करके पुनर्बीमाकर्ता के रूप में कार्य किया है। जहां तक, डब्ल्यूबीसीआईएस, एमएनएआईएस तथा एनएआईएस (वाणिज्यिक तथा बागवानी फसलों के लिए) जैसे बीमा-किंक रूप से श्रेणीबद्ध उत्पाद, जहां एआईसी सभी दावों हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी था, का सबंध है पर्याप्त पुनः बीमा सरंक्षण का लाभ उठाया गया था।

एआईसी का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि योजना (एनएआईएस) दिशानिर्देशों ने अनुबंध किया कि आईए (एआईसी) एनएआईएस के अंतर्गत पूर्ण योजना दावों हेतु पुनः बीमा सहायता का प्रबंध करने हेतु उत्तरदायी है बल्कि न केवल एआईसी भाग के लिए।

2.6 उपयोग प्रमाणपत्र (यूसी)

2.6.1 आईए द्वारा राज्यों को यूसी का प्रस्तुतीकरण न किया जाना

जीओआई ने रबी मौसम 2015-16 तक डब्ल्यूबीसीआईएस (₹3,879.10 करोड़) तथा एमएनएआईएस (₹1,386 करोड़) के अंतर्गत इन योजनाओं के प्रारम्भ से एआईसी के माध्यम से बीमा कम्पनियों (एआईसी सहित) को ₹5,265.48 करोड़ की प्रीमियम आर्थिक सहायता जारी की। डीएसएण्डडब्ल्यू ने एआईसी को निर्गम के एक सप्ताह के भीतर डीएसीएण्डएफडब्ल्यू को अनिवार्य रूप से राज्य-वार तथा कम्पनी-वार यूसी प्रस्तुत करने हेतु स्थायी आदेश जारी किए। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि एआईसी ने डीएसी एण्ड एफ डब्ल्यू को आवधिक रिटर्न, जैसा अनिवार्य था, प्रस्तुत नहीं की थी। इसके बजाए एआईसी ने केवल डीएसीएंडएफडब्ल्यू से नई निधियों की आवश्यकता हेतु यूसी प्रस्तुत किए थे।

लेखापरीक्षा ने यह भी देखा कि लेखापरीक्षा में शामिल अवधि के दौरान चार राज्यों, **असम, हरियाणा, महाराष्ट्र** तथा **ओड़िशा** ने सभी आईए (एआईसी तथा निजी बीमा कम्पनियां) को निधियां जारी की। इनमें से दो राज्यों अर्थात् असम तथा हरियाणा ने ₹1.66 करोड़ तथा ₹84.21 करोड़ जारी किए थे परंतु यूसी प्राप्त नहीं किए थे। महाराष्ट्र द्वारा जारी ₹3,409.33 करोड़ में से ₹3,365.86 करोड़ के यूसी बकाया थे। **ओडिशा** में, ₹595.62 करोड़ के वास्तविक व्यय के प्रति सहकारिता विभाग ने वित्त विभाग को ₹690.57 करोड़ के यूसी प्रस्तुत किए जिसको समाधान की आवश्यकता है।

2.6.2 बैंक/एफआई द्वारा एआईसी को यूसी का प्रस्तुतीकरण न किया जाना

राष्ट्रीय फसल बीमा कार्यक्रम (एनसीआईपी) दिशानिर्देशों में बैंक/एफआई को लाभार्थी किसानों को दावों की राशि के क्रेडिट के 15 दिनों के भीतर आईए को यूसी प्रस्तुत करना अपेक्षित है। एआईसी के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संविक्षा ने पाया कि बहुत सारे मामलों में बैंक/एफआई द्वारा एआईसी को यूसी नहीं प्रस्तुत किये गये। परिणामस्वरूप, एआईसी के पास बैंक/एफआई से यह आश्वासन भी नहीं था कि उन्होने लाभार्थी किसानों को दावा राशियों का संवितरण किया था जैसा कि **तालिका-3** में विवरण दिया गया है।

तालिका- 3: यूसी की राज्य-वार स्थिति

(₹ करोड़ में)

राज्य	अदा किए गए दावे	प्राप्त यूसी	प्राप्त न किए गए यूसी	प्राप्त यूसी की प्रतिशतता
आंध्र प्रदेश	3,017.52	805.38	2,212.14	26.69
असम	8.49	3.85	4.64	45.35
गुजरात	2,848.57	658.36	2,190.21	23.11
हरियाणा	4.20	0.54	3.66	12.86
हिमाचल प्रदेश	20.41	4.68	15.73	22.93
महाराष्ट्र	653.78	230.47	423.31	35.25
ओडिशा	1,629.02	755.99	873.03	46.41
राजस्थान	242.28	107.74	134.54	44.47
तेलंगाना	523.14	137.544	385.60	26.29
कुल	**8,947.41**	**2,704.55**	**6,242.86**	**30.23**

प्राप्त न किए गए यूसी का समय-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:

तालिका 4: बकाया यूसी का समय-वार विश्लेषण

(₹ करोड़ में)

राज्य	एक वर्ष से कम	1 वर्ष से 3 वर्षों तक	3 वर्षों से अधिक	कुल बकाया यूसी
आंध्र प्रदेश	145.14	496.28	1,570.72	2,212.14
असम	*	0.59	4.05	4.64
गुजरात	*	96.82	2,093.39	2,190.21
हरियाणा	*	2.67	0.99	3.66
हिमाचल प्रदेश	1.62	14.11	**	15.73
महाराष्ट्र	68.96	354.35	**	423.31
ओडिशा	*	648.85	224.18	873.03
राजस्थान	4.58	129.96	0.00	134.54
तेलंगाना	*	148.11	237.49	385.60
कुल	**220.30**	**1,891.74**	**4,130.82**	**6,242.86**

* एआईसी ने सूचित किया कि आज की तारीख (दिसंबर 2016) तक किसी दावे का निपटान नहीं किया गया है।

** एआईसी ने सूचित किया कि बैंक/एफआई से कोई यूसी लंबित नहीं था।

एआईसी ने अभ्युक्ति को स्वीकार किया तथा बताया (अक्टूबर 2016) कि बैंक/एफआई से यूसी के सामयिक प्रस्तुतीकरण हेतु अनुरोध किया जा रहा है तथा नियमित रूप से अनुपालन किया जा रहा है।

लेखापरीक्षा ने **महाराष्ट्र, हरियाणा** तथा **राजस्थान** में चयनित निजी बीमा कम्पनियों से एकत्रित अभिलेखों/सूचना की संविक्षा में समान कमियां पाई।

निष्कर्ष

(i) यघपि डीएसीएण्डएफडब्ल्यू ने स्थिर रूप से समय पर अपना अंश जारी किया था फिर भी राज्य सरकारों द्वारा अपने अंश के विलम्बित निर्गम के उदाहरण थे। ऐसे विलम्बो ने प्रभावित किसानों की बीमा क्षतिपूर्ति के निर्गम को प्रभावित किया जिसने कृषि समुदाय को सामयिक वित्तीय सहायता प्रदान करने के योजना के मूलभूत उद्देश्य को विफल किया। दिशानिर्देश संग्रहित प्रीमियम तथा एआईसी द्वारा अदा किए गए दावों के बीच अंतर के कारण हुई बचतों, यदि कोई हैं, के उपयोग पर मौन थे, अतः बचतें एआईसी के पास रहीं। एआईसी निजी बीमा कम्पनियों को निधियां जारी से पहले उनके द्वारा दावों की जांच करके उचित सचेतना लागू करने में विफल था। एआईसी जीओआई तथा राज्य सरकारों की ओर से पुन: बीमा कवर करने, जैसा दिशानिर्देशों में अनुबंध किया गया है, में विफल था। एआईसी ने केवल नई निधियों की मांग के समय विभाग को यूसी प्रस्तुत किए थे न कि निधियों के निर्गम के एक सप्ताह के भीतर जैसा विभाग द्वारा अपेक्षित था। कार्यान्वयन अभिकरणों ने बैंक/एफआई द्वारा यूसी के प्रस्तुतीकरण को सुनिश्चित नहीं किया था तथा इसलिए उसके पास बैंक/एफआई से न्यूनतम आश्वासन भी नहीं था कि उन्होने लाभार्थी किसानों को दावा राशियों का संवितरण किया था।

अनुशंसाएं:

i. डीएसीएण्डएफडब्ल्यू को एक क्रियाविधि प्रारम्भ करनी चाहिए जिसके द्वारा राज्य सरकारों के अंश के निर्गम में विलम्ब को कम किया जा सकता है।

ii. चूंकि, एनएआईएस योजना को पीएमएफबीवाई से बदल दिया गया है, एनएआईएस के अंतर्गत बचतों के समायोजन के मामले को डीएसीएण्डएफडब्ल्यू, वित्त मंत्रालय और एआईसी द्वारा तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाना है।

iii. डीएसीएण्डएफडब्ल्यू को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आईए को भुगतान केवल उचित जांच के पश्चात ही जारी किए गए है।

iv. विभाग को कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा स्वयं को तथा बैंक/एफआई द्वारा कार्यान्वयन अभिकरणो को यूसी के सामयिक प्रस्तुतीकरण को सुनिश्चित करना चाहिए जिससे कि कृषि समुदाय को बीमा लाभों को अच्छी तरह मॉनीटर किया जा सके।

अध्याय-3: योजनाओं का कार्यान्वयन

3.1 प्रस्तावना

फसल बीमा योजनाओं का निर्माण उपज हानियों के प्रति कृषि समुदाय को बीमा सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया गया था। इन योजनाओं का राज्यों में आईए (एआइसी एवं निजी बीमा कंपनियाँ) एवं संबंधित राज्यों में कार्यरत बैंक/एफआई के माध्यम से कार्यान्वयन किया जाना था। नौ चयनित राज्यों में इन योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा में निम्नलिखित बातें प्रकट हुई।

3.2 किसानों के डाटाबेस का अनुरक्षण नहीं होना

योजनाओं के परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार, आईए को सभी ॠण संवितरण शाखाओं (बैंक एवं एफआई) के साथ सीधा संपर्क रखना अपेक्षित नहीं था। बल्कि, उन्हें बैंकों/एफआई के शीर्ष बिंदु का सामना करना था। संवितरण शाखाओं को अपने शीर्षस्थ बिंदुओं के पास समेकित विवरणी प्रस्तुत करना था जो उसे बाद में आईए के समक्ष प्रस्तुत करेंगी। एनएआइएस के दिशानिर्देशों के अनुसार, आईए को केवल भारत सरकार (राज्यों के पास नहीं) के पास ही रिटर्न/सांख्यिकी उपलब्ध कराना था। लेखापरीक्षा ने पाया कि आईए ने सरकारों को एनएआइएस पर आवधिक (मासिक या त्रैमासिक) रिटर्न प्रदान नहीं की थी। बल्कि निधियों की आवश्यकता के समय उनके दावों के समर्थन हेतु सांख्यिकी डाटा प्रस्तुत किया गया था। एनसीआइपी के अंतर्गत जब तक एकीकृत नहीं हुए थे, आवधिक रिटर्नों/सांख्यिकी को एमएनएआईएस अथवा डब्ल्यूबीसीआईएस के अंतर्गत प्रस्तुत करने संबंधी कोई अलग आवश्यकता जारी नहीं की गयी थी। उसके बाद (अर्थात् रबी मौसम 2013-14 से), आईए को मासिक प्रगति रिटर्न/सांख्यिकी अथवा सरकारों द्वारा मांगी गयी कोई अन्य सूचना प्रस्तुत करनी थी। एनसीआईपी दिशानिर्देशों में व्यवस्था भी थी कि आईए को अपने वेबसाइटों पर बीमाकृत किसानों के संपूर्ण ब्यौरे प्राप्त कर उसे अपलोड करना आवश्यक है। लेखापरीक्षा ने तथापि, न तो आइए द्वारा एनसीआइपी के अंतर्गत भी सरकारों को मासिक प्रगति रिपोर्ट/सांख्यिकी प्रस्तुत

करने का कोई मामला देखा और न ही उनके वेबसाइटों पर बीमाकृत किसानों के ब्यौरे को अपलोड करने का। लेखापरीक्षा को ऐसा कोई मामला दिखायी नहीं दिया जहाँ निधियों के निर्गम के समय डीएसीएण्डएफडब्ल्यू या एआईसी ने सांख्यिकी डाटा को सत्यापित अथवा विश्लेषित किया हो।

इस प्रकार यह प्रमाणित है कि दिशानिर्देशों के अंतर्गत आवश्यकता के अभाव में, न तो सरकारों और न ही आईए की लाभार्थियों के डाटा (किसान वार, फसल-वार एवं क्षेत्र-वार) के अनुरक्षण में कोई भूमिका थी और वे पूरी तरह से समेकित प्रारूप में ॠण संवितरण शाखाओं द्वारा प्रदत्त सूचना पर निर्भर थे। परिणामस्वरूप, भारत सरकार और राज्य सरकारे यह सुनिश्चित कर पाने की स्थिति में नहीं थे कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान एनएआइएस, एमएनएआइएस एवं डब्ल्यूबीसीआइएस के अंतर्गत प्रीमियम आर्थिक सहायता के रूप में जारी ₹10617.41 करोड़ एवं एनएआइएस के अंतर्गत दावा प्रतिपूर्ति के रूप में जारी ₹21,989.24 करोड़ अभिप्रेत लाभार्थियों तक पहुँचा या उससे अभिप्रेत प्रयोजन की पूर्ति हुई थी।

डीएसीएण्डएफडब्ल्यू ने स्वीकार किया (दिसंबर 2016) कि लाभार्थी डाटा उनके या आईए के पास मौजूद नहीं है और कि उन्हें बैंकों द्वारा अनुरक्षित किया जाता है। डीएसीएण्डएफडब्लू ने यद्यपि कहा कि इस कमी पर नये बने पीएमएफबीवाई एवं पुनर्गठित डब्ल्यूबीसीआईएस के अंतर्गत काम किया जा रहा है।

3.3 किसानों का कवरेज

3.3.1 अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित फसल उगाने वाले सभी किसानों के लिए बीमा कवरेज हेतु दिशानिर्देश[17] व्यवस्था करता है। **अनुबंध-II (क)**, **II (ख) एवं II (ग)** में खरीफ मौसम 2011 से रबी मौसम 2015-16 तक सभी कार्यान्वयन राज्यों से संबंधित क्रमशः एनएआईएस, एमएनएआईएस एवं डब्ल्यूबीसीआईएस के विवरण हैं।

[17] एनएआईएस दिशानिर्देश की उपधारा 3(ख) एवं एनसीआईपी दिशानिर्देशों की उपधारा 5(4)

3.3.2 निम्न **चार्ट** 2 में खरीफ मौसम 2011 से रबी मौसम 2015-16 के दौरान देश भर में (2011 जनगणना पर आधारित) किसानों की कुल संख्या (13.83 करोड़) की तुलना में सभी फसल बीमा योजनाओं के अंतर्गत किसानों का प्रतिशत कवरेज दर्शाया गया है।

चार्ट 2: जनगणना 2011 के समक्ष योजनाओं के अंतर्गत किसानों का कवरेज

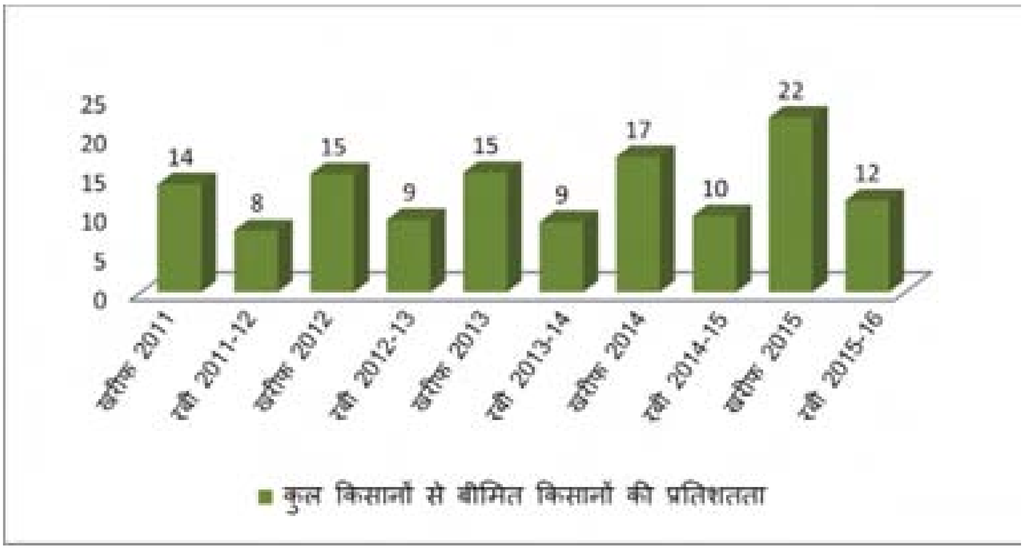

चार्ट से यह देखा जा सकता है, कि बीमा योजनाओं के अंतर्गत शामिल किसानों की कुल संख्या, जनगणना 2011 के अनुसार किसानों की कुल संख्या की तुलना में कम थी। किसानों की प्रतिशत कवरेज खरीफ मौसम के अंतर्गत शामिल फसलों के लिए 14 प्रतिशत से 22 प्रतिशत तक और रबी मौसम के अंतर्गत शामिल फसलों के मामले में 8 प्रतिशत से 12 प्रतिशत तक थी।

3.3.3. निम्न **चार्ट 3** में सभी फसल बीमा योजनाओं के अंतर्गत चयनित नौ राज्यों में किसानों का प्रतिशत कवरेज**,** खरीफ मौसम 2011 से रबी मौसम 2015-16 के दौरान 2011 की जनगणना पर आधारित किसानों की कुल संख्या (4.86 करोड़) की तुलना में दर्शाया गया है।

चार्ट 3: जनगणना 2011 की तुलना में चयनित राज्यों के अंतर्गत किसानों का कवरेज

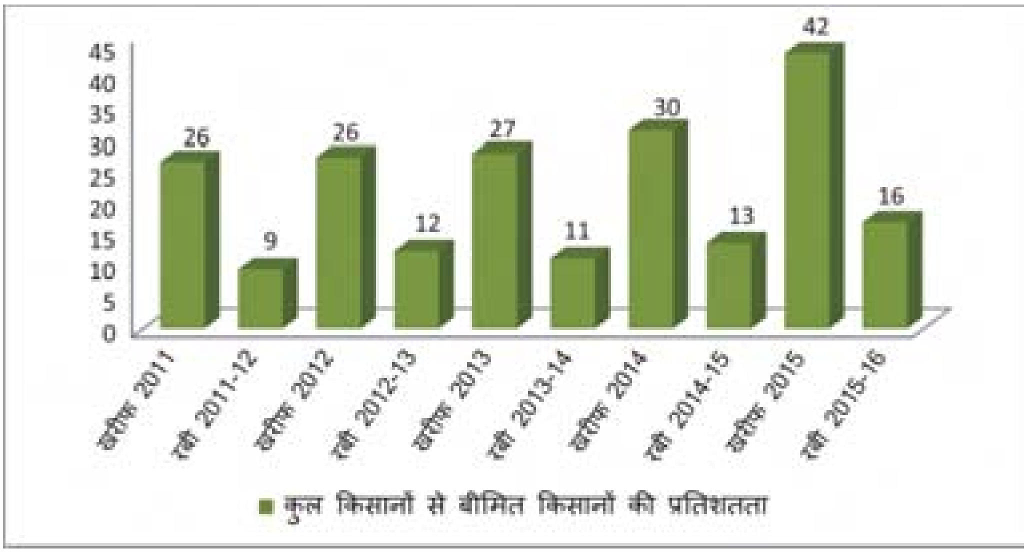

चार्ट से, यह देखा जा सकता है कि बीमा योजनाओं के अंतर्गत शामिल किसानों की कुल संख्या, जनगणना 2011 के अनुसार किसानों की कुल संख्या के तुलना में खरीफ के मौसम के अंतर्गत शामिल फसलों हेतु 26 प्रतिशत से 42 प्रतिशत के बीच थी और रबी के मौसम के अंतर्गत शामिल फसलों के मामले में 9 प्रतिशत से लेकर 16 प्रतिशत के बीच थी।

चयनित राज्यों में किसानों के कवरेज के आगे विश्लेषण से पता चला कि जहाँ **असम** में किसानों का कवरेज कम था (जनगणना 2011 के अनुसार कुल 27.20 लाख किसानों की तुलना में 0.54 प्रतिशत से 1.34 प्रतिशत तक), **राजस्थान** में किसानों का कवरेज अधिक था (जनगणना 2011 के अनुसार कुल 68.88 लाख किसानों की तुलना में 45.17 प्रतिशत से 95.39 प्रतिशत तक)।

डीएसीएण्डएफडब्ल्यू एवं राज्य सरकारों को बीमा योजनाओं में किसानों के कम कवरेज के साथ ही कार्यान्वयन राज्यों में किसानों के कवरेज में बड़े अंतर के कारणों की पड़ताल करनी चाहिए। लेखा परीक्षा ने पाया कि यद्यपि जीओआई और राज्य सरकारें किसानों को बीमा प्रीमियम आर्थिक सहायता दे रही थीं (और एनएआईएस के मामले में, पूरी बीमा दावा देयताओं को पूरा कर रही थीं)

किंतु बीमा योजनाओं[18] के विकल्प का चयन करने वाले किसानों की संख्या में कोई पर्याप्त वृद्धि नहीं हुई थी। लेखा परीक्षा में किसानों के कम कवरेज के लिए उत्तरदायी कारक पाए गए थे कृषि समुदाय में योजनाओं के बारे में जागरूकता का अभाव, एवं किसानों के दावे के निपटान में विलंब जिसपर अनुवर्ती पैराओं में चर्चा की गयी है।

3.3.4 फसल बीमा योजनाएं ऋणी किसानों के लिए अनिवार्य तथा गैर-ऋणी किसानों के लिए ऐच्छिक थीं। **अनुबंध-III** में खरीफ मौसम 2011 से रबी मौसम 2015-16 के दौरान गैर-ऋणी किसानों के योजना-वार/मौसम-वार ब्यौरे हैं।

लेखापरीक्षा ने पाया कि एमएनएआईएस (0.01 प्रतिशत से 9.78 प्रतिशत के बीच) या डब्ल्यूबीसीआईएस (1 प्रतिशत से 10 प्रतिशत के बीच) की तुलना में एनएआइएस (13 प्रतिशत से 47 प्रतिशत के बीच) को गैर ऋणी किसानों ने ज्यादा चुना जैसा कि निम्न **चार्ट** में दर्शाया गया हैः

चार्ट 4: एनएआईएस के अंतर्गत गैर-ऋणी किसानों के कवरेज

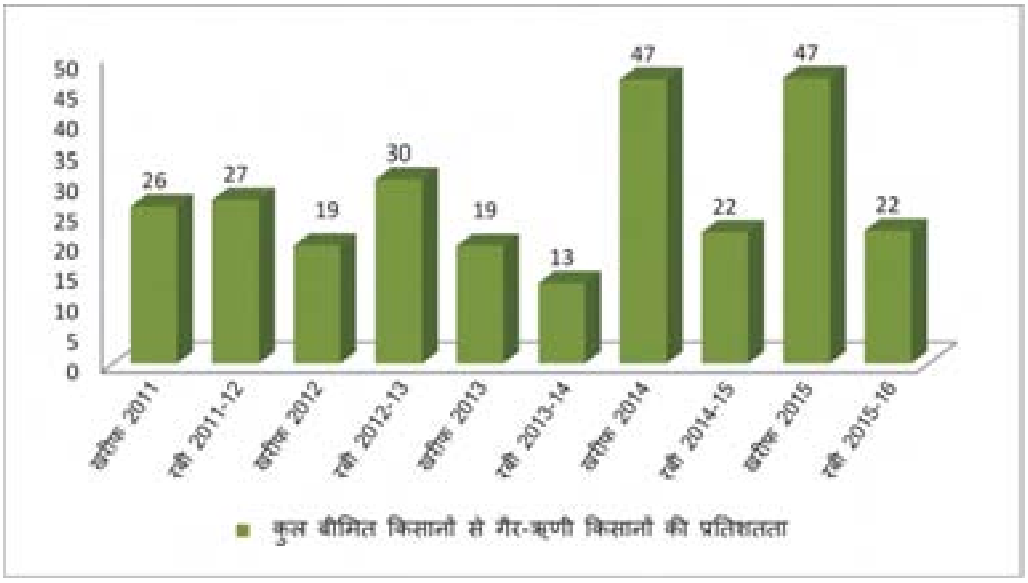

[18] सभी कार्यान्वयन राज्यों में खरीफ के मौसम के लिए 1.89 करोड़ से 3.07 करोड़ तक एवं रबी के मौसम के लिए 1.08 करोड़ से 1.61 करोड़ किसान

चार्ट 5: एमएनएआईएस के अंतर्गत गैर-ऋणी किसानों के कवरेज

चार्ट 6: डब्ल्यूबीसीआईएस के अंतर्गत गैर-ऋणी किसानों के कवरेज

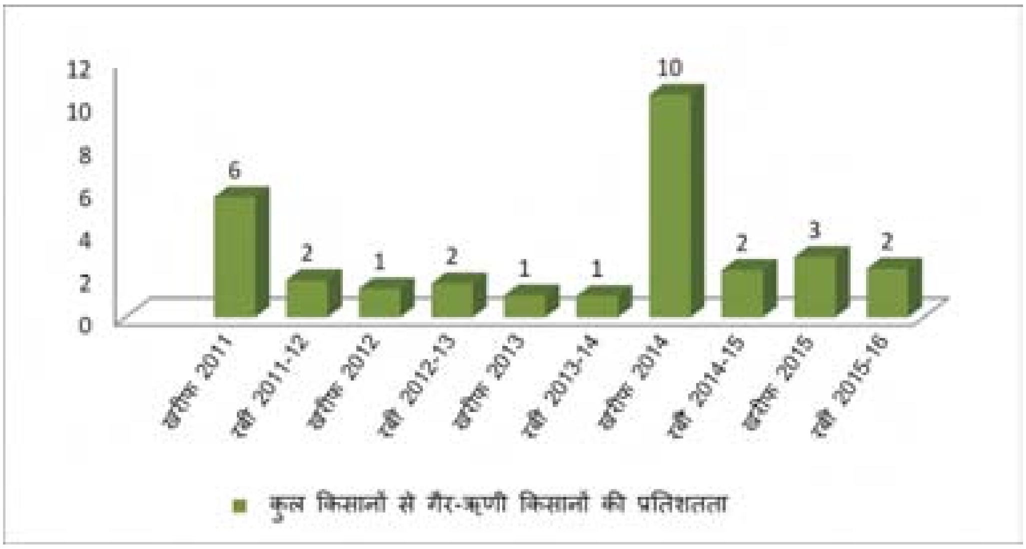

3.3.5 सभी तीन योजनाओं से संबंधित खरीफ मौसम 2011 से रबी मौसम 2015-16 के दौरान चयनित नौ राज्यों में बीमाकृत किसानों की कुल संख्या के प्रति गैर-ऋणी किसानों के कवरेज के ब्यौरे **अनुबंध-IV** में दिये गये हैं।

अनुबंध-IV से, यह देखा जा सकता है कि एनएआइएस का चयन करने वाले गैर-ऋणी किसानों का प्रतिशत कुल बीमाकृत किसानों के 28 प्रतिशत से लेकर 95 प्रतिशत के बीच है। एमएनएआइएस का चयन करने वाले गैर ऋणी किसानों का प्रतिशत 0 प्रतिशत से लेकर 5 प्रतिशत तक था और डब्ल्यूबीसीआईएस के लिए कुल बीमाकृत किसानों का 1 प्रतिशत से लेकर 10 प्रतिशत तक था। डीएसीएण्डडब्ल्यू द्वारा प्रदत्त डाटा के लेखापरीक्षा

विश्लेषण से पता चला कि एनएआईएस के मामले में, **हरियाणा** में कुल बीमाकृत किसानों के प्रति गैर ऋणी किसानों का अधिकतम प्रतिशत 1.44 प्रतिशत था और जबकि **महाराष्ट्र**[19] के मामले में, योजना के अंतर्गत शामिल सभी किसान गैर-ऋणी थे। यह भी देखा गया था कि खरीफ मौसम 2013 से खरीफ मौसम 2015 तक किसानों के कवरेज में प्रतिशतता वृद्धि 555 प्रतिशत थी एवं रबी मौसम 2013-14 से रबी मौसम 2015-16 तक किसानों के कवरेज में प्रतिशतता वृद्धि 1329 प्रतिशत की थी।

डीएसीएण्डएफडब्ल्यू को एमएनएआइएस एवं डब्ल्यू बीसीसीआइएस में गैर-ॠणी किसानों के कम कवरेज हेतु कारणों का विश्लेषण करना चाहिए। डीएसी एण्डएफडब्ल्यू को एनएआईएस के मामले में महाराष्ट्र में किसानों के कवरेज में भारी वृद्धि का भी विश्लेषण करना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि सरकारे किसानों को बीमा प्रीमियम आर्थिक सहायता दे रही थीं, एमएनएआईएस एवं डब्ल्यू बीसीआईएस का चयन करने वाले गैर-ऋणी किसानों की संख्या काफी कम थी। किसानों के कम कवरेज के कुछ महत्त्वपूर्ण कारण हो सकते है-i) कृषि समुदाय में जागरूकता का अभाव जिसे चयनित जिलों में लेखापरीक्षा द्वारा कराये गये सर्वेक्षण में देखा गया था एवं ii) किसानों के दावे के निपटान में विलंब जिस पर अनुवर्ती पैराओं में चर्चा की गयी है।

3.3.6 एमएनएआइएस और डब्ल्यूबीसीआइएस किसानों की सभी श्रेणियों के लिए समान प्रीमियम आर्थिक सहायता उपलब्ध कराता है, एनएआईएस के विपरीत जो छोटे एवं सीमांत के किसानों को ही आर्थिक सहायता देता है। परिणामस्वरूप, छोटे एवं सीमांत के किसानों का डाटा केवल एनएआइएस के अंतर्गत उपलब्ध है। लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि यद्यपि जनगणना 2011 के अनुसार, छोटे एवं सीमांत किसान (11.76 करोड़) कुल किसानों की संख्या (13.83 करोड़) के 85 प्रतिशत थे, एनएआईएस के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों का कवरेज कम था और छोटे एवं सीमांत किसानों की कुल

[19] एनएआइएस के अंतर्गत बीमाकृत सभी किसानों को गैर-ऋणी किसानों के रूप में वर्गीकृत किया गया था, चूंकि बम्बई उच्च न्यायालय ने निर्णय लिया (जून 2006) कि ऋणी किसानों का कवरेज अनिवार्य नहीं होगा जैसाकि योजना दिशानिर्देशों में परिकल्पित था।

संख्या का 2.09 प्रतिशत से 13.32 प्रतिशत के बीच था जिसका ब्यौरे **चार्ट 7** में दिया गया है।

चार्ट 7: जनगणना 2011 की तुलना में एनएआईएस के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों का कवरेज

3.3.7 लेखापरीक्षा जांच से पता चला कि यद्यपि जनगणना 2011 के अनुसार चयनित राज्यों के छोटे एवं सीमांत किसान (4.04 करोड़) चयनित राज्यों के किसानों की कुल संख्या (4.86 करोड़) का 83 प्रतिशत थे**,** एनएआइएस के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसानों का कवरेज कम था और छोटे एवं सीमांत किसानों की कुल संख्या का एक प्रतिशत से 24 प्रतिशत के बीच था जैसाकि निम्न **चार्ट** में दर्शाया गया हैः

चार्ट 8: जनगणना 2011 की तुलना में एनएआईएस के अंतर्गत चयनित राज्यों में छोटे और सीमांत किसानों का कवरेज

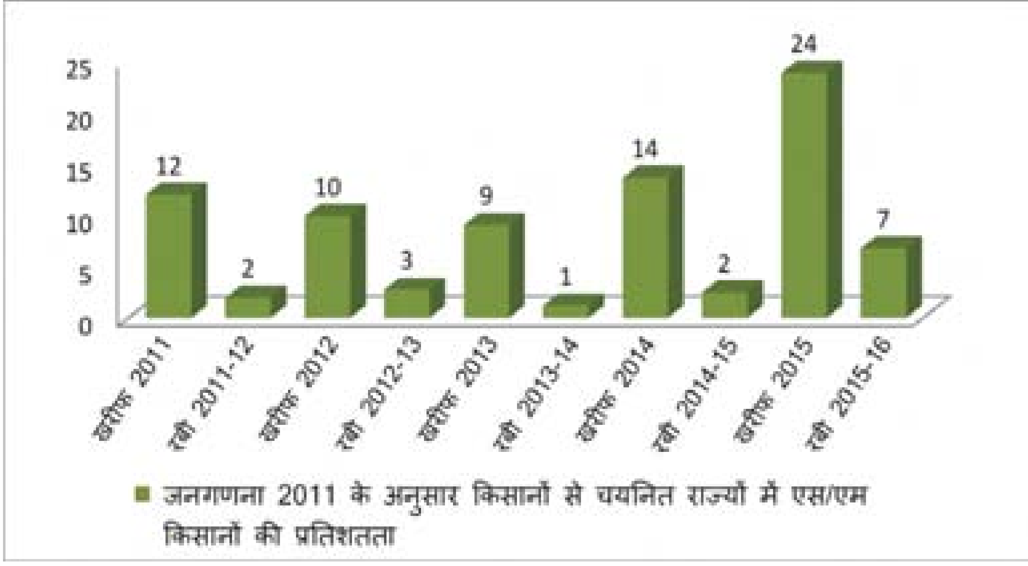

डीएसीएण्डएफडब्ल्यू को बीमा योजनाओं में छोटे और मध्यम किसानों के कम कवरेज के कारणों का विश्लेषण करना होगा।

3.3.8 दिशानिर्देशों[20] में बटाईदार एवं कास्तकारों की बीमा की व्यवस्था है। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि चूंकि ऐसा कोई विवरण राज्य सरकारों द्वारा अनुरक्षित नहीं किया गया था, यह सत्यापित करना संभव नहीं था कि योजना के लाभों को इस श्रेणी तक पहुँचाया गया है। डीएसीएण्डएफडब्ल्यू को इस श्रेणी को भी चिह्नित करने और योजना के तहत लाने के लिए तंत्र विकसित करना होगा।

3.3.9 2011-12 एवं 2015-16 के बीच, डीएसीएसण्डएफडब्ल्यू ने इन योजनाओं के तहत एससी एवं एसटी वर्ग के किसानों को शामिल करने के लिए ₹2,381.33 करोड़ का आबंटन एवं निर्गम किया था। तथापि, एआईसी ने इन श्रेणियों को वित्तीय सहायता पर अलग डाटा का अनुरक्षण नहीं किया था। इसी प्रकार, एआईसी ने योजना के तहत महिला किसानों पर डाटा का अनुरक्षण नहीं किया जबकि 2013-14 की एनसीआईपी दिशानिर्देश में एससी/एसटी एवं महिला श्रेणी के किसानों के अधिकतम कवरेज को सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास की आवश्यकता थी और डीएसीएण्डएफडब्ल्यू ने एआइसी को (दिसबंर 2011) ऐसी सूचना का अनुरक्षण करने के लिए कहा था।

[20] एनएआईएस की उपधारा 3 और एनसीआईपी दिशानिर्देशों की उपधारा 5

डीएसीएण्डएफडब्ल्यू ने बताया (दिसंबर 2016) कि नये शुरू हुए पीएमएफबीवाई के अंतर्गत फसल बीमा पोर्टल[21] पर रियल-टाइम श्रेणी-वार डाटा उपलब्ध होगी।

3.3.10 एनएआईएस के लिए एकमात्र कार्यान्वयन अभिकरण एआईसी था। दिशानिर्देशों के अनुसार, बीमाकृत किसान के चयन के अनुसार बीमाकृत फसल की सीमा उत्पादन मूल्य तक बीमाकृत राशि को बढाया जा सकता है। किसान अपनी फसल का बीमा सीमा उत्पादन से ऊपर अनुसूचित क्षेत्र के औसत उत्पादन के 150 प्रतिशत के मूल्य तक प्रीमियम का वाणिज्यिक दर पर भुगतान करके भी कर सकता है। ऋणी किसानों के मामले में, बीमाकृत राशि को कम से कम फसल ऋण अग्रिम के बराबर होना चाहिए।

एआईसी द्वारा उपलब्ध कराये गये डाटा के अनुसार, खरीफ मौसम 2012 से रबी मौसम 2015-16 की अवधि में (14 जनवरी 2017 को) यह देखा गया था कि कुल बीमाकृत किसानों के 94.58 से 98.67 प्रतिशत ने ऋण राशि के बराबर बीमाकृत राशि का चयन किया था, ब्यौरे नीचे दिये गये हैं।

तालिका 5: किसानों के ब्यौरों के साथ बीमाकृत राशि दर्शाती विवरणी

मौसम	जहां बीमाकृत राशि के बराबर है	जहां बीमाकृत राशि टीवाई के 150% के बराबर है	जहां बीमाकृत राशि टीवाई के 150% से अधिक है	किसानों की सं.	कॉलम सं. 2 की कॉलम सं. 5 से प्रतिशतता
	(संख्या हजारों में)				
1	2	3	4	5	6
खरीफ 2012	10,577	192	4	10,773	98.18
रबी 2012-13	6,144	412	33	6,590	93.24
खरीफ 2013	9,745	75	6	9,827	99.17
रबी 2013-14	3,974	84	19	4,076	97.48
खरीफ 2014	9,683	166	613	10,462	92.56
रबी 2014-15	7,010	176	1	7,187	97.53
खरीफ 2015	20,676	88	390	21,154	97.74
रबी 2015-16	6,611	167	2	6,780	97.51
कुल	**74,419**	**1,360**	**1,069**	**76,848**	**96.84**

[21] सभी संबंधित पणधारियों (विशेषकर राज्य, बैंक एवं बीमा कंपनियां) को एकल आईटी मंच पर एकीकृत करने के लिए डीएसीएण्डएफडब्ल्यू द्वारा विकसित फसल बीमा पोर्टल।

यह दर्शाता है कि या तो ऋणी किसान केवल ऋण राशि को आवृत्त करने के लिए उत्सुक थे (इस मामले में, योजना फसल बीमा से अधिक ऋण बीमा के रूप में कार्य कर रही थी) या योजना के पूरे प्रावधानों के बारे में जागरूक नहीं थे अथवा ऋण संवितरण बैंक/एफआइ द्वारा समुचित रूप से सूचित नहीं किये गये थे।

3.4 बीमा के निर्धारित क्षेत्र/इकाई क्षेत्र को अपनाना

भारत में कृषि अलग, विविधतापूर्ण एवं कई तरह के जोखिमों से भरी हुई है। बीमा के अन्य रूपों की तुलना में फसल बीमा में विषमता की समस्या अधिक गंभीर है। क्षेत्र दृष्टिकोण पर आधारित योजनाएं इन समस्याओं[22] के समाधान के रूप में 1980 में शुरू की गयी थीं। परिणामस्वरूप, लेखा परीक्षा अवधि के दौरान आवृत्त फसल बीमा योजनाओं में राज्य सरकारों को निर्धारित क्षेत्रों के रूप में लघुतम संभव इकाई को गाँव एवं ग्राम पंचायतों को प्राथमिकता देते हुए अधिसूचित करना आवश्यक है। क्षेत्र दृष्टिकोण के आधार पर, अधिसूचित क्षेत्र के सभी किसान की क्षतिपूर्ति होती है यदि निर्धारित क्षेत्र में वास्तविक उत्पादन में सीमा उत्पादन की तुलना में गिरावट दिखायी देती है, जिसे पूर्ववर्ती वर्षों के फसल उत्पादन के आधार पर परिकलित किया जाता है। लेखापरीक्षा ने हालांकि पाया कि ओडिशा को छोड़कर जहां ग्राम पंचायत को धान की फसल अर्थात् रबी 2010-11 हेतु इकाई क्षेत्र के रूप में ग्राम पंचायत को निर्धारित किया गया था, सभी अन्य चयनित राज्यों में जिला अथवा जिला समूह या ब्लॉक बीमा की इकाई बने रहे। डीएसीएण्डएफड्ब्ल्यू ने लेखापरीक्षा को उत्तर दिया (दिसंबर 2016) कि राज्य सरकारें, जो बीमा इकाई को अधिसूचित करने के लिए जवाबदेह थीं, ऐसा करने में असफल रहीं, परंतु नये पीएमएफबीवाई योजना के अंतर्गत राज्य के प्रमुख फसलों के लिए ग्राम/ग्राम पंचायत को बीमा इकाई के रूप में अधिसूचित करना राज्यों के लिए अनिवार्य है।

3.5 राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचनाएं जारी करने में विलंब

योजना दिशानिर्देश में राज्य सरकारों द्वारा प्रत्येक मौसम की शुरूआत से कम से कम एक माह अग्रिम में फसलों और शामिल क्षेत्रों को अधिसूचित करने के

[22] भारत में फसल बीमा योजनाओं के कार्यान्वयन की समीक्षा हेतु समिति का प्रतिवेदन (मई 2014)।

साथ संबंधित बीमा कंपनी को नामित करना आवश्यक होता है। लेखापरीक्षा ने हालांकि नौ चयनित राज्यों में ऐसी अधिसूचनाएं जारी करने में एनएआईएस, एमएनएआईएस एवं डब्ल्यूबीसीआईएस के मामले में क्रमशः 132 दिन, 136 दिन एवं 171 दिनों का विलंब पाया, जैसाकि विवरण **अनुबंध-V** में दिया गया है।

डीएसीएण्डएफडब्ल्यू ने विलंबों को स्वीकार किया (जनवरी 2017) लेकिन बताया कि ये प्रशासनिक कारणों से हुए थे और किसानों की भागीदारी प्रभावित नहीं हुई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है। यौजना लाभ केवल अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलों पर लिये गये ऋण पर ही दिया जा सकता है। अधिसूचना के अभाव में, बैंक/एफआई इससे अनजान रहे कि किसी विशिष्ट क्षेत्र में कौन-सी फसल और क्षेत्र शामिल होंगे और कौन सी बीमा कंपनी नामित हुई है। इस सूचना के अभाव में, यह संभव है कि बैंक/एफआई अपनी पसंद की बीमा कंपनियों (और नामित कंपनी हो यह जरूरी नहीं है) के साथ अधिसूचित एवं गैर अधिसूचित दोनों प्रकार के फसलों/क्षेत्रों का बीमा कराएंगे। दूसरी तरफ, ऐसे अनुचित विलंबों से गैर-ऋणी किसानों के मामले में प्रतिकूल चयन हो सकता है, जहाँ किसान नामित बीमा कंपनियों के पास बाद के चरण में अपनी खड़ी फसल की वास्तविक स्थिति जानने के बाद पहुँचते है और बीमा कंपनियों द्वारा उनके प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया जाता है। डीएसीएण्डएफडब्ल्यू को यह जांच करनी होगी कि कैसे इन परिस्थितियों में, राज्य सरकारें सुनिश्चित करती हैं कि इन योजनाओं के लाभ अभिप्रेत लाभार्थियों तक पहुँचाएं जाते हैं।

3.6 किसानों को बैंक/एफआई द्वारा घोषणाओं की विलंबित प्रस्तुति के कारण लाभ से वंचित रखना

फसल बीमा योजनाओं के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक/एफआई को बीमा प्रस्तावों की प्रस्तुति हेतु राज्य सरकारों द्वारा निर्धारित तिथियों का अनुपालन आवश्यक है; निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त घोषणाओं का दायित्व आईए के पास न होकर बैंक/एफआई के पास रहता है।

लेखापरीक्षा ने एआईसी से संबंधित नौ चयनित राज्यों में से छः के मामले देखे, जहाँ बैंक/एफआई ने निर्धारित तिथियों के बाद घोषणाओं की प्रस्तुति की अथवा एआईसी को कम सूचना उपलब्ध करायी जिससे प्रस्तावों को अस्वीकार

किया गया। बैंकों/एफआई द्वारा ऐसी लापरवाही लेखापरीक्षा अवधि के दौरान किसानों को बीमा सुरक्षा से वंचित रखे जाने में प्रतिफलित हुई, जैसाकि निम्न **तालिका** में दर्शाया गया है।

तालिका 6: बीमा योजनाओं से वंचित किसानों के ब्यौरे

क्र.सं.	राज्य	बीमा योजनाओं से वंचित किसानों की संख्या	संग्रहित प्रीमियम (₹ करोड़ में)
1.	असम	2,578	0.24
2.	गुजरात	10,882	1.49
3.	हरियाणा	974	0.59
4.	महाराष्ट्र	**उ.न.**	0.48
5.	ओडिशा	8,469	2.46
6.	राजस्थान	12,748	2.10
	कुल	**35,651**	**7.36**

3.7 फसल कटाई परीक्षण

फसल बीमा दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य सरकारों को फसल उत्पादन का मूल्यांकन करने के लिए अधिसूचित क्षेत्रों में सभी अधिसूचित फसलों के लिए फसल काटने के परीक्षणों (सीसीई)[23] की आवश्यक संख्या की योजना बनाकर उसे आयोजित करना होता है। इसके अतिरिक्त, उत्पादन डाटा को भी संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित क्षेत्रों के किसानों को देय बीमा दावों का मूल्यांकन करने के लिए बीमा कंपनियों को उपलब्ध कराना होता है। यदि बीमाकृत फसल (आवश्यक सीसीई की संख्या के आधार पर) के वास्तविक उत्पादन (एवाई) निर्धारित सीमा उत्पादन (टीवाई) से कम हो, अधिसूचित क्षेत्र में उस फसल को उगाने वाले सभी किसानों को गिरावट से ग्रस्त माना जाता है और उसी अनुसार उनकी क्षतिपूर्ति की जाती है। सीसीई इसलिए बीमाकृत किसानों की क्षतिपूर्ति किये जाने वाले आधार का मूल्यांकन करने के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। योजना दिशानिर्देशों के अनुसार राज्य सरकारों को फसल उत्पादन

[23] सरलतम और सामान्य तौर पर प्रयुक्त फसल उत्पादन अनुमान की विधि जहाँ निश्चित पूर्व निर्धारित क्षेत्र का चयन यादृच्छिक रूप से करके उत्पादन का आंकलन करने के लिए काटा जाता है।

एवं फसल बीमा दोनों के लिए सीसीई की एकल श्रृंखला का अनुरक्षण करना आवश्यक है।

सीसीई से संबंधित अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में दिशानिर्देश के निर्धारण से कम सीसीई का आयोजन, राज्य के कृषि विभाग द्वारा सीसीई का मॉनिटरिंग नहीं होना, निर्धारित प्रारूप में सीसीई के ब्यौरे भरने का चलता तरीका, राज्य सरकारों द्वारा उत्पादन डाटा की प्रस्तुति में विलंब आदि मामले प्रकाश में आए। चूंकि फसल खराबी के कारण किसानों के नुकसान का परिकलन जैसाकि योजना में परिकल्पित है, सीसीई के ऊपर निर्भर है, अतः फसल हानि के गलत अनुमान की संभावनाएं हैं जो बदले में किसानों को देय बीमा दावों की मात्रा को प्रभावित करेगी और कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा दावों के अस्वीकरण में भी प्रतिफलित हो सकता है जब आवश्यक संख्या में सीसीई अधिसूचित क्षेत्रों में आयोजित नहीं किये जाएंगे।

कुछ राज्य विशिष्ट कमियों पर **अनुबंध-VI** में चर्चा की गई है।

सीसीई में कमी तथा किसानो पर उनके प्रभावों को उजागर कर रहे कुछ रोचक मामला अध्ययनों को नीचे प्रस्तुत किया गया है:

मामला अध्ययन - असम

असम के धेमजी, कर्बी एगलोंग तथा हेलकांडी जिलों में ग्रीष्मकालीन धान हेतु कुल 740 किसानों को ₹231.35 लाख के लिए बीमाकृत किया गया था। आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय (राज्य में सीसीई का आयोजन करने तथा मॉनीटरिंग हेतु उत्तरदायी एक विभाग) द्वारा प्रकाशित सीसीई रिपोर्ट के अनुसार ग्रीष्मकालिन धान की वास्तविक पैदावार इन जिलों हेतु 1,535,1,742 तथा 1,786 कि.ग्रा./हैक्टर की सीमा पैदावार के प्रति 1,024,1,544 तथा 1,766 किग्रा हैक्टर थी। परिणामस्वरूप, इन जिलों के किसान बीमा क्षतिपूर्ति के पात्र थे। तथापि, यह पाया गया था कि एआईसी ने कृषि निदेशालय द्वारा प्रदत्त विवरणों के आधार पर ग्रीष्मकालिन धान को 902,1,153 तथा 1,536 कि.ग्रा./हैक्टर के रूप में माना था तथा परिणामस्वरूप उसने बीमा क्षतिपूर्ति हेतु पात्र किसानों पर ध्यान नहीं दिया था। आर्थिक एवं सांख्यिकी निदेशालय ने बताया (जनवरी 2017) कि कृषि निदेशालय को प्रदान किया गया प्रारम्भिक डाटा प्रावधानिक था तथा सीसीई रिपोर्ट में अंतिम डाटा शामिल था। एआईसी को अघतन किया गया डाटा प्रदान करने में कृषि निदेशालय की विफलता का परिणाम इन जिलों के किसानो को बीमा क्षतिपूर्ति से इन्कार में हुआ।

मामला अध्ययन- ओडिशा

ओडिशा सरकार ने केवल अगस्त 2016 (मार्च 2016 की अंतिम तिथि के प्रति) में जाकर ही खरीफ मौसम 2015 हेतु पैदावार डाटा प्रस्तुत किया था। परिणामस्वरूप, उपर्युक्त मौसम हेतु 30 जिलों में 21.53 लाख किसानों के सबंध में दावों के निपटान को केवल नवम्बर 2016 में जाकर ही अंतिम रूप दिया गया था तथा अदा किए गए थे, जबकि उस समय तक दो मौसम (रबी मौसम 2015-16 तथा खरीफ मौसम 2016) बीत गए थे तथा रबी मौसम 2016-17 के अंतर्गत बुआई प्रारम्भ हो चुकी थी।

3.8 स्वचालित मौसम स्टेशनों की कार्य प्रणाली

डब्ल्यूबीसीआईएस प्रतिकूल मौसम परिस्थितियों के परिणामस्वरूप फसलों की हानियों के प्रति किसानो का बीमा करता है। हानि अनुमान हेतु, एक संदर्भ इकाई क्षेत्र (आरयूए)[24] को विशिष्ट क्षेत्र हेतु संदर्भ मौसम स्टेशन (आरडब्ल्यूएस)[25] से जोड़ा गया है। आरडब्ल्यूएस की एसएलसीसीसीआई द्वारा उपलब्ध स्वचालित मौसम स्टेशनों (एडब्ल्यूएस) में से पहचान की जाती है। दिशानिर्देश अनुबंध करते है कि आरडब्ल्यूएस के सभी उपकरण, मौसम संसर आदि विश्व मौसम विज्ञान सगंठन (डब्ल्यूएमओ)/भारत मौसम विभाग (आईएमडी) के दिशानिर्देशों के अनुसार मानक विशिष्टताओं के होने चाहिए, उचित प्रकार से संस्थापित होने चाहिए तथा नियमित रूप से अंशशोधित होने चाहिए। दिशानिर्देश एक प्रत्यायन अभिकरण, जो समय-समय पर यादृच्छिक रूप से कुछ मौसम स्टेशनों का दौरा करेगा, द्वारा मौसम स्टेशन के उपकरणों, अनावरण परिस्थितियों, अनुरक्षण तथा डाटा गुणवत्ता के प्रमाणन का प्रावधान भी करते हैं।

---

[24] संदर्भ इकाई क्षेत्र डब्ल्यूबीसीआईएस के अंतर्गत आवृतन हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित विशिष्ट क्षेत्र है।

[25] संदर्भ मौसम स्टेशन एक विशिष्ट संदर्भ इकाई हेतु मौसम डाटा प्रदात्ता है।

आन्ध्र प्रदेश, असम, महाराष्ट्र, राजस्थान तथा **तेलंगाना** से संबंधित अभिलेखों की नमूना जांच ने आरडब्ल्यूएस के कार्य करने में निम्नलिखित कमियों को प्रकट किया:

क) कृषि विभाग ने बताया कि सभी आरडब्ल्यूएस (257) क्रियात्मक हैं परंतु स्वीकार किया कि निधियों की गैर-प्राप्ति के कारण आरडब्ल्यूएस की मॉनीटरिंग नहीं की जा सकी थी। यह स्पष्ट नहीं है कि कैसे इन आरडब्ल्यूएस द्वारा प्रदत्त मौसम डाटा की यथार्थता को सुनिश्चित किया गया है। **(असम)**

ख) लेखापरीक्षा ने पाया कि जीओआई के निर्देशों के विपरीत, उदयपुर तथा झालवार जिलों में नमूना जांच किए गए ब्लाकों में किसी भी आरडब्ल्यूएस को भूमि स्तर पर संस्थापित नहीं किया गया था। अलवर जिलें में, 133 आरडब्ल्यूएस में से केवल चार को भूमि स्तर पर संस्थापित किया गया था। इस प्रकार, इन आरडब्ल्यूएस द्वारा एकत्रित डाटा की विश्वसनीयता तथा यथार्थता को सुनिश्चित नहीं किया जा सकता था। **(राजस्थान)**

ग) दरियापूर तालूका में लेखापरीक्षा तथा विभागीय प्राधिकारियों द्वारा संयुक्त प्रत्यक्ष सत्यापन ने प्रकट किया कि आरडब्ल्यूएस को दो राजस्व परिमण्डलों में दर्शाए गए पतों पर संस्थापित नहीं किया गया था। **(महाराष्ट्र)**

घ) डब्ल्यूबीसीआईएस की प्रभावकारिता को केवल आरडब्ल्यूएस नेटवर्क के धनत्व को बढ़ा कर ही सुनिश्चित किया जा सकता है। जीओआई दिशानिर्देश (नवम्बर 2013) अनुबंध करते हैं कि जहां वर्षा तथा हवा परिस्थितियों की जांच की जानी है वहाँ आरयूए को आरडब्ल्यूएस के आर-पास 10 कि.मी. के घेरे तक सीमित किया जाएगा। तथापि, लेखापरीक्षा ने देखा कि अलवर तथा झालावर जिलों में 2011 से 2013 तक प्रत्येक तहसील स्तर पर केवल दो आरडब्ल्यूएस संस्थापित किए गए थे। इसके पश्चात् राज्य सरकार ने प्रत्येक गिर्दवार परिमण्डल[26] हेतु

[26] गिर्दवार परिमण्डल (भूमि राजस्व परिमण्डल की एक इकाई) में कुछ पटवारी परिमण्डल शामिल है।

एक आरडब्ल्यूएस को संस्थापित किया। तथापि, इन आरडब्ल्यूएस हेतु स्थान के चयन के किसी अभिलेख का अनुरक्षण नहीं किया गया था। यह दर्शाता है कि 2011 से 2013 तक आरडब्ल्यूएस का धनत्व काफी खराब था। यघपि, 2013 के पश्चात घनत्व को कुछ सीमा तक सुधारा गया था फिर भी राज्य सरकार के पास आरडब्ल्यूएस की संस्थापना के कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं थे। **(राजस्थान)**

ङ) दो चयनित राज्य तृतीय दल डाटा प्रदात्ता द्वारा प्रदत्त एडब्ल्यूएस उपकरण के प्रमाणन के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके थे जो एनसीआईपी दिशानिर्देशों के अंतर्गत प्रत्यायित किया जाना अपेक्षित था। **(महाराष्ट्र तथा राजस्थान)**

च) दिशानिर्देश अनुबंध करते है कि एडब्ल्यूएस संचारण तारों से दूर होना चाहिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि वाईएसआर कदपा में 96 में से 72 एडब्ल्यूएस विद्युत सब-स्टेशनों में स्थित थे तथा इसलिए वह संचारण तारो से दूर नहीं थे। **(आन्ध्र प्रदेश)**

छ) मेहबूबनगर तथा निजामाबाद जिलों में चार एडब्ल्यूएस विघुत सब-स्टेशनों में स्थित थे तथा इसलिए वह संचारण तारों से दूर नहीं थे। **(तेलंगाना)**

लेखापरीक्षा में पाई गई आररडब्ल्यूएस से संबंधित कुछ कमियों के फोटोग्राफ नीचे दिए गए है:

दमपलगट्टू विद्युत स्टेशन के पास स्थित एडब्ल्यूएस (11724), दमपलगट्टू, काजीपेट मंडल, कदापा जिला (आन्ध्र प्रदेश)

चितंकुटना विद्युत स्टेशन के पास स्थित एडब्ल्यूएस (11717), रामपुर, दुव्वुर मंडल, कडापा जिला (आन्ध्र प्रदेश)

3.9 कृषि विभाग को मौसम डाटा प्रदान करने में विलम्ब

डब्ल्यूबीसीआईएस हेतु एनसीआईपी दिशानिर्देशो का पैरा 8.5.1 प्रावधान करता है कि राज्य सरकार को संदर्भ इकाई क्षेत्र (आरयूए), संदर्भ मौसम स्टेशन (आरडब्ल्यूएस) तथा बैकअप मौसम स्टेशनो को अधिसूचित करना चाहिए। सभी दावों का आरडब्ल्यूएस द्वारा दर्ज डाटा के आधार पर निपटान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, राज्य कृषि विभाग को, नोडल अभिकरण होने से, ऐसी परिस्थितियों को शामिल करना चाहिए जिसे वह योजना के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु उपयुक्त समझे।

महाराष्ट्र सरकार ने एक सरकारी संकल्प (सितंबर 2014) के माध्यम से अनुबंध किया कि तृतीय दल डाटा प्रदात्ता से बीमा कम्पनियों द्वारा प्राप्त मौसम डाटा को बैबसाईट पर डाले जाने के लिए प्रत्येक सप्ताह बागवानी विभाग (डीओएच) को भेजा जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2014-15 के दौरान बीमा कम्पनियो ने न तो डाटा प्रदात्ता से प्रत्येक सप्ताह मौसम डाटा एकत्रित किया था और न ही उसे डब्ल्यूबीसीआईएस (बागवानी) के अंतर्गत साप्ताहिक रूप से डीओएच को प्रस्तुत किया था। टाटा एआईसी जर्नल इंसोरेशन कम्पनी लि. के अभिलेखो की नमूना जांच ने प्रकट किया कि नवम्बर 2014 से फरवरी 2015 (4 महीनों) की अवधि हेतु जिला अहमदनगर का मौसम डाटा 24 जूलाई 2015 को डाटा प्रदात्ता (एनसीएमएल, हैदराबाद) से एकत्रित किया गया था तथा इसे, सरकारी संकल्प के उल्लघंन में, 19 से 34 सप्ताहों के बीच के विलम्ब से डीओएच को प्रेषित किया गया था। राज्य सरकार ने बताया (जनवरी 2017) कि सभी कम्पनियों को निर्धारित समय के भीतर अपनी वैबसाईट पर डाटा प्रकाशित करने का निर्देश दिया जाएगा।

3.10 बुवाई क्षेत्र के आधिक्य में बीमाकृत क्षेत्र

3.10.1 दिशानिर्देश परिकल्पित करते है कि बुवाई न हुए क्षेत्रों के लिए दिए गए ऋण, योजना द्वारा आवृत्त नहीं होंगे। किसान केवल इसलिए मुआवजे को प्राप्त करने के लिए योग्य नहीं होगा कि बैंक/एफआई ने ऋणों को संवितरण कर दिया है या (गैर-ऋणी किसानों के मामले में) प्रस्ताव प्रस्तुत कर दिए गए

हैं। राज्य सरकार से अपेक्षित है कि वह फसल मौसम के दौरान जिला स्तरीय मॉनीटरिंग समितियों (डीएलएमसी) के माध्यम से स्थिति पर कड़ी निगरानी रखें।

आन्ध्र प्रदेश, **महाराष्ट्र**, **ओडिशा** और **तेलंगाना** में लेखापरीक्षा में नमूना जांच से पता चला कि 2011-12 और 2015-16 के दौरान 12 जिलों में बुवाई क्षेत्र से बीमाकृत क्षेत्र 17.33 लाख हेक्टर तक अधिक था जिसका विवरण **अनुबंध-VII** में दिया गया है। ए.आई.सी. के पास उपलब्ध अभिलेखों की जांच में, लेखापरीक्षा ने पाया कि **तेलंगाना** के निज़ामाबाद और महबूबनगर जिलों के मामले में क्षेत्र सुधार कारक (एसीएफ)[27] लागू किया गया था और किसानों के दावे **₹** 10.13 करोड़ तक कम कर दिए गए थे। **महाराष्ट्र** और **ओडिशा** के मामले में, एआईसी ने बताया (फरवरी 2017) कि इसे लागू नहीं किया गया था क्योंकि (i) महाराष्ट्र के मामले में वास्तविक क्षेत्र बुवाई आंकड़े का अनुमान केवल देखकर लगाया गया था और अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित फसलों के लिए वास्तविक बुवाई क्षेत्र विवरणों की गैर उपलब्धता के आधार पर लगाया गया था, और (ii) ओड़िशा राज्य सरकार, राज्य सरकार के अर्थशास्त्र और सांख्यिकी द्वारा प्रदत्त बुवाई क्षेत्र डाटा की गुणवत्ता से सहमत नहीं थी। इस प्रकार, राज्य सरकारों द्वारा प्रदत्त और एआईसी द्वारा प्रयुक्त डाटा की प्रमाणिकता को सुनिश्चित नहीं किया गया था।

3.10.2 लेखापरीक्षा ने यह पाया कि **राजस्थान** सरकार ने रबी मौसम 2013-14, खरीफ मौसम 2014, खरीफ मौसम 2015 और रबी मौसम 2015-16 में चयनित जिलों में फसल बीमा की अधिसूचनाएं विभिन्न बीमा कम्पनियों के हित में यह जानने के बावजूद कि उसमें अनुपजाऊ क्षेत्र (वह क्षेत्र जिसमें विभिन्न कारणों से बीज नहीं उगते हैं) शामिल नहीं है, इस शर्त के साथ जारी कर दी कि गिरदवारी (फसल उत्पादन की ऐसी रिपोर्ट जो बुवाई समय के तीन चार माह तक संचालित की जाती है) में सूचित फसल क्षेत्र के आधार पर दावों

---

[27] क्षेत्र सुधार कारक किसी भी दिए गए यूनिट क्षेत्र के लिए बीमाकृत क्षेत्र द्वारा बुवाई क्षेत्र को भाग करके निकाला जाता है और इसे कम करने के दावा राशि पर लगाया जाता है। परिणामस्वरूप, एक यूनिट क्षेत्र में सभी किसानों के दावे समान रूप से कम किए जाते है।

का निपटान किया जाएगा। चार जिलों में फसलों की निष्फलता के कारण राज्य की सहमति के बिना बीमा कम्पनियों ने ए.सी.एफ. लागू कर दिया था और 3.89 लाख लाभांवित किसानों के लिए बुवाई क्षेत्र 2.27 लाख हेक्टयर तक कम कर दिया गया था। इसके परिणामस्वरूप बीमा दावों के कारण ऋणी किसानों को ₹31.27 करोड़ की हानि हुई थी। इसके अतिरिक्त, बिना किसी बीमा कवरेज के 'अनुपजाऊ क्षेत्र' के लिए अतिरिक्त बीमा किस्त भुगतान के कारण इन किसानों को ₹8.68 करोड़ की भी हानि हुई थी क्योंकि किसानों द्वारा भुगतान की गई बीमा-किस्त राशि की वापसी नहीं की गई थी। यद्यपि, बीमा कम्पनियों की कार्रवाई गिरद्वारी के उपयोग से संबंधित सरकार के अपने निर्देशों के अनुसार थी, यह एनसीआईपी के परिचालन दिशानिर्देश के उल्लंघन में था जिसमें बताया गया है कि जोखिम अवधि (अर्थात्, बीमा अवधि) बुवाई अवधि से फसल की परिपक्वता तक होगी।

3.10.3 बुवाई क्षेत्र के आधिक्य में बीमा क्षेत्र में विसंगति यह दर्शाती है कि बैंक/एफआई द्वारा किसानों से बीमा-किस्त एकत्रित करते हुए यह सुनिश्चित नहीं किया गया था कि किसानों ने वास्तव में घोषित फसलें बोई थीं**,** जिसके लिए वे फसल ऋण ले रहे थे और इससे यह निहित होता है कि कुछ बीमा ऋण के लिए थे न कि फसल के लिए। ऋण इसके कारण उसी मौसम के दौरान एक ही फसल के लिए दो या तीन बार दावों का भुगतान किया गया था। उदाहरणात्मक मामला अध्ययन नीचे दिए गए है:

मामला-अध्ययन-महाराष्ट्र

महाराष्ट्र में, तालुका कृषि अधिकारी (टीएओ), पार्ली जिला बीड़ के अभिलेखों की नमूना जांच में प्रकट किया कि खरीफ मौसम 2015 के लिए 66,042 हेक्टेयर कृषि योग्य क्षेत्र में से बोया हुआ क्षेत्र 51,397 हेक्टेयर था जबकि बीमाकृत क्षेत्र 1,11,615 हेक्टेयर था। इस प्रकार, बीमाकृत क्षेत्र कृषि योग्य क्षेत्र से 45,573 हेक्टेयर (खेती के अंतर्गत 69 प्रतिशत क्षेत्र) और बुवाई क्षेत्र से 60218 हेक्टेयर (बुवाई क्षेत्र) का 117 प्रतिशत) से अधिक था। यह दोहरा बीमा लिए जाने की संभावना को दर्शाता है। पार्ली तालुका में तीन बैंकों (भारतीय स्टेट बैंक, बीड जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र) द्वारा किए गए दावा भुगतानों के पार सत्यापन करने पर यह पाया गया कि खरीफ मौसम 2015 के लिए उसी फसल के लिए दो या तीन बार किसानों (सरदगांव में 125 किसानों को ₹26.72 लाख और धर्मपुरी में चार किसानों को ₹2.15 लाख) को दावों का भुगतान किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि स्टेट बैंक ऑफ हैदाराबाद, पार्ली शाखा ने जिलाधीश, बीड़ को ₹27.58 लाख तक की राशि के दोगुने बीमा दावों के 88 मामले सूचित किए थे (जून 2016)।

टीएओ, पार्ली ने लेखापरीक्षा को उत्तर दिया (अगस्त 2016) कि यद्यपि बुवाई क्षेत्र रिपोर्ट टीएओ द्वारा अनुरक्षित की जाती है, किसानों की संख्या और बीमाकृत क्षेत्र से संबंधित डाटा बैंक और कम्पनी द्वारा अनुरक्षित किये जाते हैं। लीड जिला प्रबंधन (एलडीएम), बीड़ ने बताया कि बैंक केवल संयोजक के रूप में कार्य करता है और बैंक द्वारा प्राप्त शिकायतों को उचित कार्रवाई हेतु जिलाधीश को भेज दिया जाता है। किसान को दुगुने दावों के आधार पर भुगतान किए जाने के मामले पर कोई उत्तर नहीं दिया गया था।

राज्य सरकार ने तथ्यों को स्वीकार किया और बताया कि बुवाई क्षेत्र केवल देखकर लगाए गए अनुमानों पर आधारित है और इसलिए विश्वसनीय नहीं है। नकली/विभिन्न दावों के भुगतान के मामले से बचने के लिए, यह प्रस्ताव स्तर पर आधार कार्ड का उपयोग करने या प्रयोजन रखेंगे। उन्होंने आगे बताया कि बीड़ जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक के माध्यम से भुगतान योग्य ₹57.67 करोड़ के दावों की वापसी ए.आई.सी. को कर दी गई है।

मामला अध्ययन-गुजरात

चूंकि खरीफ मौसम 2011 के दौरान बुवाई क्षेत्र और बीमाकृत क्षेत्र में विसंगतियां थीं, **गुजरात** में एसएलसीसीसीआई ने खरीफ मौसम 2012 के लिए अधिसूचना में किसानों द्वारा बुवाई घोषणा पत्र प्रस्तुत करने का प्रावधान डाला था। हालांकि, एसएलसीसीसीआई की सहमति के बिना खरीफ मौसम 2012 के लिए राज्य सरकार द्वारा इस प्रावधान को वापस ले लिया गया था। एआईसी ने दावों के निपटान के समय पर एनएआईएस के अंतर्गत खरीफ मौसम 2011 में दो फसलों वाली 16 अधिसूचित तालुकाओं में बुवाई क्षेत्र और बीमाकृत क्षेत्र और खरीफ मौसम 2012 में 48 अधिसूचित तालुकाओं में बीमाकृत क्षेत्र और वास्तव में बोए हुए क्षेत्र में काफी विसंगतियां पायी थीं।

3.11 दावों की स्थिति

3.11.1 एनएआईएस दिशानिर्देश प्रदत्त करते हैं कि अंतिम तिथियों के अनुसार राज्य सरकारों से एक बार डाटा प्राप्त होते ही प्रत्येक अधिसूचित क्षेत्र के लिए दोवों को तैयार कर लिया जाना चाहिए। दावों के भुगतान के लिए आवश्यक निधियों को जीओआई और राज्य सरकारों द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए और अलग-अलग किसानों के खातों में आगे क्रेडिट के लिए बैंक/एफआई के नोडल बिन्दुओं को दावा राशि जारी की जानी चाहिए। दूसरी ओर, एनसीआईपी दिशानिर्देश प्रदान करते है कि बीमा प्रीमियम के लिए सरकारी आर्थिक सहायता और राज्य से उपज/मौसम डाटा की प्राप्ति के 45 दिनों के भीतर कार्यान्वयन अभिकरणों (आईए) द्वारा दावों के निपटान कर दिये जाने चाहिए।

3.11.2 लेखापरीक्षा ने पाया कि **अनुबंध-VIII** में उल्लिखित विवरणों के अनुसार अगस्त 2016 तक ₹7,010 करोड़ (एनएआईएस), ₹332.45 करोड़ (एमएनएआईएस) और ₹999.28 करोड़ (डब्ल्यूबीसीआईएस) तक की राशि के दावे लंबित है। डीएसीएण्डएफडब्ल्यू ने बताया (जनवरी 2017) कि राज्य सरकारों के बीमा-किस्त अंश की गैर-प्राप्ति, मुकदमों, राज्य सरकारों द्वारा दावों के सत्यापन, के कारण दावे लंबित थे।

3.11.3 एआईसी के अभिलेखों की संपत्ति की संवीक्षा से पता चला कि 2011-16 के दौरान नौ चयनित राज्यों में पांच में नीचे दिए गए विवरणों के अनुसार दावों के निपटान में 1,069 दिनों के विलंबों के साथ 45 दिनों के निर्धारित समय से अधिक का समय लिया:

तालिका 7: दावों के निपटान में समय-वार विलंब

राज्य	योजना	मौसमों की संख्या	विलंब (दिनों में)
आन्ध्र प्रदेश	एनएआईएस.	9	99 से 1069
	एमएनएआईएस	7	99 से 689
असम	एनएआईएस	5	109 से 352
	एमएनएआईएस	4	111 से 235
ओड़िशा	एनएआईएस	6	115 से 810
	एमएनएआईएस	3	26 से 81
राजस्थान	एमएनएआईएस	4	3 से 122
	डब्ल्यूबीसीआईएस	3	24 से 144
तेलंगाना	एनएआईएस	1	144
	एमएनएआईएस	1	192

एआईसी ने बताया (अक्टूबर 2016) कि जीओआई और राज्य सरकरों दोनों से बीमा-किस्त आर्थिक सहायता और दावों में अंश (एनएआईएस के मामले में) की प्राप्ति पर दावों का निपटान किया जाता है। मौसम डाटा में अंतराल थे जिन्हें मुख्य रूप से सरकारी अभिकरणों से बैकअप मौसम स्टेशन से डाटा प्राप्त करके भरा जाना था। राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित बुवाई डाटा प्रदान करने में भी बिलंब थे और प्रश्नों के स्पष्टीकरणों को प्रदान करने में बैंकों ने भी विलंब किया था। इसके अतिरिक्त, एनएआईएस के मामले में क्षेत्र सुधार कारक को लागू करने के लिए राज्य सरकारों की सहमति मांगी गई थी। परंतु तथ्य यही रहा कि इन मामलों में किसानों को बीमा दावों का सामयिक लाभ अस्वीकृत किया गया था। डीएसीएंडएफडब्ल्यू द्वारा उपायों को शामिल करना अपेक्षित है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार हितधारक निर्धारित समयसीमाओं का पालन करें ताकि योजनाओं के लाभ समय पर कृषि समुदाय तक पहुँचे।

3.12 बैंक/एफआई के निष्पादन में कमियां

योजना के दिशानिर्देश निर्धारित करते है कि बैंक/एफआई कवरेज चाहने वाले किसानों से व्यक्तिगत प्रस्ताव प्राप्त करेंगे तथा प्रस्तावों को जांचना, बीमा-किस्त स्वीकार करना, प्रस्तावों की समेकित करना और निर्धारित अंतिम तिथियों के भीतर नामित नोडल बिन्दु के माध्यम से उन्हें पहुंचाया जाए। बैंक/एफआई की संबंधित शाखओं से अपेक्षित है कि वह भूमि अभिलेखों, क्षेत्रफल के विवरणों/पेडों की संख्या, बीमाकृत राशि, आदि को सत्यापित करे और यह भी सुनिश्चित करे कि उनसे हुई गलतियों/चूकों/कमीशन के कारण योजनाओं के अंतर्गत किसी भी लाभ से किसान को वंचित नहीं रखा गया है और ऐसी गलतियों के मामले में ऐसी, सभी हानियों को संबंधित संगठन पूरा करेंगे।

चयनित राज्यों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से ऐसे मामलों के बारे में पता चला कि जहां बैंक/एफआई के प्रस्तावों के प्रस्तुतीकरण में कमियों (₹37.01 करोड़) किसानों के बैंक खातों में प्रतिपूर्ति दावों का प्रेषण करने में बैंक/एफआई द्वारा 249 दिनों तक के विलंब (₹443.05 करोड़); आईए द्वारा निधियों की अंतरित किए जाने के बावजूद लाभार्थियों के खातों में बैंक/एफआई द्वारा प्रतिपूर्ति दावों का प्रेषण न किया जाना (₹2.54 करोड़), आदि के कारण किसानों के दावे कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा अस्वीकृत किए गए थे। ऐसी कमियों के विवरण **अनुबंध-IX** में दिए हैं। लेखापरीक्षा में पाए गए उदाहरणात्मक मामला अध्ययनों की चर्चा नीचे की गई है:

मामला अध्ययन-ओड़िशा

ओड़िशा में, बैंकों के नोडल बिन्दुओं द्वारा गलतियों और चूकों के कारण, पात्रता के बावजूद दो से छ: वर्षों के बाद भी खरीफ मौसम 2010 से खरीफ मौसम 2014 के बीच एआईसी द्वारा 1,186 किसानों के संदर्भ में ₹2.12 करोड़ के बीमा दावों का निपटान नहीं किया गया था। हालांकि, राज्य सरकार ने भी दोषी बैंकों को योजना दिशानिर्देशों के अनुसार अपने स्रोतों से दावों का निपटान करने का आदेश नहीं दिया है।

मामला अध्ययन-ओड़िशा

ओडिशा के बालगीर जिले के मुंडापदर ग्राम पंचायत में, उत्कल ग्राम्य बैंक (यूजीबी) ने 31 अगस्त 2011 की निर्धारित तिथि के प्रति एआईसी को अक्तूबर 2011 में खरीफ मौसम 2011 के लिए एनएआईएस के अंतर्गत 414 गैर-ऋणी किसानों के बीमा प्रस्ताव प्रेषित किए थे। परिणामस्वरूप एआईसी ने घोषणा पत्रों को स्वीकार नहीं किया और किसान जिन्हें बाद में ₹66.93 लाख की फसल की हानि हुई थी, उन्हें प्रतिपूर्ति देने से इन्कार कर दिया गया था। यद्यपि, राज्य सरकार ने यूजीबी को अपने संसाधनों से किसानों को प्रतिपूर्ति करने के निर्देश दिए (फरवरी 2013) थे, आजतक यूजीबी ऐसा करने में विफल रही है।

मामला अध्ययन-ओड़िशा

ओडिशा में, खरीफ मौसम 2011 के दौरान, गैर-ऋणी किसान एनएआईएस और डब्ल्यूबीसीआईएस के अंतर्गत कवरेज के लिए योग्य थे। लेखापरीक्षा में यह पाया गया था कि बालांगिर जिले में तितीलागढ़ के 1,366 गैर-ऋणी किसानों ने एनएआईएस के अंतर्गत बीमा के लिए प्रस्ताव इंडियन ओवरसीस बैक, पंजाब नेशनल बैंक और उत्कल ग्राम्य बैंक (यूजीबी) के समक्ष प्रस्तुत किए थे। इन बैंकों ने गलती से डब्ल्यूबीसीआईएस (जोकि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित योजना के अंतर्गत आवृत्त नहीं थी) के अंतर्गत प्रस्तावों को वर्गीकृत कर दिया था और एआईसी को भेज दिया था, जिसने फसल हानियों की प्रतिपूर्ति के लिए अनुवर्ती दावों को अस्वीकार कर दिया था। तथ्य ढूढने वाली समिति के निष्कर्षों के आधार पर राज्य सरकार ने बैंकों को अपने संसाधनों से किसानों की हानियों को भरपाई करने के आदेश दिए। हलांकि, आज तक बैंकों ने किसानों को मुआवजा नहीं दिया है।

मामला अध्ययन-महाराष्ट्र

महाराष्ट्र के चार जिलों (अमरावती, अहमदनगर, बीड़ और यवतमल) में, एनएआईएस/डब्ल्यू-बीसीआईएस (खरीफ-2014-15) के अंतर्गत ₹72.49 करोड़ के फसल बीमा दावों को नौ बैंकों द्वारा रोका गया था और खातों का पता न लगने, खाता संख्याओं में कमियों, बैंकों के पास काफी अधिक कार्य आदि जैसे विभिन्न कारणों से किसानों के खाते में क्रेडिट नहीं किए गए थे। लेखापरीक्षा संवीक्षा ने आगे पाया कि यद्यपि यवतमल जिला केन्द्रीय सहकारी (वाईडीसीसी) बैंक ने यह प्रमाणित करते हुए कि किसानों के खातों में एनएआईएस (खरीफ मौसम 2015) के अंतर्गत ₹101.31 करोड़ की संपूर्ण दावा राशि किसानों के खातों में क्रेडिट की गई थी, मई 2016 में यूसी प्रस्तुत किए थे, उनकी पुसार शाखा में ₹98.88 लाख असंवितरित पड़े हुए थे।

3.13 बीमा कम्पनियों के निष्पादन में कमियाँ

3.13.1 एनसीआईपी दिशानिर्देशों के अनुसार, पैनल में शामिल बीमा कम्पनियों से अपेक्षित है कि वह योजना विशेषताओं के बारे में किसानों को शिक्षित करे। फसल की किसी भी प्रकार की हानि होने पर, बीमा कम्पनियों से अपेक्षित है कि वह निर्धारित दिनों के भीतर दावों का निपटान करें। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि बीमाकृत किसानों को गलतियों/कमियों/कमीशनों के कारण योजनाओं के अंतर्गत किसी भी लाभ से वंचित न रखा जाए और यदि ऐसा हुआ तो संबंधित एजेंट/बीमा कम्पनी ऐसी हानियों की भरपाई करेंगे। आईए के निष्पादन से संबंधित लेखापरीक्षा में नमूना जांच के दौरान कमियां पाई गई थी जिनकी चर्चा नीचे की गई है:

➢ अभिलेखों की संवीक्षा से पता कि आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल बीमा कम्पनी ने रबी मौसम 2012-13 के दौरान **राजस्थान** में 21,875 गैर ऋणी किसानों से प्रस्ताव प्राप्त किए और किसानों से ₹2.35 करोड़ की बीमा किस्त एकत्रित की थी। तत्पश्चात, बीमा कम्पनी ने प्रासंगिक दस्तावेजों की

अपर्याप्तता के कारण 14,753 किसानों के प्रस्ताव अस्वीकृत किए थे परंतु सितम्बर 2016 तक इन किसानों को ₹1.46 करोड़ की बीमा-किस्तें वापस नहीं की थीं। राज्य सरकार द्वारा गैर-ऋणी किसानों को ₹1.46 करोड़ की बीमा-किस्त की राशि को वापसी करवाने के लिए किसी कार्रवाई की शुरूआत नहीं की गई हैं।

➢ डब्ल्यूबीसीआईएस के पैरा 25.4 (ii) के अनुसार, कार्यान्वयन अभिकरणों से अपेक्षित है कि वह सभी लेनदेनों के अनुरक्षण हेतु एक अलग खाता खोले। लेखापरीक्षा ने पाया कि **हरियाणा और महाराष्ट्र** में निजी बीमा कम्पनियों ने ऐसे खातों का अनुरक्षण नहीं किया था। बीमा कम्पनियों ने बताया (सितम्बर 2016) कि राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा ऐसी किसी आवश्यकता के बारे में नहीं बताया गया था। योजना दिशानिर्देशों की दृष्टि से यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है।

3.13.2 एनसीआईपी दिशानिर्देश परिकल्पित करते है कि पैनल में शामिल बीमा कम्पनियों को पैनल से निकाल दिया जाना संभाण्य है यदि उनका निष्पादन औसत से कम था। नीचे उल्लेख किए गए मामलों, लेखापरीक्षा में पैनल बीमा कम्पनियों द्वारा निम्न स्तरीय निष्पादनों के बावजूद डीएसीएण्डएफडब्ल्यू द्वारा कार्रवाई न किए जाने का उदाहरण पाया गया था।

➢ **राजस्थान** में, राज्य सरकार द्वारा खरीफ मौसम 2014 के अंत में अंतिम सात फसल मौसमों के लिए राज्य सरकार द्वारा एचडीएफसी एरगो जनरल बीमा कम्पनी लिमिटेड का निष्पादन औसत से कम घोषित किया था। हालांकि, डीएसीएंडएफडब्ल्यू ने बीमा कम्पनी को पैनल से निष्काषित करने की राज्य सरकार की अनुशंसा पर कोई कार्रवाई नहीं की है।

➢ **हरियाणा** में, चयन के बावजूद निम्नलिखित बीमा कम्पनियां निष्पादन करने में विफल रही: (i) रबी मौसम 2012-13 के दौरान रेवाड़ी जिले में डब्ल्यूबीसीआईएस के लिए आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड जनरल बीमा कम्पनी लिमिटेड (ii) रबी और खरीफ मौसम 2014-15 के लिए करनाल जिले में डब्ल्यूबीसीआईएस के लिए रिलायन्स जनरल बीमा कम्पनी लिमिटेड; और (iii) रबी खरीफ मौसम 2014-15 के लिए रेवाडी जिले में डब्ल्यूबीसीआईएस के लिए बजाज अलायन्ज जनरल बीमा कम्पनी लिमिटेड। हालांकि, राज्य सरकार

ने कम्पनियों को पैनल से निष्कासित करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की क्योंकि उनके विचार से उनके पास ऐसा करने की शक्तियां नहीं थी।

3.14 बीमा कम्पनियों का गलत चयन

डब्ल्यूबीसीआईएस दिशानिर्देशों के अनुसार एसएलसीसीसीआई से अपेक्षित है कि वह जिले के भीतर अधिसूचित फसलों के बीमा के लिए पैनल में शामिल बीमा कम्पनियों से प्राप्त सबसे कम बोलियों का विचार और चयन करें। मौसम के लिए जिले में सभी अधिसूचित फसलों के लिए भारित बीमा-किस्त की गणना बताए गए प्रतिशतता बीमा-किस्त दर, बोए गए क्षेत्र और बीमाकृत राशि को गुणा करके करनी थी।

ऐसे चयन की लेखापरीक्षा जांच से पता चला, कि हालांकि 2014-15 और 2015-16 (चार मौसमों) के खरीफ और रबी मौसमों के लिए **राजस्थान** के कृषि विभाग ने बीमा-किस्त की प्रतिशतता को संम्पूर्ण आंकड़े में लेकर (इसे बीमाकृत राशि की प्रतिशतता के रूप में न लेकर) और विशिष्ट बोलीदाता (एलआई) का आकलन करने के लिए इसे बोए हुए क्षेत्र से गुना करके गलत तरीके से बोलियों का आकलन किया था। इसने एलआई निर्धारण को विषम बना दिया जिससे तीन जिलों (बीमाकृत वास्तविक क्षेत्र पर आधारित) के संबंध में उच्चतर बीमा-किस्त हुई जिसे **तालिका-8** में दर्शाया गया है।

तालिका 8: बीमाकम्पनियों के गलत चयन का वित्तीय प्रभाव

राज्य	जिला	कृषि विभाग द्वारा निर्धारित रूप में एलआई	योजना के अनुसार एलआई	गलत चयन का वित्तीय प्रभाव (₹ करोड़ में)
2014-15	कारांकुल	ईफको	आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड	0.17
	सिरोही	आईसीआईसीआई लॉम्बार्ड	एचडीएफसी एरगो	1.28
2015-16	दौषा	बजाज अलायन्ज	एआईसी	1.13
कुल प्रभाव				**2.58**

राज्य सरकार ने बताया (दिसम्बर 2016) कि बीमा-किस्त आमंत्रित करने के लिए एनसीआईपी के दिशानिर्देश और राज्य कृषि विभाग द्वारा जारी पत्रों में

यह उल्लेख किया गया है कि भारित बीमा-किस्त की गणना बीमा-किस्त और बुवाई क्षेत्र के आधार पर होगी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि राज्य सरकार के अनुदेश योजना दिशानिर्देशों से भिन्न थे।

निष्कर्ष

दिशानिर्देशों के अंतर्गत आवश्यकता की अनुपस्थिति में, बीमा-किस्त आर्थिक सहायता और दावा के माध्यम से काफी वित्तीय योगदान के बावजूद किसी भी योजना के अंतर्गत् लाभार्थियों (कृषि-वार, फसल-वार और क्षेत्र-वार) के डाटाबेस को अनुरक्षित करने में न तो सरकारों (जीओआई और राज्य सरकार) और न ही आईए की कोई भूमिका है। परिणामस्वरूप, वह बैंको/एफआई के ऋण संवितरण शाखाओं द्वारा समेकित प्रारूप में प्रस्तुत सूचना पर पूर्ण रूप से निर्भर है। जनगणना 2011 के अनुसार, किसानों की जनसंख्या से योजनाओं के अंतर्गत किसानों का कवरेज बहुत कम था। इसके अतिरिक्त, गैर-ऋणी किसानों का कवरेज नगण्य था। योजनाओं के अंतर्गत उनके कवरेज के लिए प्रदत्त दिशानिर्देश के तथ्य के बावजूद बटाईदार और काश्तकारों का कोई डाटा अनुरक्षित नहीं किया गया था। यद्यपि, बजट आवंटन में एससी/एटी श्रेणी के कवरेज के लिए विशिष्ट प्रावधान शामिल थे, इस श्रेणी के लिए ऐसी कवरेज और निधियों के उपयोग का कोई डाटा अनुरक्षित नहीं किया गया था। यह पाया गया था कि एनएआईएस के अंतर्गत ऋण राशि के बराबर बीमाकृत राशि के लिए 97 प्रतिशत किसानों ने चयन किया था जोकि दर्शाता है कि या तो ऋणी किसान केवल ऋण राशि को आवृत्त करना चाहते थे (ऐसे मामले में, योजना फसल बीमा से अधिक ऋण बीमा के रूप में कार्यरत रही) या उन्हें जानकारी नहीं थी या फिर योजना के संपूर्ण प्रावधानों के बारे में ऋण संवितरण करने वाले बैंक/एफआई द्वारा उन्हें जानकारी प्रदान नहीं की गई थीं। जबकि, योजनाओं में परिभाषित क्षेत्र को सबसे छोटी ईकाईं तक प्रावधान किया गया है, केवल **ओडिशा** ने रबी मौसम 2010-11 से धान की फसल के लिए इकाई के रूप में गांव को परिभाषित करके प्राप्त किया। सीसीई और मौसम डाटा में कमियां पाई गई थीं। बोए हुए बीमाकृत क्षेत्र में और बुवाई क्षेत्र के डाटा में अंतर था। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त और एआई द्वारा उपयुक्त डाटा की सत्यता को सुनिश्चित नहीं किया था। अधिसूचनाओं को

जारी करने, निधारित तिथियों के भीतर बैंक/एफआई से घोषणा पत्र की प्राप्ति में विलंब थे, राज्य सरकारों से उपज डाटा की प्राप्ति में विलंब थे, और किसानों के खातों में बैंक/एफआई द्वारा दावों के संवितरण में अनियमितताएं थीं।

अनुशसाएं

i. यह सुनिश्चित करने के लिए कि योजनाओं के लाभ उद्दिष्ट लाभार्थियों तक पहुंचे, जीओआई और राज्य सरकारों को मॉनीटरिंग के उद्देश्य के लिए लाभार्थी किसानों के विस्तृत डाटाबेसों को अनुरक्षित/पहुंच किया जाना चाहिए और बीमा योजनाओं का अधिक प्रभावी कार्यान्वयन किया जाना चाहिए।

ii. डीएसीएण्डएफडब्ल्यू को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी उपाय करने चाहिए कि किसानों की अधिक संख्या को येाजनाओं के अंतर्गत लाया जाए और ज्यादा गैर-ऋणी किसानों को योजनाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

iii. राज्य सरकारों को बीमा के लिए परिभाषित क्षेत्र के रूप में गांव को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए ताकि योजनाएं कृषि समुदाय के लिए उचित रूप से लक्षित हों।

iv. डीएसीएण्डएफडब्ल्यू और राज्य सरकारों को विश्वसनीय तंत्र प्रदान करने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वास्तविक बुवाई क्षेत्र के विवरण सही है क्योंकि प्रभावित किसानो को भुगतान योग्य बीमा दावों की राशि इस पर निर्भर है।

v. डीएसीएण्डएफडब्ल्यू को फसल उपज के और सही आकलन के लिए उपाय (जहां संभव हो तकनीक के माध्यम से) करने चाहिए।

vi. डीएसीएण्डएफडब्ल्यू को यह सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी उपाय करने चाहिए कि बैंक/एफआई योजना दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट समयसीमाओं का पालन करें।

अध्याय-4: योजना की मॉनीटरिंग तथा जागरूकता

4.1 प्रस्तावना

कृषि फसल बीमा योजना को योजनाओं की प्रचालन रीतियों के अनुसार कार्यान्वित किया जाना है। योजनाएं जीओआई, राज्य सरकारों तथा आईए द्वारा राष्ट्रीय स्तरीय मॉनिटरिंग समिति, तकनीकि सहायता इकाई, राज्य स्तरीय फसल बीमा समन्वय समिति, जिला स्तरीय मॉनीटरिंग समिति के माध्यम से मॉनीटरिंग तथा आईए द्वारा आवधिक निरीक्षणों का प्रावधान करती है। योजनाओं के मॉनीटरिंग तंत्र की समीक्षा ने निम्नलिखित उजागर किया :

4.2 जीओआई तथा राज्य सरकार द्वारा खराब मॉनीटरिंग

4.2.1 एनएआईएस दिशानिर्देशों की धारा 18 अनुबंध करती है कि योजना एनएआईएस दिशानिर्देश की धारा 18 अनुबंध करती है कि योजना को प्रचालन रीतियों के अनुसार कार्यान्वित किया जाना था जिसे डीएसीएण्डएफडब्ल्यू के परामर्श से आईए द्वारा तैयार किया गया है। योजना के प्रचालन की वार्षिक रूप से समीक्षा की जानी थी। डीएसीएण्डएफडब्ल्यू तथा आईए को योजना की आवधिक मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करनी भी अपेक्षित थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि डीएसीएण्डएफडब्ल्यू/आईए द्वारा योजनाओं के प्रचालन के 14 वर्षों के पश्चात भी ऐसी कोई रिपोर्ट तैयार नहीं की गई थी। डीएसीएण्डएफडब्ल्यू ने सूचित किया (जनवरी 2017) कि फसल बीमा योजनाओं को विभिन्न उपायो के माध्यम से नियमित रूप से मॉनीटर किया जा रहा है। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योंकि आवधिक मूल्याकंन रिपोर्टो सहित ऐसी मॉनीटरिंग के कोई अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नही किए गए थे।

4.2.2 एनसीआईपी के योजना दिशानिर्देशों के अनुसार, डीएसीएण्डएफडब्ल्यू के मार्गदर्शन के अंतर्गत फसल बीमा योजनाओं के कार्यान्वयन को मॉनीटर करने, उत्पाद सरंचना, उत्पादों के मानकीकरण तथा बैंचमार्किंग, प्रीमियम दर/आर्थिक

सहायता के यौक्तिकीकरण, मौसम स्टेशनों की संस्थापना तथा प्रत्यायन हेतु दिशानिर्देश जारी करने, उद्देश्य हेतु सांख्यिकी डाटा के लिए राष्ट्रीय ग्रीड सृजन तथा बीमा कम्पनियों को निर्देश जारी करने हेतु एक स्वतंत्र तथा सु-सज्जित तकनीकी सहायता इकाई (टीएसयू) की स्थापना की जानी चाहिए। ऐसी टीएसयू की स्थापना नहीं की गई है। पीएमएफबीवाई योजना बताती है कि जब तक की टीएसयू का गठन किया जाना है, एआईसी टीएसयू के रूप में कार्य करेगी। तथापि लेखापरीक्षा टिप्पण करती है, कि एआईसी का टीएसयू के रूप में कार्य करने से हित का विरोध हो सकता है क्योंकि यह भी निजी बीमा कम्पनियों की प्रतिस्पर्धी है।

4.2.3 एनसीआईपी दिशानिर्देश राष्ट्रीय स्तरीय मॉनीटरिंग समिति (एनएलएमसी) की स्थापना का प्रावधान करती है। फिर भी, एनएलएमसी की स्थापना नहीं की गई है।

4.2.4 योजना दिशानिर्देश योजनाओं को मॉनीटर करने के लिए राज्य स्तरीय फसल बीमा समन्वय समितियों (एसएलसीसीसीआई) के गठन का प्रावधान करते हैं। लगभग पांच प्रतिशत लाभार्थियों की बीमा कम्पनियो के क्षेत्रिय कार्यालयों/स्थानीय स्तरीय कार्यालयों द्वारा जांच की जानी थी तथा एसएलसीसीसीआई को प्रतिपुष्टि प्रेषित की जानी थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि **असम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र** तथा **ओडिशा** में, या तो एसएलसीसीसीआई की बैठके नियमित रूप से नहीं की गई थी या विलम्ब था, जिसने राज्य में बीमा के कार्यान्वयन हेतु अधिसूचनाओं को जारी करने को आगे भी विलम्बित किया।

4.2.5 योजना दिशानिर्देश एक जिला स्तरीय मॉनीटरिंग समिति (डीएलएमसी) के गठन का प्रावधान करते हैं। हानि के निर्धारण तथा किसानो को देय के संसाधन हेतु सबंधित आईए को बोया गया क्षेत्र, आवधिक मौसम की स्थिति, कीट हमला, फसल विफलता के चरण यदि कोई हो, के ब्यौरे सहित कृषि परिस्थिति की पाक्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि **हिमाचल प्रदेश** तथा **असम** में किसी डीएमएमसी का गठन नहीं किया गया था

गुजरात तथा **ओडिशा** में डीएलएमसी की बैठकें या तो नहीं की गई थी या फिर नियमित रूप से नहीं की गई थी।

4.3 कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा खराब मॉनीटरिंग

एनएआईएस दिशानिर्देश अनुबंध करते है कि एआईसी के पास नोडल केन्द्रों/बैंको तथा एफआई की शाखाओं में सबंधित अभिलेखों/बहियों तक पहुंच है। एमएनएआईएस तथा डब्ल्यूबीसीआईएस दिशानिर्देश राज्य सरकारों को प्रतिपुष्टि प्रेषित करने हेतु आईए द्वारा किए जाने वाली जांचो तथा डीएलएमसी द्वारा पुनः जांच की प्रतिशतता को बताती है। आईए को डीएसीएण्डएफडब्ल्यू को प्रतिपुष्टि प्रेषित करना अपेक्षित है। तथापि, लेखापरीक्षा ने ऐसा कोई भी अवसर नहीं देखा था जहां एआईसी ने नोडल केन्द्रों/शाखाओं से ऐसे अभिलेखों की मांग की हो या प्राप्त किया हो। परिणामस्वरूप, यह स्पष्ट नहीं है कि कैसे एआईसी (एनएआईएस के मामले में) तथा अन्य योजनाओं के मामले में सभी आईए ने डाटा की यथार्थता को सुनिश्चित किया है जिसके आधार पर जीओआई तथा राज्य सरकार से निधियो का दावा किया जा रहा था विशेष रूप से जब जीओआई तथा राज्य सरकारों द्वारा ऐसे डाटा का अनुरक्षण नहीं किया जा रहा था।

4.4 निजी बीमा कम्पनियों को जारी निधियों की सरकारी लेखापरीक्षा का गैर-प्रावधान

जीओआई तथा राज्य सरकारें प्रीमियम आर्थिक सहायता एवं दावा प्रतिपूर्ति (एनएआईएस के मामले में) तथा प्रीमियम आर्थिक सहायता (अन्य योजनाओं के मामले में) के लिए पर्याप्त वित्तीय देयताओं को वहन करती हैं। लेखापरीक्षा में शामिल अवधि के दौरान ऐसी आर्थिक सहायताएं तथा दावा प्रतिपूर्ति एनएआईएस के अंतर्गत कुल ₹23,400 करोड़, एमएनएआईएस के अंतर्गत ₹2,805 करोड़ तथा डब्ल्यूबीसीआईएस के अंतर्गत ₹6402 करोड़ थी। एआईसी के लेखे भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) द्वारा लेखापरीक्षा के अधीन है। यह देखा गया था कि केवल डब्ल्यूबीसीआईएस के मामले में, योजना दिशानिर्देशों में आईए (निजी बीमा कम्पनियो सहित) को सरकारी

अभिकरण द्वारा लेखापरीक्षा हेतु लेखे में योजना के अंतर्गत सभी लेन-देनों का अनुरक्षण करने हेतु एक अलग लेखे खोलना अपेक्षित है। तथापि, डीएसीएण्डएफडब्ल्यू ने, अब तक, ऐसे लेखाओ की लेखापरीक्षा का मामला सीएजी के साथ नहीं उठाया है। एमएनएआईएस तथा पीएमएफबीवाई के अंतर्गत सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जबकि इन योजनाओं के अंतर्गत बीमा कंपनियों को बड़ी निधियां प्रदान की गई हैं।

4.5 एमएनएआईएस तथा डब्ल्यूबीसीआईएस में प्रीमियम के कैपिंग का प्रभाव

एनएआईएस दिशानिर्देश बीमित राशि (थ्रैशहोल्ड उपज तक) की पूर्ण राशि के दावों की प्रतिपूर्ति कर रही जीओआई तथा राज्य सरकारों के साथ ही किसानों (मध्यम तथा बड़े किसानो के मामले में वाणिज्यिक तथा बागवानी फसलों को छोड़कर) द्वारा आर्थिक सहायता प्राप्त प्रीमियम के भुगतान का प्रावधान करते है। एनएआईएस के अंतर्गत किसानों द्वारा देय आर्थिक सहायता प्राप्त प्रीमियम अलग है जो फसल पर निर्भर करता है। एमएनएआईएस तथा डब्ल्यूबीसीआईएस के अंतर्गत बीमाकृत राशि (जैसा बीमा कम्पनियों द्वारा अनुमानित किया गया) पर बीमांकित प्रीमियम की प्रतिशतता को विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था तथा किसानों द्वारा देय आर्थिक सहायता प्राप्त प्रीमियम को श्रेणी आधार पर निर्धारित किया गया था। शेष प्रीमियम के भुगतान हेतु जीओआई तथा राज्य सरकारों की देयता को सीमित करने के सबंधं में डीएसीएण्डएफडब्ल्यू ने देय कुल प्रीमियम की अधिकतम दरों को सीमित किया जिसका परिणाम सीमित प्रीमियम स्तरों से मेल करने हेतु बीमित राशि की अनुपातिक कटौती में हुआ। परिणामस्वरूप, किसानों द्वारा बीमित राशि के अनुपात के रूप में अदा किया गया प्रीमियम का अंश बीमित राशि में कटौती के कारण बढ़ा। दूसरे शब्दो में, उच्चतर प्रीमियम अदा करने के बावजूद भी किसानों को बीमाकृत राशि को सीमित किए जाने के कारण दावों की कम राशि की प्रतिपूर्ति की गई थी। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि कैपिंग को नई प्रारम्भ पीएमएफबीवाई से हटा दिया गया है।

4.6 किसानों में फसल बीमा योजनाओं की जागरूकता की कमी

योजना दिशानिर्देशों में अधिसूचित जिलों/क्षेत्रों के सभी ग्रामों में पर्याप्त प्रचार किया जाना अपेक्षित है। कृषकों तथा योजना के कार्यान्वयन में शामिल अभिकरणों में जागरूकता उत्पन्न करने तथा प्रचार करने हेतु इलेक्ट्रानिक तथा प्रिंट मीडिया, लघु संदेश सहित किसान मेले तथा प्रदर्शनियों, लघु चलचित्र तथा वृत चित्रों के सभी संभव साधनो का उपयोग किया जाना चाहिए। राज्यों के कृषि/सहकारिता विभाग बीमा कम्पनियों के परामर्श से आवृतन अवधि के प्रारम्भ से तीन माह पूर्व पर्याप्त जागरूकता तथा प्रचार की उपयुक्त योजना तैयार करेंगे।

फसल बीमा योजना की जागरूकता, किसानों की भागीदारी एवं स्वीकार्यता तथा सीमा जहां तक इन योजनाओं ने किसानों को लाभ पहुंचाया है तथा उनके द्वारा सामना की गई कठनाईयों का निर्धारण करने हेतु लेखापरीक्षा ने चयनित जिलो के चयनित तालूकाओं/जिलों के चयनित ग्रामों में 5,993 किसानों का सर्वेक्षण किया ओर पाया कि:

i. सर्वेक्षण किए गए 5,993 किसानो में से 4,819 (80 प्रतिशत) ऋणी किसान तथा 883 (15 प्रतिशत) गैर-ऋणी किसान थे। शेष 291 (5 प्रतिशत) ने मुख्यत: निम्न कारणों से किसी भी फसल बीमा को नहीं अपनाया था:

   क) पिछले वर्षों में अपर्याप्त क्षतिपूर्ति की प्राप्ति,

   ख) वहन न किए जाने वाली प्रीमियम दरें।

ii. सर्वेक्षण किए गए 5,993 किसानों में से केवल 2,232 (37 प्रतिशत) योजना से अवगत थे तथा प्रीमियम की दरों, आवृत जोखिम, दावों, हुई हानियों आदि को जानते थे तथा शेष 63 प्रतिशत किसानों को बीमा योजनाओं का कोई ज्ञान नहीं था जो इस तथ्य को उजागर करता है कि योजनाओं का प्रचार पर्याप्त अथवा प्रभावी नहीं था।

सर्वेक्षण/किसानों से प्रतिपुष्टि का राज्य वार विवरण को **अनुबंध –X** में दर्शाया गया है।

4.7 शिकायत निवारण प्रणाली का अभाव

आन्ध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा तथा **तेलंगाना** में अभिलेखों की नमूना जांच ने प्रकट किया कि योजनाओं के कार्यान्वयन पर असंतुष्ट किसानों की शिकायतों के निवारण हेतु कोई सांस्थानिक तंत्र मौजूद नहीं था।

निष्कर्ष

जीओआई, राज्य सरकारों तथा कार्यान्वयन अभिकरणों द्वारा योजनाओं की मॉनीटरिंग काफी खराब थी क्योंकि (i) फसल बीमा योजनाओं के कार्यान्वयन को मॉनीटर करने हेतु डीएसीएण्डएफडब्ल्यू के निर्देशन के अंतर्गत एक स्वतंत्र अभिकरण तकनीकी सहायता इकाई (टीएसयू) की स्थापना नहीं की गई है, (ii) डीएसीएण्डएफडब्ल्यू द्वारा योजनाओं के प्रचालन के 14 वर्षों, के बावजूद भी आवधिक मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार नहीं की गई थीं, (iii) एसएलसीसीसीआई तथा डीएलएमसी ने उनको आबंटित कार्य को प्रभावी रूप से नहीं किया था तथा (iv) कार्यान्वयन अभिकरणों ने भी योजनाओं की मॉनीटरिंग, जो उनको सौंपी गयी थी, प्रभावी रूप से नहीं की थी।

जबकि निजी बीमा कम्पनियों को योजना के अंतर्गत बड़ी निधियां प्रदान की गई थीं फिर भी इन बीमा कम्पनियों द्वारा निधियों के उपयुक्त उपयोग को सुनिश्चित करने हेतु भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा का कोई प्रावधान नहीं था। यघपि एनसीआईपी अंतर्गत प्रीमियम की कैपिंग ने इन योजनाओं के अंतर्गत सरकारों की देयताओं की सीमित किया फिर भी ऋणी किसान बीमा आवृतन के पूर्ण लाभ से वंचित थे। किसानों में जागरूकता की कमी थी क्योंकि लेखापरीक्षा के दौरान सर्वेक्षण किए गए 67 प्रतिशत किसान योजनाओं से अवगत नहीं थे। जीओआई अथवा राज्य सरकार में किसानों की शिकायतों के तीव्र निपटान हेतु कोई उपयुक्त शिकायत निवारण प्रणाली तथा मॉनीटरिंग तंत्र मौजूद नहीं है।

अनुशंसाएं

i. जीओआई तथा राज्य सरकारों को यह सुनिश्चित करने हेतु कदम उठाने चाहिए कि योजनाओं के कार्यान्वयन को सभी स्तरों पर प्रभावी रूप से मॉनीटर किया गया है।

ii. भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा लेखापरीक्षा के प्रावधान को यह सुनिश्चित करने हेतु योजनाओं में शामिल किया जाना चाहिए कि जीओआई तथा राज्य सरकारों द्वारा प्रदत्त निधियों का दक्षता तथा प्रभावी रूप से उपयोग किया गया है।

iii. कृषि समुदाय के बीमा आवृतन को कम किए बिना योजनाओं के अंतर्गत सरकारों की देयताओं का कम करने के प्रयास किए जाने चाहिए।

iv. योजना में सभी पणधारियों द्वारा इन योजनाओं के आवृतन तथा लाभो पर कृषि समुदाय में अच्छी जागरूकता उत्पन्न करने के अधिक संगठित प्रयास करने की आवश्यकता हैं।

नई दिल्ली
दिनांक: 16 मार्च 2017

(मुकेश प्रसाद सिंह)
महानिदेशक लेखापरीक्षा केन्द्रीय व्यय

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक: 20 मार्च 2017

(शशि कान्त शर्मा)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट-क

(पैराग्राफ 1.1.6 के संदर्भ में)

राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एनएआईएस), संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (एमएनएआईएस) तथा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के बीच तुलना

क्र.सं.	प्रतिमान	एनएआईएस	एमएनएआईएस	पीएमएफबीवाई
1.	**आवृत्त राज्य**	सभी राज्यों एवं यूटी योजना का विकल्प कर रहे हैं।	एनआईएस के समान	एनएआईएस समान
2.	**आवृत्त किसान**	अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसल उगा रहे बंटाईदारों तथा काशतकारों सहित सभी किसान आवृत्तन के पात्र थे। योजना फसल ऋण का लाभ उठा रहे किसानों के लिए अनिवार्य तथा अन्य के लिए विकल्पित थी।	एनएआईएस के समान	एनएआईएस के समान
3.	**आवृत्त जोखिम**	'सभी जोखिम' बीमा	बुवाई विफलता कवर के लाभ के साथ 'सभी जोखिम'	एमएनएआईएस के समान
4.	**आवृत्त फसलें**	(क) खाद्य फसलें (अनाज,बाजरा,दालें) तथा तिलहन (ख) वार्षिक वाणिज्यिक (गन्ना, कपास, आलू, प्याज, अदरक, केला आदि)/बागवानी फसलें	एनएआईएस के समान	एनएआईएस के समान

5.	**बीमा इकाई**	बीमा का इकाई क्षेत्र ग्राम पंचायत, मंडल, होब्ली परिमण्डल, जिला, ब्लाक, तालूका आदि हो सकता है।	सभी फसलों के लिए ग्राम/ग्राम पंचायत या अन्य समकक्ष इकाई का यूनिट क्षेत्र कम किया जाना।	आमतौर पर बीमा इकाई मुख्य फसलों के लिए ग्राम/ग्राम पंचायत तथा अन्य फसलों हेतु ग्राम/ग्राम पंचायत से उच्चतर जैसे ब्लॉक, तालूका
6.	**सीमा पैदावार**	गेहूं एवं चावल हेतु पिछले तीन वर्षों तथा अन्य फसलों हेतु पिछले पांच वर्षों की औसत को क्षतिपूर्ति स्तर से गुना करके	सभी फसलों हेतु अधिकतम दो आपदा वर्षों को छोड़कर पिछले सात वर्षों की औसत को क्षतिपूर्ति स्तर से गुना करके	एमएनएआईएस के समान
7.	**बीमा राशि**	ऋणी किसान- लिए गए ऋण की राशि के बराबर गैर-ऋणी किसान-औसतन पैदावार के 150 प्रतिशत मूल्य तक	ऋणी किसानों के मामले में खेती की लागत के बराबर तथा यह एसएलसीसीआई द्वारा पहले ही घोषणा की गई है तथा अधिसूचित है। बीमाकृत राशि कम से कम संस्वीकृत/लिए गए फसल ऋण की राशि के बराबर होगी। गैर-ऋणी किसान-औसतन पैदावार के 150 प्रतिशत मूल्य की कीमत तक बीमाकृत राशि के बराबर	एमएनएआईएस के समान
8.	**प्रीमियम दर**	<u>**खरीफ मौसम**</u> 3.5 *प्रतिशत-तिलहन तथा बाजरा* 2.5 *प्रतिशत-अनाज, बाजरा एवं दालें* <u>**रबी मौसम**</u> 1.5 *प्रतिशत-गेहूं*	आईआरडीए के प्रावधानों के अनुसार मानक बीमांकिक पद्धति के माध्यम से प्रत्येक अधिसूचित फसल हेतु बीमांकिक प्रीमियम के साथ निवल प्रीमियम दरें (प्रीमियम आर्थिक सहायता के पश्चात किसानों द्वारा वास्तव	क. खरीफ (खाद्य एवं तिलहन) फसलों हेतु 2 प्रतिशत बीमाकृत राशि का अधिकतम प्रीमियमा। ख. रबी (खाद्य एवं तिलहन) फसलों हेतु बीमाकृत राशि का 1.5 प्रतिशत; तथा

		2 प्रतिशत-अन्य खाद्य तथा तिलहन फसलें वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलों हेतु बीमांकिक प्रीमियम	में देय प्रीमियम दरें)	ग. वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलों हेतु बीमाकृत राशि का 5 प्रतिशत।
9.	**प्रीमियम आर्थिक सहायता**	केवल छोटे तथा सीमान्त किसानों को 10 प्रतिशत जिसे केन्द्र तथा राज्यों के बीच बराबर विभाजित किया जाना है।	सभी किसानों को 75 प्रतिशत तक आर्थिक सहायता सहित वास्तविक प्रीमियम जिसे केन्द्र तथा राज्यों के बीच बराबर विभाजित किया जाना है।	बीमांकिक प्रीमियम दर (एपीआर) तथा किसानों द्वारा देय बीमा प्रभारों के बीच का अंतर सरकारों द्वारा आर्थिक सहायता के रूप मे प्रदान किया जाएगा तथा इसे केन्द्र तथा राज्य द्वारा बराबर विभाजित किया जाएगा।
10.	**क्षतिपूर्ति स्तर**	क्षतिपूर्ति के तीन स्तर-90 प्रतिशत, 80 प्रतिशत तथा 60 प्रतिशत (निम्न/मध्यम/उच्च जोखिम क्षेत्र) सभी फसलों हेतु उपलब्ध थे। बीमाकृत किसान अतिरिक्त प्रीमियम के भुगतान पर क्षतिपूर्ति के उच्चतर स्तर को चुन सकते है।	एनआईएएस से न्यूनतम क्षतिपूर्ति स्तर को 60 प्रतिशत से 70 प्रतिशत तक बढ़ा दिया।	(क) जोखिम अनुभवों तथा पिछले 10 वर्षों में गुणांक परिवर्तनों के आधार पर 70 प्रतिशत,80 प्रतिशत तथा 90 प्रतिशत। (ख) जिलों के ग्रुप पर सौंपा गया।
11.	**कार्यान्वयन अभिकरण (आईए)**	मार्च 2003 तक जीआईसी तथा इसके पश्चात एआईसी	दोनों एआईसी तथा सूचीबद्ध निजी बीमा कम्पनियां उनके द्वारा विशिष्ट मौसम हेतु उद्धत न्यूनतम प्रीमियम के आधार पर जिला स्तर पर आईए के रुप में नियुक्त के योग्य थे।	दोनों एआईसी तथा सूचीबद्ध निजी बीमा कम्पनियां आईए के रूप में नियुक्ति के योग्य थे। छोटे राज्यों में एफआईए की नियुक्ति की जाती है। बड़े राज्यों में दो या तीन आईए की नियुक्त की जाती है। आईए का चयन कम से कम तीन वर्षों के लिए होना चाहिए।

12.	**दावा देयता**	खाद्य फसलों तथा तिलहनों के मामले में, एकत्रित प्रीमियम के 100 प्रतिशत तक की दावा देयता एआईसी द्वारा वहन की जानी थी। इसके पश्चात केन्द्र तथा राज्य सरकारों ने देयताओं को बराबर विभाजित किया। वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसलों के मामले में प्रथम तीन या पांच वर्षों में प्रीमियम के 150 प्रतिशत तथा इसके पश्चात 200 प्रतिशत के अधिक की दावा देयता को केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा बराबर विभाजित किया जाएगा।	सभी दावों को आईए द्वारा पूरा किया जाना था। आईए को सकल प्रीमियम के 500 प्रतिशत से अधिक की समग्र हानि के प्रति संरक्षण प्रदान करने हेतु केन्द्र तथा राज्य सरकारों के सहयोग से राष्ट्रीय स्तर पर एक आपदा निधि को स्थापित किया जाना था।	बीमाकर्ता पर सभी दावा देयताओं तथा एकत्रित प्रीमियम के 350 प्रतिशत से अधिक अथवा राष्ट्रीय स्तर पर बीमाकृत राशि के 35 प्रतिशत को केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा बराबर विभाजित किया जाना है।
13.	**मौसमी अनुशासन**	ऋणी गैर-किसानों हेतु विस्तृत मौसमी अनुशासन निम्नानुसार थे: ऋणी किसान: खरीफ मौसम - नवम्बर तथा रबी मौसम - मई - गैर-ऋणी किसान: खरीफ मौसम -31 जुलाई तथा रबी मौसम के लिए-31 दिसम्बर	ऋणी/गैर ऋणी किसानों हेतु विस्तृत मौसमी अनुशासन निम्नानुसार थे: खरीब मौसम - 31जुलाई रबी मौसम - 31 दिसम्बर	एमएनआईएस के समान
14.	**पैदावार अनुमान हेतु अच्छी प्रौद्योगिकियों का उपयोग**	परम्परागत सीसीआई के माध्यम से पैदावर अनुमान	रिमोट सेरंसिग प्रौद्योगिकी (आरएसटी) के उपयोग के माध्यम से पैदावार अनुमान हेतु प्रारम्भिक अध्ययन	पैदावर अनुमान में आरएसटी, ड्रोन तथा अन्य प्रौद्योगिकियों को अपनाने का प्रावधान तथा प्रारम्भिक अध्ययनों द्वारा वैधकरण के पश्चात कुछ सीसीआई का श्रेणीकरण तथा दावों के जल्दी निपटान को सुविधा प्रदान करने हेतु सीसीआई डाटा के यथार्थ एवं तीव्र संचारण हेतु स्मार्टफोन का उपयोग।

परिशिष्ट-ख

(पैराग्राफ 1.1.6 के संदर्भ में)

मौसम आधारित फसल बीमा योजना (डब्ल्यूबीसीआईएस) तथा पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना की तुलना

क्र.सं.	प्रतिमान	डब्ल्यूबीसीआईएस	पुनर्गठित डब्ल्यूबीसीआईएस
1.	**आवृत्त राज्य**	योजना को चुनने वाले सभी राज्य तथा यूटी	योजना को चुनने वाले सभी राज्य तथा यूटी
2.	**आवृत्त किसान**	अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसल उगा रहे बंटाईदारों तथा काशतकारों सहित सभी किसान आवृत्तन के पात्र थे। योजना फसल ऋण का लाभ उठा रहे किसानों के लिए अनिवार्य तथा अन्य के लिए विकल्पित थी।	डब्ल्यूबीसीआईएस के समान
3.	**आवृत्त जोखिम**	प्रतिकूल मौसम परिस्थियां जैसे कम/अधिक वर्षा, उच्च/निम्न तापमान, सूखा/नमी, मूसलाधार बारिश, आदि,	डब्ल्यूबीसीआईएस के समान
4.	**आवृत्त फसलें**	(क) मुख्य खाद्य फसलें(अनाज,बाजरा दालें)तथा तिलहन (ख) वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसले	डब्ल्यूबीसीआईएस के समान
5.	**बीमा इकाई/संदर्भ इकाई क्षेत्र (आरयूए)**	ग्राम पंचायत/राजस्व परिमण्डल/होब्ली/ब्लॉक तहसील आदि	डब्ल्यूबीसीआईएस के समान
6.	**डाटा आवश्यकता**	आरयूए हेतु संदर्भ मौसम स्टेशनों (आरडब्ल्यूएस) द्वारा दर्ज डाटा	डब्ल्यूबीसीआईएस के समान
7.	**बीमाकृत राशि**	ऋणी किसान-लिए गए ऋण की राशि के बराबर। गैर-ऋणी किसान-कम राशि परंतु बीमाकृत राशि के 50 प्रतिशत से कम नहीं, का बीमा करने की मान्यता है।	बीमाकृत राशि ऋणी तथा गैर-ऋणी किसानों के लिए समान होगी जो वित्त के पैमाने, जैसा जिला स्तरीय तकनीकी समिति द्वारा निर्णय किया गया है पर आधारित है। व्यक्तिगत किसान हेतु

			बीमाकृत राशि बीमाकृत राशि गुना अधिसूचित फसल का क्षेत्रफल के बराबर है।
8.	**प्रीमियम दर**	केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा बराबर विभाजित किए जाने वाली 50 प्रतिशत तक की आर्थिक सहायता के साथ बीमांकिक प्रीमियम	पीएमएफबीवाई के बराबर प्रीमियम दर निम्नानुसार है: ➢ खरीफ खाद्य तथा तिलहन फसलों हेतु बीमाकृत राशि का अधिकतम 2 प्रतिशत ➢ रबी खाद्य तथा तिलहन फसलों हेतु बीमाकृत राशि का 1.5 प्रतिशत; तथा ➢ वार्षिक वाणिज्यिक/बागवानी फसले हेतु बीमाकृत राशि का 5 प्रतिशत
9.	**प्रीमियम आर्थिक सहायता**	सभी किसानों को 50 प्रतिशत तक आर्थिक सहायता जिसे केन्द्रों तथा राज्य सरकारों द्वारा बराबर विभाजित किया जाएगा।	बीमांकिक प्रीमियम दर (एपीआर) तथा किसानों द्वारा बीमा प्रभारों के बीच के अंतर को आर्थिक सहायता प्रदान की गई है जिसे केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा बराबर विभाजित किया जाएगा।
10.	**कार्यान्वयन अभिकरण (आईए)**	दोनों एआईसी तथा सूचीबद्ध निजी बीमा कम्पनियों को उनके द्वारा उद्धृत न्यूनतम प्रीमियम के आधार पर जिला स्तर पर आईए के रूप में नियुक्त किया गया था।	डब्ल्यूबीसीआईएस के समान
11.	**दावा देयता**	सभी दावों को आईए द्वारा पूरा किया जाना था।	डब्ल्यूबीसीआईएस के समान
12.	**दावों का मौसम में निपटान**	दावों का निपटान आरडब्ल्यूएस द्वारा दर्ज मौसम डाटा के आधार पर किया गया था। दावा - प्रक्रिया मौसम आंकड़ों की प्राप्ति पर आरंभ की गई थी।	डब्ल्यूबीसीआईएस के समान

13.	**मौसमी अनुमान**	ऋणी तथा गैर-ऋणी किसान-खरीफ मौसम हेतु -31 जुलाई तथा रबी मौसम हेतु - 31 दिसम्बर	डब्ल्यूबीसीआईएस के समान
14.	**पैदावार अनुमान हेतु अच्छी प्रौद्योगिकी का उपयोग**	एडब्ल्यूएस की स्थापना हेतु कोई विशिष्ट प्रतिमान नहीं	निजी अभिकरणों द्वारा एडब्ल्यूएस की स्थापना हेतु दिशानिर्देशों का अनुपालन करके जीओआई के सहयोग से पीपीपी मॉडल के अंतर्गत नए एडब्ल्यूएस की स्थापना की जानी है।

अनुबंध

अनुबंध-I
(पैराग्राफ 1.4 का संदर्भ)
लेखापरीक्षा के लिए चयनित जिलों का विवरण दर्शाती विवरणी

क्र.सं.	राज्य	जिला का नाम
1.	आंध्र प्रदेश	कडप्पा
2.		अनंतपुरम
3.	असम	कामरूप-ग्रामीण
4.		नागांव
5.		तिनसुकिया
6.		गोलपारा
7.	गुजरात	राजकोट
8.		अमरेली
9.		जामनगर
10.		जूनागढ़
11.		साबरकंठा
12.	हरियाणा	करनाल
13.		रेवाड़ी
14.		यमुना नगर
15.	हिमाचल प्रदेश	शिमला
16.		कांगड़ा
17.	महाराष्ट्र	अमरावती
18.		अहमदनगर
19.		बीड़
20.		थाणे
21.		यावतमल
22.	ओड़िशा	भद्रक
23.		केन्द्रपाड़ा
24.		सोनपुर
25.		जाजपुर
26.		मयूरभंज
27.	राजस्थान	अलवर
28.		बीकानेर
29.		झालवर
30.		पाली
31.		उदयपुर
32.	तेलंगाना	निजामाबाद
33.		महबूबनगर

अनुबंध-II (क)

(पैराग्राफ 3.3.1 का संदर्भ)

खरीफ मौसम 2011 से रबी मौसम 2015-16 के दौरान एनएआईएस के आवृत्त का विवरण

मौसम	बीमित किसानों की सं. (लाख में)	बीमित क्षेत्र (लाख हे. में)	(₹ करोड़ में)											लाभार्थी किसानों की सं. (लाख में)
			बीमित राशि	प्रिमियम	कुल सब्सिडी	सब्सिडी में राज्यों का भाग	सब्सिडी में जीओआई का भाग	सूचित किए गए दावे	दावों में एआईसी का भाग	दावों में राज्यों का भाग	दावों में जीओआई का भाग	निष्पादित दावें	देय दावें	
खरीफ 2011	115.55	157.76	23487.11	714.35	52.31	33.47	18.84	1665.42	618.81	523.31	523.31	1665.42	0.00	18.45
रबी 2011-12	52.39	76.09	11283.94	257.68	63.20	56.70	6.50	543.37	223.14	160.11	160.11	542.37	1.00	12.87
कुल	**167.94**	**233.85**	**34771.05**	**972.03**	**115.51**	**90.17**	**25.34**	**2208.79**	**841.95**	**683.42**	**683.42**	**2207.79**	**1.00**	**31.32**
खरीफ 2012	106.49	156.94	27199.06	878.74	108.91	88.24	20.67	2787.00	846.15	970.43	970.43	2785.78	1.22	19.13
रबी 2012-13	61.42	86.91	15710.09	447.61	175.79	166.22	9.57	2108.34	569.46	769.44	769.44	2041.35	66.99	25.55
कुल	**167.91**	**243.85**	**42909.15**	**1326.35**	**284.70**	**254.46**	**30.24**	**4895.34**	**1415.61**	**1739.87**	**1739.87**	**4827.13**	**68.21**	**44.68**
खरीफ 2013	97.46	142.32	29004.69	977.72	156.39	133.90	22.49	3261.67	630.54	1315.56	1315.56	3099.61	162.06	27.95
रबी 2013-14	39.74	64.76	12549.45	297.48	93.59	86.47	7.12	1047.50	332.47	357.51	357.51	1047.48	0.02	9.96
कुल	**137.20**	**207.08**	**41554.14**	**1275.20**	**249.98**	**220.37**	**29.61**	**4309.17**	**963.01**	**1673.07**	**1673.07**	**4147.09**	**162.08**	**37.91**
खरीफ 2014	96.84	115.48	24389.12	844.71	60.07	40.29	19.78	2946.19	1164.29	890.95	890.95	2920.31	25.88	43.46
रबी 2014-15	70.10	92.77	21512.54	553.87	183.53	164.47	19.06	1277.00	328.81	474.09	474.09	395.60	881.40	19.89
कुल	**166.94**	**208.25**	**45901.66**	**1398.58**	**243.60**	**204.76**	**38.84**	**4223.19**	**1493.10**	**1365.04**	**1365.04**	**3315.91**	**907.28**	**63.35**

खरीफ 2015	206.52	216.89	51951.13	1809.50	294.51	198.12	96.38	12772.91	1707.73	5532.59	5532.59	6936.62	5836.29	118.98
रबी 2015-16	94.95	103.89	24936.48	667.15	222.20	198.36	23.84	35.16	33.90	0.63	0.63	0.00	35.16	0.06
कुल	**301.47**	**320.78**	**76887.61**	**2476.65**	**516.71**	**396.48**	**120.22**	**12808.07**	**1741.63**	**5533.22**	**5533.22**	**6936.62**	5871.45	**119.04**
कुल योग	**941.46**	**1213.81**	**242023.61**	**7448.81**	**1410.50**	**1166.24**	**244.25**	**28444.56**	**6455.30**	**10994.62**	**10994.62**	**21434.54**	**7010.02**	**296.30**

(स्रोत: कृषि, सहकारिता तथा किसान कल्याण विभाग)

अनुबंध-II (ख)

(पैराग्राफ 3.3.1 का संदर्भ)

खरीफ मौसम 2011 से रबी मौसम 2015-16 के दौरान एमएनएआईएस के आवृत्त का विवरण

मौसम	बीमित किसान (लाख में)	बीमित क्षेत्र (लाख हे. में)	(₹ करोड़ में)							लाभार्थी किसान (लाख में)
			बीमित राशि	किसानों का प्रिमियम	प्रिमियम में जीओआई सब्सिडी	राज्य सरकारों की प्रिमियम सब्सिडी	कुल प्रिमियम	देय दावें	प्रदत्त दावें	
खरीफ 2011	4.58	6.66	1345.89	50.11	35.52	36.14	121.77	96.10	96.10	1.00
रबी 2011-12	7.55	7.07	2010.08	67.82	45.05	52.34	165.2	84.44	83.41	1.23
कुल	**12.13**	**13.73**	**3355.97**	**117.93**	**80.57**	**88.48**	**286.97**	**180.54**	**179.51**	**2.23**
खरीफ 2012	20.62	22.39	4896.94	220.34	172.01	172.01	564.36	623.25	622.89	6.05
रबी 2012-13	9.49	7.42	2077.15	75.02	52.17	62.11	189.3	53.47	53.23	1.13
कुल	**30.11**	**29.81**	**6974.09**	**295.36**	**224.18**	**234.12**	**753.66**	**676.72**	**676.12**	**7.18**
खरीफ 2013	23.61	22.74	5825.83	255.07	197.66	197.66	650.38	856.91	816.1	9.63
रबी 2013-14	29.97	32.53	6406.54	208.24	107.91	118.65	434.81	540.11	528.12	8.11
कुल	**53.58**	**55.27**	**12232.37**	**463.31**	**305.57**	**316.31**	**1085.19**	**1397.02**	**1344.22**	**17.74**
खरीफ 2014	58.96	70	9481.77	342.14	279.64	306.24	928.02	629.84	600.2	15.48
रबी 2014-15	32.05	35.53	9105.28	273.93	113.49	113.87	501.3	887.38	814.97	14.20

कुल	**91.01**	**105.53**	**18587.05**	**616.07**	**393.13**	**420.11**	**1429.32**	**1517.22**	**1415.17**	**29.68**
खरीफ 2015	48.11	55.31	8265.3	336.46	237.81	238.09	812.35	1090.47	1028.51	23.87
रबी 2015-16	36.78	34.62	11577.99	301.25	133.35	133.35	567.94	123.93	9.92	1.98
कुल	**84.89**	**89.93**	**19843.29**	**637.71**	**371.16**	**371.44**	**1380.29**	**1214.40**	**1038.43**	**25.85**
कुल योग	**271.72**	**294.27**	**60992.77**	**2130.38**	**1374.61**	**1430.46**	**4935.43**	**4985.90**	**4653.45**	**82.68**

(स्रोत: कृषि, सहकारिता तथा किसान कल्याण विभाग)

अनुबंध-II (ग)

(पैराग्राफ 3.3.1 का संदर्भ)

खरीफ मौसम 2011 से रबी मौसम 2015-16 के दौरान डब्ल्यूबीसीआईएस के अंतर्गत आवृत्त का विवरण

मौसम	बीमित किसान (लाख में)	बीमित क्षेत्र (लाख हे. में)	(₹ करोड़ में)							लाभार्थी किसान (लाख में)
			बीमित राशि	किसानों का प्रिमियम	जीओआई प्रिमियम (भाग)	राज्य सरकार प्रिमियम (भाग)	कुल प्रिमियम	देय दावें	प्रदत्त दावें	
खरीफ 2011	69.05	97.86	10351.62	331.67	349.03	349.03	1029.73	425.88	425.08	35.98
रबी 2011-12	47.66	59.45	9858.46	208.42	296.75	309.55	814.72	751.14	666.36	27.32
कुल	**116.71**	**157.31**	**20210.08**	**540.09**	**645.78**	**658.58**	**1844.45**	**1177.02**	**1091.44**	**63.30**
खरीफ 2012	80.08	111.25	12870.53	407.98	443.38	443.38	1294.74	876.81	869.28	67.52
रबी 2012-13	55.91	65.65	10655.46	254.12	334.46	334.46	923.03	1043.82	706.27	40.53
कुल	**135.99**	**176.90**	**23525.99**	**662.10**	**777.84**	**777.84**	**2217.77**	**1920.63**	**1575.55**	**108.05**
खरीफ 2013	88.54	111.72	14623.96	459.14	505.59	505.59	1470.33	1199.59	1157.39	68.71
रबी 2013-14	53.02	53.36	10901.92	512.52	190.91	220.02	923.45	817.09	727.40	37.86
कुल	**141.56**	**165.08**	**25525.88**	**971.66**	**696.50**	**725.61**	**2393.78**	**2016.68**	**1884.79**	**106.57**
खरीफ 2014	81.71	96.36	13252.87	695.58	434.51	435.47	1565.55	1237.76	1212.34	67.23
रबी 2014-15	30.80	47.56	4400.37	243.05	156.37	157.02	556.44	804.98	800.76	28.99

कुल	**112.51**	**143.92**	**17653.24**	**938.63**	**590.88**	**592.49**	**2121.99**	**2042.74**	**2013.10**	**96.22**
खरीफ 2015	54.02	63.13	8536.74	448.87	268.61	269.43	986.91	1242.04	1236.58	47.29
रबी 2015-16	29.13	59.32	6434.66	339.77	199.14	199.14	737.06	630.76	229.14	20.56
कुल	**83.15**	**122.45**	**14971.40**	**788.64**	**467.75**	**468.57**	**1723.97**	**1872.80**	**1465.72**	**67.85**
कुल योग	**589.92**	**765.66**	**101886.59**	**3901.12**	**3178.75**	**3223.09**	**10301.96**	**9029.87**	**8030.60**	**441.99**

(स्रोत: कृषि, सहकारिता तथा किसान कल्याण विभाग)

अनुबंध-III

(पैराग्राफ 3.3.4 का संदर्भ)

गैर ऋणी किसानों की कम आवृत्त

मौसम	एनएआईएस				एमएनएआईएस				डब्ल्यूबीसीआईएस			
	बीमित किसान (ऋणी)	बीमित किसान (गैर-ऋणी)	बीमित किसान (कुल)	कुल बीमित किसानों से ऋणी किसानों की प्रतिशतता	बीमित किसान (ऋणी)	बीमित किसान (गैर-ऋणी)	बीमित किसान (कुल)	कुल बीमित किसानों से ऋणी किसानों की प्रतिशतता	बीमित किसान (ऋणी)	बीमित किसान (गैर-ऋणी)	बीमित किसान (कुल)	कुल बीमित किसानों से ऋणी किसानों की प्रतिशतता
	(आंकड़े लाख में)				(आंकड़े लाख में)				(आंकड़े लाख में)			
खरीफ 2011	85.52	30.03	115.55	25.99	4.30	0.28	4.58	9.78	65.16	3.89	69.05	5.64
रबी 2011-12	38.22	14.17	52.39	27.05	7.20	0.35	7.55	4.58	46.83	0.83	47.66	1.74
खरीफ 2012	85.75	20.74	106.49	19.48	19.50	1.12	20.62	5.44	79.00	1.08	80.08	1.35
रबी 2012-13	42.73	18.69	61.42	30.43	9.42	0.07	9.49	0.74	55.02	0.89	55.91	1.59
खरीफ 2013	78.53	18.94	97.47	19.43	22.81	0.80	23.61	3.38	87.64	0.90	88.54	1.02
रबी 2013-14	34.49	5.24	39.73	13.19	28.96	1.01	29.97	3.37	52.50	0.53	53.03	1.00
खरीफ 2014	51.58	45.26	96.84	46.74	53.28	5.68	58.96	9.64	73.21	8.50	81.71	10.40
रबी 2014-15	54.89	15.21	70.10	21.69	31.80	0.25	32.05	0.79	30.11	0.68	30.79	2.21
खरीफ 2015	109.57	96.95	206.52	46.95	48.11	0.01	48.12	0.01	52.49	1.53	54.02	2.83
रबी 2015-16	74.10	20.85	94.95	21.96	36.77	0.00	36.77	0.01	28.47	0.66	29.13	2.28
कुल योग	**655.38**	**286.08**	**941.46**	**30.39**	**262.15**	**9.57**	**271.72**	**3.59**	**570.43**	**19.49**	**589.92**	**3.31**

(स्रोत: कृषि, सहकारिता तथा किसान कल्याण विभाग)

अनुबंध-IV

(पैराग्राफ 3.3.5 का संदर्भ)

चयनित नौ राज्यों में गैर-ऋणी किसानों का आवृत्त

मौसम	एनएआईएस				एमएनएआईएस				डब्ल्यूबीसीआईएस			
	बीमित किसान (ऋणी)	बीमित किसान (गैर-ऋणी)	बीमित किसान (कुल)	कुल बीमित किसानों से गैर-ऋणी किसानों की प्रतिशतता	बीमित किसान (ऋणी)	बीमित किसान (गैर-ऋणी)	बीमित किसान (कुल)	कुल बीमित किसानों से गैर-ऋणी किसानों की प्रतिशतता	बीमित किसान (ऋणी)	बीमित किसान (गैर-ऋणी)	बीमित किसान (कुल)	कुल बीमित किसानों से गैर-ऋणी किसानों की प्रतिशतता
	(आंकड़े हजार में)				(आंकड़े हजार में)				(आंकड़े हजार में)			
खरीफ 2011	3,745	2,605	6,349	41.02	124	2	126	5.22	5,703	274	5,977	4.58
रबी 2011-12	632	420	1,052	39.95	297	7	304	2.46	3,015	30	3,045	0.99
खरीफ 2012	3,732	1,444	5,175	27.90	1,214	4	1,218	0.35	6,381	20	6,401	032
रबी 2012-13	430	1,073	1,503	71.41	562	2	564	0.39	3,684	33	3,717	0.88
खरीफ 2013	3,248	1,524	4,773	31.94	1,568	2	1,570	0.13	6,721	10	6,730	0.14
रबी 2013-14	346	258	604	42.76	1,799	0	1,799	0.00	2,811	19	2,829	0.66
खरीफ 2014	2,700	4,525	7,224	62.63	2,718	15	2,733	0.56	3,996	781	4,777	16.34
रबी 2014-15	202	1,116	1,318	84.66	2,274	2	2,276	0.09	2,727	62	2,790	2.24
खरीफ 2015	3,722	8,462	12,185	69.45	3,399	0	3,399	0.00	4,771	148	4,919	3.01
रबी 2015-16	174	3,431	3,606	95.16	2,008	0	2,008	0.00	2,279	52	2,331	2.24
कुल योग	**18,931**	**24,858**	**43,789**	**56.77**	**15,962**	**34**	**15,997**	**0.21**	**42,088**	**1,429**	**43,516**	**3.28**

(स्रोत: कृषि, सहकारिता तथा किसान कल्याण विभाग)

अनुबंध-V
(पैराग्राफ 3.5 का संदर्भ)

राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचनाओं को जारी करने में विलंब

क्र.सं.	राज्य	योजना	मौसम जब अधिसूचनाएं विलंबित थीं	कुल मौसम जिसके लिए अधिसूचनाएं विलंबित थीं	देरी की सीमा (दिनों में)
1.	आंध्र प्रदेश	एनएआई एस	खरीफ 2011, रबी 2011-12, खरीफ 2012, रबी 2012-13, खरीफ 2013, रबी 2013-14, रबी 2014-15, रबी 2015-16 तथा खरीफ 2015	9	12 से101
		एमएनए आईएस	खरीफ 2011, रबी 2011-12, खरीफ 2012, रबी 2012-13, खरीफ 2013, रबी 2013-14, खरीफ 2014 तथा खरीफ 2015	8	30 से 125
		डब्ल्यूबी सीआईएस	खरीफ 2011, रबी 2011-12, खरीफ 2012, रबी 2012-13, खरीफ 2013, रबी 2013-14, खरीफ 2014, रबी 2014-15, खरीफ 2015 तथा रबी 2015-16.	10	39 से 101
2.	असम	एनएआई एस	खरीफ 2011, रबी 2011-12, खरीफ 2012, रबी 2012-13, खरीफ 2013, रबी 2013-14, खरीफ 2014, रबी 2014-15 तथा खरीफ 2015.	9	47 से 118
		एमएनए आईएस	खरीफ 2011, रबी 2011-12, खरीफ 2012, रबी 2012-13, खरीफ 2013 तथा रबी 2013-14.	6	63 से 115
		डब्ल्यूबी सीआईएस	रबी 2013-14, खरीफ 2014, रबी 2014-15, खरीफ 2015 तथा रबी 2015-16.	5	14 से 82
3.	हरियाणा	एनएआई	खरीफ 2011, रबी 2011-12, खरीफ 2012,	9	22 से 99

		एस	रबी 2012-13, खरीफ 2013, खरीफ 2014, रबी 2014-15, खरीफ 2015 तथा रबी 2015-16.		
		डब्ल्यूबी सीआईएस	रबी 2011-12, रबी 2012-13, रबी 2013-14, रबी 2014-15 तथा रबी 2015-16.	5	39 से 171
4.	हिमाचल प्रदेश	एनएआई एस	खरीफ 2011, रबी 2011-12, खरीफ 2012 तथा रबी 2012-13	4	68 से 115
		एमएनए आईएस	खरीफ 2011, रबी 2011-12, खरीफ 2012, खरीफ 2013 तथा रबी 2013-14.	5	80 से 136
		डब्ल्यूबी सीआईएस	खरीफ 2011, रबी 2011-12; खरीफ 2012, रबी 2012-13, खरीफ 2013 तथा रबी 2013-14	6	84 से 136
5.	गुजरात	एनएआई एस	खरीफ 2011, रबी 2011-12, खरीफ 2012, रबी 2012-13, खरीफ 2013, रबी 2013-14, खरीफ 2014, रबी 2014-15, खरीफ 2015 तथा रबी 2015-16	10	17 से 101
		एमएनए आईएस	खरीफ 2011, रबी 2011-12 तथा खरीफ 2012.	3	17 से 59
6.	महाराष्ट्र	एनएआई एस	खरीफ 2011, रबी 2011-12, खरीफ 2012, रबी 2012-13, खरीफ 2013, खरीफ 2014, रबी 2014-15, खरीफ 2015 तथा रबी 2015-16	9	5 से 77
		एमएनए आईएस	खरीफ 2011 तथा रबी 2011-12	2	48 से 70

		डब्ल्यूबी सीआईएस	रबी 2011-12, खरीफ 2012, खरीफ 2013, रबी 2013-14, खरीफ 2014, रबी 2014-15, खरीफ 2015 तथा रबी 2015-16	8	13 से 70
7.	ओड़िशा	एनएआई एस	खरीफ 2011, रबी 2011-12, खरीफ 2012, रबी 2012-13, खरीफ 2013, खरीफ 2014, रबी 2014-15, खरीफ 2015 तथा रबी 2015-16	9	54 से 92
		एमएनए आईएस	रबी 2011-12, रबी 2012-13, खरीफ 2013, रबी 2013-14	4	59 से 84
		डब्ल्यूबी सीआईएस	खरीफ 2011 तथा खरीफ 2012	2	92 से 106
8.	राजस्थान	एमएनए आईएस	रबी 2011-12, खरीफ 2012, रबी 2012-13, खरीफ 2013, रबी 2013-14, खरीफ 2014 तथा रबी 2014-15	7	70 से 98
		डब्ल्यूबी सीआईएस	खरीफ 2011, रबी 2011-12, खरीफ 2012, रबी 2012-13, खरीफ 2013, रबी 2013-14, खरीफ 2014, रबी 2014-15, खरीफ 2015 तथा रबी 2015-16.	10	34 से 111
9.	तेलंगाना	एनएआई एस	खरीफ 2014, खरीफ 2015 तथा रबी 2015-16	3	40 से 132
		एमएनए आईएस	रबी 2014-15 तथा रबी 2015-16	2	40 से 78
		डब्ल्यूबी सीआईएस	खरीफ 2014, रबी 2014-15, खरीफ 2015 तथा रबी 2015-16	4	40 से 76

अनुबंध-VI
(पैराग्राफ 3.7 का संदर्भ)

फसल कटाई प्रयोगों के संचालन में विसंगतियां

राज्य	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
आंध्र प्रदेश	राज्य सरकार ने 2011-12 से 2015-16 तक प्रतिबंधित बुवाई (जहाँ बुवाई नहीं किया जा सका था) वाले क्षेत्रों के आंकड़े का संग्रह नहीं किया था क्योंकि निदेशक आर्थिक एवं सांख्यिकी से मुख्य परियोजना अधिकारी (सीपीओ) को विशिष्ट आदेश नहीं था। ऐसे आंकड़ों की अनुपस्थिति में, आईए के लिए ऐसे मामलों में दावों की सीमा तय करना संभव नहीं था।
असम	2011-12 से 2015-16 की अवधि के दौरान, राज्य सरकार ने 32,739 सीसीई का संचालन किया (योजनाबद्ध 39,514 सीसीई के प्रति), परिणामस्वरूप कर्मचारी के अभाव के कारण 6,775 सीसीई (17 *प्रतिशत*) की कमी रही। लेकिन सीसीई संचालन में यह कमी एवाई गणना को प्रभावित करने हेतु बाध्य है तथा तद्नुसार किसानों को देय दावों के परिमाण को प्रभावित कर सका।
गुजरात	2011-12 से 2015-16 मौसम के लिए, एआईसी ने क्षतिपूर्ति हेतु 201 तालुकों पर विचार नहीं किया, क्योंकि सीसीई की न्यूनतम संख्या जैसा एनएआईएस के अंतर्गत निधारित है इन तालुकों में संचालित नहीं की गयी थी।
हरियाणा	एमएनएआईएस (खरीफ मौसम 2013) के लिए करनाल, कैथल, जींद तथा रोहतक जिलों के संबंध में सीसीई का कार्य दो अभिकरणों से आउटसोर्स किया गया था, उन्होंने कृषि निदेशालय को सूचना प्रस्तुत नहीं की, जो सीसीई के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी हैं। तद्नुसार, यह स्पष्ट नहीं है कि कैसे कृषि निदेशालय ने सीसीई का संचालन उचित तरीके से किया गया था, को सुनिश्चित किया।
महाराष्ट्र	i. राज्य सरकार ने फॉर्म-1 (सीसीई के लिए भूखंडों के अंकन के लिए) तथा फॉर्म-2 (वास्तविक उत्पादन को दर्ज करने के लिए अर्थात् सीमांकित भूखंडों के लिए फसल उपज) निर्धारित किया। लेखापरीक्षा ने पाया कि पुसाड़ तालुका (जिला यावतमल) में अभिलिखित फॉर्म-2 में सीमांकित भूखंडों जहां सीसीई संचालित की गयी थी की पहचान करने का विवरण (सर्वेक्षण सं. इत्यादि,), सीसीई संचालन की तिथि, उत्पादन विवरण इत्यादि शामिल नहीं था। यद्यपि, तालुक कार्यालय के अभिलेखों में ये विवरण शामिल थे। तालुक

	कर्मचारियों ने स्वीकार किया कि विवरण फॉर्म 2 से दर्ज नहीं किए गए थे, लेकिन टेलीफोन पर एकत्रित किए गए थे। इस प्रकार, इस तालुका से संबंधित सीसीई का विवरण संदेहजनक है। ii. जिला कृषि अधिकारियों ने स्वीकार किया कि तीन जिलों (अहमदनगर, बीड़ तथा थाणे) में पर्यवेक्षण कम (2015 के खरीफ मौसम तथा रबी मौसम के लिए 49 *प्रतिशत* से 67 *प्रतिशत* तक) था। तद्नुसार, यह स्पष्ट नहीं है कि कैसे यह सुनिश्चित था कि सीसीई का संचालन उचित तरीके से किया गया था।
ओड़िशा	खरीफ मौसम 2011 के दौरान, ₹289.59 करोड़ की दावा देनदारी के प्रति, जीओआई ने केवल ₹286.83 करोड़ का भुगतान किया क्योंकि सीसीई की अपेक्षित संख्या 106 ग्राम पंचायतों में संचालित नहीं की गयी थी। इसके परिणामस्वरूप, राज्य सरकार ने ₹2.76 करोड़ के जीओआई भाग का भुगतान किया।
तेलंगाना	i. 2011-12 में, किसानों से प्राप्त अभ्यावेदन के आधार पर, लिंगाला मंडल में मानदण्ड के अनुसार पहले ही संचालित की गई सीसीई के अतिरिक्त विशेष सीसीई संचालित की गई थी। विशेष संचालित सीसीई का परिणाम, यद्यपि, कार्यान्वयन अभिकरण द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था तथा किसानों को कोई दावों का भुगतान नहीं किया गया था। यह उदाहरण इन तथ्यों को प्रकाश में लाता है कि सीसीई चयन के लिए निर्धारित मानदण्डों के अनुसार संचालित नहीं की गई थी। ii. राज्य सरकार ने जहाँ 2011-12 से 2015-16 तक प्रतिबंधित बुवाई (जहाँ बुवाई नहीं किया जा सका था) वाले क्षेत्रों के आंकड़े का संग्रह नहीं किया था क्योंकि निदशेक आर्थिक एवं सांख्यिकी से सीपीओ को विशिष्ट आदेश नहीं था। ऐसे आंकड़ों की अनुपस्थिति में, आईए के लिए ऐसे मामलों में दावों की सीमा तय करना संभव नहीं था।

अनुबंध-VII

(पैराग्राफ 3.10.1 का संदर्भ)

विभिन्न फसल मौसमों के अंतर्गत बोया हुआ क्षेत्र तथा बीमित क्षेत्र का राज्य-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य	फसल वर्ष	मौसम/फसल	जिला	बोया हुआ क्षेत्र	बीमित क्षेत्र	अधिक बीमित क्षेत्र
						(हे. में)	
1.	ओडशा	2011-12	खरीफ (धान)	खुर्दा	95,933	1,02,571	6,638
			रबी (धान)	गंजम	10	219	209
				केन्द्रपाड़ा	2,796	3,064	268
				खुर्दा	868	2396	1,528
		2012-13	रबी (धान)	खुर्दा	921	2,165	1,244
		2014-15	रबी (धान)	भद्रक	5,798	9,232	3,434
				खुर्दा	1,372	2,668	1,296
		2015-16	खरीफ (धान)	बोलंगिर	1,90,829	2,14,267	23,438
				रायगड़ा	50,303	51,619	1,316
2.	आंध्र प्रदेश	2012	रबी (मूंगफली)	अनंतपुरम	7,29,695	9,91,293	2,61,598
		2013			7,28,448	9,25,805	1,97,357
		2014			5,65,751	1,34,663	--
		2015			4,27,625	8,95,808	4,27,625
		2012		कडप्पा	64,574	2,37,648	1,73,074
		2013			59,514	2,21,652	1,62,138
		2014			27,342	37,787	10,445
		2015			50,659	1,93,815	1,43,156
3.	तेलंगाना	2014-15	रबी (धान)	निजामाबाद	56,845	79,326	22,481
		2011-12	रबी (धान)	महबूबनगर	51,242	1,31,162	79,920
		2012-13	खरीफ (धान)		96,928	1,11,697	14,769
		2012-13	रबी (धान)		45,099	64,829	19,730
		2014-15	रबी (धान)		49,468	1,70,230	1,20,762
4.	महाराष्ट्र	2015-16	खरीफ	बीड़	51,397	1,11,614	60,217
		2015-16	खरीफ (मूंग)	अमरावती	16,008	16,116	108
							17,32,751

(स्रोत: संबंधित राज्यों के कृषि विभाग)

अनबंध-VIII

(पैराग्राफ 3.11.2 का संदर्भ)

सभी बीमा योजनाओं के अंतर्गत लंबित दावों को दर्शाती विवरण

(₹ लाख में)

मौसम	एनएआईएस			एमएनएआईएस			डब्ल्यूबीसीआईएस		
	सूचित दावे	प्रदत्त दावे	लंबित दावे	सूचित दावे	प्रदत्त दावे	लंबित दावे	सूचित दावे	प्रदत्त दावे	लंबित दावे
खरीफ 2011	1,66,541.78	1,66,541.78	0.00	9,609.97	9,609.97	0.00	42,587.75	42,507.77	79.98
रबी 2011-12	54,337.07	54,237.44	99.63	8,443.56	8,341.01	102.55	75,113.67	66,635.56	8,478.11
कुल	**2,20,878.85**	**2,20,779.22**	**99.63**	**18,053.53**	**17,950.98**	**102.55**	**1,17,701.42**	**1,09,143.33**	**8,558.09**
खरीफ 2012	2,78,699.98	2,78,578.43	121.55	62,324.96	62,289.04	35.92	87,680.53	86,927.72	752.81
रबी 2012-13	2,10,833.53	2,04,134.70	6,698.83	5,346.75	5,322.47	24.28	1,04,382.42	70,626.77	33,755.65
कुल	**4,89,533.51**	**4,82,713.13**	**6,820.38**	**67,671.71**	**67,611.51**	**60.20**	**1,92,062.95**	**1,57,554.49**	**34,508.46**
खरीफ 2013	3,26,167.19	3,09,960.61	16,206.58	85,690.91	81,609.97	4,080.94	1,19,958.66	1,15,739.17	4,219.49
रबी 2013-14	1,04,750.00	1,04,748.00	2.00	54,010.93	52,812.03	1,198.90	81,709.34	72,739.76	8,969.58
कुल	**4,30,917.19**	**4,14,708.61**	**16,208.58**	**1,39,701.84**	**1,34,422.00**	**5,279.84**	**2,01,668.00**	**1,88,478.93**	**13,189.07**
खरीफ 2014	2,94,619.00	2,92,031.00	2,588.00	62,983.79	60,019.94	2,963.85	1,23,775.97	1,21,234.10	2,541.87
रबी 2014-15	1,27,700.00	39,560.00	88,140.00	88,737.95	81,497.54	7,240.41	80,498.31	80,076.15	422.16
कुल	**4,22,319.00**	**3,31,591.00**	**90,728.00**	**1,51,721.74**	**1,41,517.48**	**10,204.26**	**2,04,274.28**	**2,01,310.25**	**2,964.03**
खरीफ 2015	12,77,291.00	6,93,662.00	5,83,629.00	1,09,046.81	1,02,851.15	6,195.66	1,24,204.26	1,23,657.57	546.69
रबी 2015-16	3,516.00	0.00	3,516.00	12,393.16	991.64	11,401.52	63,075.80	22,913.93	40,161.87
कुल	**12,80,807.00**	**6,93,662.00**	**5,87,145.00**	**1,21,439.97**	**1,03,842.79**	**17,597.18**	**1,87,280.06**	**1,46,571.50**	**40,708.56**
कुल योग	**28,44,455.55**	**21,43,453.96**	**7,01,001.59**	**4,98,588.79**	**4,65,344.76**	**33,244.03**	**9,02,986.71**	**8,03,058.50**	**99,928.21**

(स्रोत: कृषि, सहकारिता तथा किसान कल्याण विभाग)

अनुबंध-IX
(पैराग्राफ 3.12 का संदर्भ)

बैंकों/एफआई के निष्पादन में कमियां

क्र.सं.	राज्य	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
1.	गुजरात	*(i)* खरीफ मौसम 2011 से खरीफ मौसम 2015 के दौरान, पाँच जिलों के 10 तालुकों में स्थित 14 बैंक शाखाओं/एफआई ने लाभार्थी किसानों के खातों में ₹57.07 करोड़ के दावों को 1 से लेकर 163 दिनों तक के विलंब के साथ जमा किया जिसके चलते एनएआईएस के अंतर्गत समय पर क्षतिपूर्ति के उद्देश्य को पछाड़ा। *(ii)* लेखापरीक्षा के नमूना-जांच में प्रकट हुआ कि खरीफ मौसम 2011 से खरीफ मौसम 2015 के दौरान, साबरकंठा एवं जामनगर जिला में स्थित साबरकंठा जिला क्रेडिट सहकारी बैंक (दावा राशि: ₹8.66 करोड़) तथा भारतीय स्टेट बैंक (दावा राशि: ₹70.25 करोड़) ने दावा राशियों को लाभार्थी किसानों के खाते में इसके उत्तरवर्ती जमा हेतु 2 से लेकर 72 दिनों तक के विलंब के साथ अपने शाखाओं/पीएसी में प्रेषित किया। *(iii)* चयनित जिलों यथा अमरेली, जूनागढ़, जामनगर, राजकोट तथा साबरकंठा में बैंक शाखाओं/पीएसीएस के जांच में प्रकट हुआ कि किसानों को भुगतान की गयी दावा राशि को पहले उनके लंबित फसल ऋण के प्रति समायोजित किया गया था यद्यपि योजना में यह विशेष उल्लेख नहीं है कि ऐसे समायोजन किया जा सकेगा। *(iv)* जामनगर जिला में रंजीत रोड़ तथा जूनागढ़ में सर्किल चौक में भारतीय स्टेट बैंक (नोडल बैंक शाखाएं) ने अपने संवितरण शाखाओं को रबी मौसम 2012-13 तथा खरीफ मौसम 2015 के लिए दावों के रूप में एआईसी से प्राप्त ₹173.22 करोड़ के प्रति ₹173.15 करोड़ प्रेषित किया। *(v)* 2011-12 से 2015-16 के दौरान, अधिसूचित क्षेत्र/फसल को प्रविष्ट करने में बैंको की ओर से चूकों के चार मामले को संयुक्त सचिव, डीएसी&एफडब्ल्यू की अध्यक्षता में एक समिति के सामने प्रस्तुत किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि यद्यपि एनएआईएस ने बैंकों द्वारा ही

		इस तरह के सभी दावों की प्रतिपूर्ति करने के लिए निर्धारित किया था, समिति ने इस शर्त के साथ ₹36.96 की राशि के दावों के भुगतान की अनुशंसा की (अप्रैल 2011 से मार्च 2014) कि एआईसी/राज्य सरकार भविष्य में ऐसी गलती न करने के लिए बैंकों को एक उचित चेतावनी पत्र जारी करे। ऐसे दावों का वित्तीय भार अंतिम रूप से जीओआई/राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाना था। अतिरिक्त दावों का वित्तीय भार लिए जाने के कारण रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं थे।
2.	हरियाणा	*(i)* तीन जिलों में (करनाल, यमुनानगर तथा रेवाड़ी), चार बीमा कंपनियों (एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, फ्यूचर जनरल इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, एआईसी एवं आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड) ने लेखापरीक्षा को सूचित किया कि उन्होंने 2006 किसानों से संबंधित ₹17.97 लाख के दावों को पाँच बैंकों को जारी कर दिया है लेकिन लेखापरीक्षा द्वारा पूछताछ करने पर, बैंकों ने कहा था कि उन्हें बीमा कंपनियों से कोई राशि प्राप्त नहीं हुई थी। इसके परिणामस्वरूप, लाभार्थी बिना उनकी गलती के लिए क्षतिपूर्ति दावों के लाभ से वंचित रहे। *(ii)* हरियाणा राज्य सहकारी बैंक, करनाल ने 2011-15 के दौरान ऋणी किसानों से बीमा प्रिमियम नहीं काटा इसका परिणाम जिले में ऋणी किसानों की आवृति के अस्वीकार में हुआ। *(iii)* रबी मौसम 2012-13 से खरीफ मौसम 2013 से संबंधित 815 लाभार्थी किसानों के विवरण के अभाव में यमुनानगर जिले के रादौर तथा बिलासपुर प्रखंड एवं करनाल जिले के निलोखरी प्रखंड में चार बैंकों के पास ₹13.44 लाख की राशि अवितरित पडी थी। *(iv)* यमुनानगर जिले के दो प्रखंडों में, आईए (आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड) ने डब्ल्यूबीसीआईएस के अंतर्गत 9,187 लाभार्थी किसानों के संबंध में ₹106.63 लाख की दावा राशि को अवमुक्त किया। यद्यपि, बैंको ने (पीएनबी, केन्द्रीय सहकारी बैंक-बिलासपुर, केन्द्रीय सहकारी बैंक-पाबनी कपलां) ने किसानों को ₹80.01 लाख अवितरित छोड़कर 6,229 किसानों को केवल ₹26.62 लाख जमा किए। *(v)* चार बीमा कंपनियों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार, खरीफ मौसम 2011 से रबी मौसम 2013-14 के दौरान 7,026 किसानों को

		शामिल करते हुए ₹119.84 लाख की दावा राशि को चयनित प्रखंडों में 22 बैंक शाखाओं को अवमुक्त किया गया था, लेकिन इन बैंको द्वारा लाभार्थियों को उनके वितरण से संबंधित विवरण लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करायी गयी थी (सितम्बर 2016)। परिणामस्वरूप, लेखापरीक्षा में यह निर्धारित नहीं किया जा सका कि इन दावों को लाभार्थियों को वास्तविक रूप से भुगतान किया गया है या नहीं। लेखापरीक्षा कॉर्पोरेशन बैंक, इंद्री तथा विजया बैंक, इंद्री का पता नहीं लगा सका जिसे इन बीमा कंपनियों द्वारा क्रमशः ₹31,393 तथा ₹11,528 की बीमा दावा अवमुक्त की गयी थी।
3.	हिमाचल प्रदेश	2011-16 के दौरान, तीन बैंकों (एसबीआई थियोग, एचपी राज्य सहकारी बैंक, थियोग तथा यूको बैंक, कोटखाई) ने योजना में कही गयी सात दिनों के भीतर की अपेक्षा पंद्रह दिनों के बाद संबंधित लाभार्थियों के खाते में राशि जमा की। बैंकों द्वारा इस विलंब के लिए कोई कारण उपलब्ध नहीं कराया गया था।
4.	महाराष्ट्र	*(i)* आईए (एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड) द्वारा डब्ल्यूबीसीआईएस 2014-15 मृग बहार मौसम के लिए बीमा दावों को तीन किसानों के लिए इंकार किया गया था क्योंकि बैंक (अमरावती जिला के मोर्सी तालुका में बैंक ऑफ महाराष्ट्र) ने बीमा प्रस्तावों को प्रस्तुत करते समय गलत राजस्व सर्किल को निर्दिष्ट किया था। आईए ने तीनों किसानों के लिए गए ₹21,060 के बीमा प्रिमियम को वापस नहीं किया था। बैंक के शाखा प्रबंधक ने तथ्यों को स्वीकार किया तथा कहा कि मामले को बीमा कंपनी के साथ उठाया गया था लेकिन उन्होंने इसका जवाब नहीं दिया है। उपरोक्त तीनों मामलों में जीओआई तथा राज्य सरकार प्राप्त सब्सिडी यदि कोई है का विवरण उपलब्ध नहीं था। इसी प्रकार से, जिला अमरावती के लेहगांव तालुका में भारतीय स्टेट बैंक ने चार किसानों (डब्ल्यूबीसीआईएस 2012-13 अम्बिया बहार मौसम के लिए) के संबंध में गलत राजस्व सर्किलों का उल्लेख करते हुए गलत उद्घोषणा प्रस्तुत की जिसके कारण बीमा कंपनियों ने बीमा दावों के भुगतान के लिए इन उद्घोषणाओं पर विचार नहीं किया। शाखा प्रबंधन ने कहा कि इनके नोडल प्वाईंट को संशोधित उद्घोषणा फॉर्म में प्रस्तुत किया गया था लेकिन बीमा लाभों उपलब्ध कराने कि लिए विचार नहीं किया गया था।

		(ii) यावतमल जिला केन्द्रीय सहकारी (वाईडीसीसी) बैंक ने डब्ल्यूबीसीआईएस खरीफ मौसम 2014 के लिए आईए को बीमा प्रस्तावों को प्रस्तुत करते समय नेर तालुका में दो राजस्व सर्किलों (मालखेड एवं मोझर) के संबंध में बीमित क्षेत्र से कम क्षेत्र निर्दिष्ट किया था। बैंक द्वारा दी गयी इस गलत सूचना के परिणामस्वरूप, किसानों ने वास्तविक बीमा दावों से कम ₹1.90 लाख तथा ₹3.52 लाख की राशि प्राप्त की। *(iii)* बीमा दावों की राशि को किसानों के खातों में 49 महीनों तक के विलंब से जमा किया गया था। *(iv)* बीड जिला केन्द्रीय सहकारी (बीडीसीसी) बैंक, नोडल प्वाईंट, ने एनएआईएस (खरीफ मौसम 2014) के अंतर्गत दावों का भुगतान करने के लिए ₹251 करोड़ की राशि प्राप्त की (जून 2015)। यद्यपि, बैंक ने किसानों के खाते को दावा राशि के जमा को प्रमाणित करते हुए यूसी प्रस्तुत किया (अक्तूबर 2015), ₹9.07 लाख की राशि इनके दो शाखाओं (धर्मापुरी एवं पार्ली) में अवितरित पडी थी। इसी प्रकार से, बीडीसीसी, मजलगांव के एक अन्य शाखा (मार्केट यार्ड) ने एनएआईएस (खरीफ मौसम 2015) के अंतर्गत दावों को किसानों के खातों में ₹3.79 करोड़ के जमा को प्रमाणित करते हुए यूसी प्रस्तुत किया (जून 2016) यद्यपि 40 किसानों के संबंध में दावा राशि, अवितरित पड़ी हुई थी।
5.	ओड़िशा	तीन जिलों के छः प्रखंडों के 18 चयनित गांवों में डीसीसीबी द्वारा 2011-12 से 2015-16 के दौरान प्राप्त ₹307.07 करोड़ के बीमा दावों को किसानों के खातों में जमा करने हेतु शाखाओं को प्रेषित करने में 225 दिनों तक का विलंब था। इन शाखाओं ने किसानों के खातों में बीमा दावों को 249 दिनों तक के विलंब के साथ जमा किया।

6.	राजस्थान	*(i)* रबी मौसम 2013-14 के दौरान, अलवर जिला में भारतीय स्टेट बैंक, अजबपुरा ने सितम्बर 2016 तक 918 किसानों के खाते में ₹4.80 लाख के बीमा दावों को जमा नहीं किया यद्यपि आईए (एचडीएफसी एर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड तथा आईसीआईसीआई लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड) ने मई 2015 तक इन दावों को प्रेषित कर दिया था। *(ii)* उदयपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक ने वटी गांव (उदयपुर जिला के बडगांव प्रखंड) के 16 लाभार्थी किसानों के खातों में खरीफ मौसम 2015 के लिए बीमा दावों को जमा नहीं किया है जबकि इसने अपनी सेवा क्षेत्र के अन्य गांवों में दावों को वितरित किया था। *(iii)* उदयपुर जिला के दो किसानों तथा अलवर जिला के पाँच किसानों ने एक से अधिक बैंक से ₹20,192 बीमा दावा प्राप्त किया जो यह दर्शाता है कि ये बैंक यह सुनिश्चित करने में असफल हुए कि इन किसानों ने अन्य बैंकों/एफआई से उसी फसल के लिए ऋण नहीं लिया है। *(iv)* उदयपुर केन्द्रीय सहकारी बैंक, उदयपुर ने दो किसानों को जिनके पास कृषि के लिए कोई भूमि नहीं थी ₹64,000 फसल ऋण वितरित किया। बैंक द्वारा इन किसानों को प्रत्येक को ₹41,200 की क्षतिपूर्ति राशि भी वितरित की। जब यह विसंगति नोटिस में आया, ₹2.22 लाख की राशि ब्याज सहित इन दोनों किसानों से वसूली गईं थी तथा एआईसी को प्रेषित की गई थी।

अनुबंध-X

(पैराग्राफ 4.6 का संदर्भ)

किसानों से सर्वेक्षण/प्रतिक्रिया का विवरण

राज्य	लेखापरीक्षा निष्कर्ष
आंध्र प्रदेश	1,286 किसानों के सर्वेक्षण में (अनंतपुरम में 609 तथा कडप्पा में 677) प्रकट हुआ कि 1,181 ऋणी किसान, 12 गैर-ऋणी किसान तथा 93 बिना बीमा के किसान थे। अधिकांश किसानों (748 किसानों अर्थात् 58 प्रतिशत) के पास बीमा योजना की जानकारी नहीं थी यद्यपि राज्य सरकार द्वारा संचालित जागरूकता अभियान दर्शाता है कि ये अभियान अप्रभावी थे।
असम	चार चयनित जिलों यथा कामरूप (ग्रामीण), नागांव, गोलपारा तथा तिनसुकिया में 630 किसानों के सर्वेक्षण ने प्रकट किया कि सभी ऋणी किसान उनके किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) ऋण के प्रति अनिवार्य रूप से बिमित किए गए थे लेकिन वे अपने फसलों के बिमित किए जाने को लेकर अनभिज्ञ थे। श्रमशक्ति के अभाव तथा ऐसी गतिविधियों के लिए निर्धारित निधियों के न होने के कारण किसी भी बैंक तथा निजी बीमा कंपनियों ने कोई जागरूकता अभियान नहीं चलाया।
गुजरात	तीन जिलों के छः तालुकों के 18 गांवों के 540 किसानों के सर्वेक्षण में यह प्रकट हुआ किः *(i)* सभी साक्षात्कार किए गए किसान जमीन के मालिक थे। *(ii)* हालांकि 2011-16 के दौरान सभी पाँच वर्षों में 265 ऋणी किसानों को फसल बीमा के लिए चुना गया था, 231 ऋणी किसानों ने प्रत्येक वर्ष के लिए अपने फसलों को बीमा के लिए नहीं चुना था यद्यपि यह ऋणी किसानों के लिए अपनी फसलों की बीमा करना अनिवार्य था। 17 ऋणी किसानों सहित 44 किसानों ने पाँच वर्षों में किसी में फसल बीमा नहीं चुना था। *(iii)* 44 किसानों में से, जिन्होंने सभी पाँच वर्षों में फसल बीमा नहीं चुना था, 16 किसान न तो एनएआईएस के बारे में न ही बीमा प्रस्तावों की प्रस्तुतीकरण की निर्धारित तिथियों के बारे में अवगत थे; 7 किसान पूर्व वर्षों में पर्याप्त क्षतिपूर्ति नहीं मिले, 9 प्रिमियम को वहन नहीं कर सके तथा 12 किसानों ने या तो रूचि नहीं ली या बैंक ऋण नहीं लिया था या कोई कारण नहीं बताया था।

	(iv) 231 ऋणी किसानों में से जिन्होंने फसल बीमा नहीं लिया था, 44 किसान पूर्व वर्षों में पर्याप्त क्षतिपूर्ति नहीं प्राप्त करने का दावा किया था; 19 किसानों ने ऑनलाईन आवेदन करने में कठिनाईयों का सामना किया था; 153 किसानों ने अपर्याप्त क्षतिपूर्ति प्राप्त करने तथा ऑनलाईन पोर्टल पर आवेदन करने में कठिनाई का दावा किया था; 7 किसान प्रिमियम को वहन नहीं कर सके, तथा 8 किसानों ने अपने व्यक्तिगत कारणों से रूचि नहीं ली थी। *(v)* साक्षात्कार लिये गये 540 किसानों में से, 523 किसानों को नई योजना पीएमएफबीवाई के बारे में जानकारी थी। इन 523 किसानों में से, 22 किसान नई योजना में भाग लेने के इच्छुक नहीं थे।
हरियाणा	छः प्रखंडों के 540 किसानों के सर्वेक्षण (ऋणी-303 तथा गैर-ऋणी-237) में यह प्रकट हुआ कि 529 किसानों को योजनाओं तथा इन योजनाओं के अंतर्गत आवृत्त फसलों के बारे में जानकारी नहीं थी। केवल 88 किसानों नें नई योजना (पीएमएफबीवाई) में रूचि ली थी।
हिमाचल प्रदेश	चार प्रखंडों में किसानों की 272 संख्या के सर्वेक्षण ने प्रकट किया कि सभी किसानों को जोखिम कवर, प्रिमियम दर, जीओआई तथा राज्य सरकार द्वारा दी गयी प्रिमियम सब्सिडी, प्रस्तावों के प्रस्तुतीकरण के लिए अनिवार्य दस्तावेज, तथा प्रस्तावों की प्रस्तुतीकरण की निर्धारित तिथियों के बारे में जानकारी नहीं थी। यह दर्शाता है कि राज्य सरकार तथा आईए द्वारा किसानों के बीच फसल बीमा योजना की जागरूकता लाने के लिए कोई प्रयास नहीं किया गया था।
महाराष्ट्र	पाँच चयनित जिलों के 10 तालुकों के 30 गांवों के 907 किसानों के सर्वेक्षण में यह प्रकट हुआ कि: (क) 907 किसानों में से, 110 किसान (12.13 प्रतिशत) विभिन्न कारणों से बीमा योजना को चुना नहीं था यथा प्रमियम वहन न कर सकना (37 किसान), बैंको का सहायता से इंकार करना (4 किसान), पूर्व मौकों पर पूर्ण क्षतिपूर्ति प्राप्त नहीं किया जाना (22 किसान), प्रासांगिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं होना (7 किसान), एवं अन्य (40 किसान)। (ख) 797 किसानों में से जिन्होंने बीमा योजनाओं को चुना,

	(i) 497 (62 *प्रतिशत*) को सरकार द्वारा दी जाने वाली सब्सिडी के बारे में जानकारी नहीं थी; *(ii)* 189 किसानों (24 *प्रतिशत*) को योजना के अंतर्गत जोखिम कवरेज की जानकारी नहीं थी; *(iii)* 35 किसान (4 *प्रतिशत*) दावा राशि जो उन्होंने प्राप्त किया था से संतुष्ट नहीं थे; *(iv)* 24 किसान (3 *प्रतिशत*) ने कहा कि जंगली जीवों कारण फसलों कि हानि को भी बीमा योजना के अंतर्गत आवृत्त किया जाना चाहिए; *(v)* 16 किसान (2 *प्रतिशत*) ने कहा कि दावा समय पर प्राप्त नहीं हुआ; *(vi)* 6 किसान (एक *प्रतिशत*) ने ईच्छा व्यक्त की कि कवरेज व्यक्तिगत आधार पर होना चाहिए; *(vii)* 5 किसान (एक *प्रतिशत*) ने कहा कि फसल बीमा के लिए भूमि अभिलेखों पर संयुक्त नाम पर भी विचार होना चाहिए।
राजस्थान	पाँच चयनित जिलों के 30 गांवों में 791 किसानों के सर्वेक्षण में (565 ऋणी तथा 226 गैर-ऋणी) यह प्रकट हुआ कि: क) कुल 791 किसानों में से: i. 31.48 *प्रतिशत* ने कहा कि वे फसल बीमा योजनाओं के बारे में जानते थे। ii. 68.52 *प्रतिशत* ने कहा कि वे फसल बीमा योजनाओं के बारे में नहीं जानते थे। ख) कुल 226 गैर-ऋणी किसानों में से: i. 17.26 *प्रतिशत* ने कहा कि प्रिमियम वहनीय नहीं था। ii. 1.77 *प्रतिशत* ने कहा कि बैंक ने बीमा करने से इंकार कर दिया। iii. 2.65 *प्रतिशत* ने कहा कि वास्तविक दावा प्राप्त नहीं हुआ। iv. 4.87 *प्रतिशत* ने कहा कि उनके पास उचित दस्तावेज नहीं थे। v. 73.45 *प्रतिशत* अन्य कारणों को बताया जैसे जानकारी का अभाव, आवश्यक नहीं आदि।

तेलंगाना	1,027 किसानों के सर्वेक्षण (महबूबनगर में 528 तथा निजामाबाद में 499) में पता चला कि 825 ऋणी, 158 गैर-ऋणी तथा 44 किसान जो बिना बीमा के थे। अधिकाश किसानों (835 किसान अर्थात् 81 *प्रतिशत*) के पास बीमा योजनाओं की जानकारी नहीं थी यद्यपि राज्य सरकार द्वारा संचालित जागरूकता अभियान यह दर्शाता है कि ये अभियान अप्रभावी थे।

पारिभाषिक शब्द और संक्षिप्तीकरणों की शब्दावली	
पारिभाषिक शब्द	**विवरण**
एसीएफ	प्रदत्त ईकाई क्षेत्र हेतु बीमित क्षेत्र द्वारा बुवाई क्षेत्र को विभाजित कर क्षेत्र सुधार घटक प्राप्त किया है तथा दावा राशी कम करने के क्रम में इसका प्रयोग किया गया। परिणामस्वरूप, एक इकाई क्षेत्र में सभी किसानों के दावों समान रूप से कम हो रहे हैं।
प्रतिकूल चयन	प्रतिकूल चयन का अर्थ इस योजना में भाग लेने के लिए चुनिंदा फसलों के कुछ नुकसान रहने के बाद चुनना। अवधि गैर ऋणी किसानों के लिए विशेष रूप से लागू होता है।
एआईसी	भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड
ए एण्ड ओ व्यय	प्रशासन और परिचालन व्यय
एपीएस्डीपीएस	आंध्र प्रदेश राज्य विकास योजना सोसायटी
एड्ब्लूस	स्वचालित मौसम स्टेशन
एवाई	वास्तविक उपज
सीसीई	फसल काटाई प्रयोग- अधिसूचित/निर्दिष्ट क्षेत्रों में फसल की उपज का आकलन करने के लिए प्रयोगों।
सीसीआईएएस	व्यापक फसल बीमा योजना
फसल बीमा	फसल बीमा एक बीमा व्यवस्था है जिनका लक्ष्य किसानों को उनकी फसलों के नुकसान और विनाश के कारण विभिन्न उत्पादन जोखिम के एक परिणाम के रूप में हो रहे वित्तीय घाटे कम करना है।
फसल बीमा पोर्ट्ल	एकल आईटी मंच पर संबंधित हितधारकों (विशेषत: राज्य, बैंकों और बीमा कम्पनियां) के सभी एकीकृत डेटा को डीएसी एवं एफडब्लू द्वारा विकसित किया गया।
डीएसी एण्ड एफ डबलू	कृषि, सहकारिता एवं कृषक कल्याण विभाग
डीसीसीबी	जिला केंद्रीय सहकारी बैंक
डीईएसएपी	आर्थिक, सांख्यिकी एवं योजना विभाग
संवितरण शाखा	बैंक/एफआई की शाखा जो किसानों को फसल ऋण वितरित करती है

डीएलएमसी	जिला स्तरीय मॉनिटरिंग समिति
डीओएच	हॉर्टिकल्चर विभाग
एफआईएस	वित्तीय संस्थान
जीआईसी	भारत की सामान्य बीमा निगम
गिर्दावार सर्किल	कई पटवारी सर्किलों को मिलाकर भूमी राजस्व सर्किल की एक ईकाइ
जीओआई	भारत सरकार
सरकारी संकल्प	प्रत्येक मौसम के शुरुआत में फसल एवं बीमा योजना के अंतर्गत आवृत किये जाने वाले ईकाई क्षेत्रों को अधिसूचित करने के लिये राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना
जीपी	ग्राम पंचायत
एचए	हेक्टेयर
आईए	कार्यान्वयन एजेंसी एक संगठन है, जो फसल बीमा योजना (एनएआईएस के लिये एआईसी और एमएनएआईएस एवं डब्लूबीसीआईएस के लिये एआईसी एवं पैनल में शामिल अन्य निजी बीमा कंपनियों) लागू कर रहा है।
आईयू	बीमा ईकाई
आईएमडी	भारतीय मौसम विभाग
खरीफ मौसम	मानसून के महीनों के दौरान फसलें उगाई गयीं और अक्टूबर और नवंबर में काटा गया जिसमें चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, कपास शामिल हैं।
सीमांत किसान	1 हेक्टेयर तक भूमि रखनेवाले किसान (2.5 एकड़ या कम)
एमएनएआईएएस	संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना
एनएआईएस	राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना
एनसीएमएल	राष्ट्रीय संपार्श्विक प्रबंधन सेवाएं लिमिटेड
एनसीआईपी	राष्ट्रीय कृषि बीमा कार्यक्रम- एमएनएआईएस और डब्लूबीसीआईएस के पायलट योजनाओं को मिलाकर रबी मौसम 2013-14 से डीएसी एण्ड एफडब्लू द्वारा प्रारंभ की गयी पुन:संरचनित योजना
केंद्रीय स्थल	बैंक/एफआई की एक शाखा, जो प्रमंडल/जिला/राज्य के शाखाओं के बदले में आईए निपटान करेगा।

अधिसूचित क्षेत्र	विनिर्दिष्ट बीमा योजनाओं के लिये राज्य सरकारों द्वारा अधिसूचित निरूपित क्षेत्र।
अधिसूचित फसल	राज्य सरकार, प्रत्येक फसल मौसम के शुरुआत में फसलों को निर्दिष्ट बीमा योजना के तहत कवर किये जाने के लिए, सूचित करती है।
पीएसीएस	प्राथमिक कृषि सहकारी संस्था
पीएमएफबीवाई	प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना
पीपीएसड्ब्लूओआर	बिना प्रतिस्थापन के आकार की आनुपातिक संभावना- एक नमूना प्रक्रिया, जिसके तहत एक इकाई की संभावना, चयनित किये जा रहे अंतिम इकाई के आकार के अनुपात में होती है जो बड़े समूहों के लिए एक बड़ा संभावना और छोटे समूहों के लिए एक कम संभावना का चयन दे रही है। इस विधि में, जब एक बार में एक इकाई का चयन किया जाता है उसे जनसंख्या से निकाल दिया जाता है और शेष जनसंख्या से अन्य इकाई का चयन किया जाता है।
प्रीमियम सब्सिडी	किसानों को प्रीमियम में स्वीकार किया गया आर्थिक सहायता भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा समान रूप से साझा किया जाता है। राज्य सरकारों के पास प्रीमियम आर्थिक सहायता के अपने हिस्से से अधिक भुगतान करने का विकल्प है।
प्रतिबंधित बुवाई	पर्याप्त वर्षा या अधिक बारिश नहीं होने या अन्य विपरीत मौसम के कारण किसान एक बीमा इकाई में या तो बुआई या प्रत्यारोपण फसल या फसल के बढाने की स्थिति में नहीं हो सकता है (प्रारंभिक चरण में विफल रहा)।
रबी फसलों	रबी फसलों को सर्दियों के दौरान उगाया जाता है एवं अप्रैल और मई में काटा जाता है, जिसमें गेहूं, जौ, सरसों, आदि शामिल हैं।
आरयूए	संदर्भ इकाई क्षेत्र- डब्लूबीसीआईएस के अंतर्गत बीमाकृत राशि के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित एक निर्धारित क्षेत्र।
आरड्ब्लूएस	संदर्भ मौसम स्टेशन- एक विशेष संदर्भ इकाई क्षेत्र के लिए मौसम आकड़ा प्रदाता
एसएओ	मौसमी कृषिय परिचालन
एससीएसपी	अनुसूचित जातियों की उपयोजना

एससी/एसटी	अनुसूचित जातियाँ/अनुसूचित जनजातियाँ
एसएलसीसीसीआई	फसल बीमा की राज्य स्तरीय समन्वय समिति
छोटे किसान	2 हेक्टेयर तक भूमि रखनेवाले किसान (5 एकड़ या कम).
एसआरएसड्ब्लूओआर	प्रतिस्थापन के बिना सरल यादृच्छिक नमूना- डाटा संग्रह, जिसमें सामान्यत: प्रत्येक पैकेज समान रूप से जनसंख्या में चयनित किया गया है।
टीएओ	तालुका कृषि अधिकारी
टीएसपी	जनजातीय उपयोजना
टीएसयू	तकनीकी सहायता ईकाई
टीवाई	शुरूआती उपज, चावल एवं गेहूँ के मामले में पिछले तीन साल के औसत उपज एवं अन्य फसलों के मामले में पांच साल के औसत उपज के आधार पर कि गई चालू औसत है, जिसे बीमा इकाई में एक फसल के लिए क्षतिपूर्ति के स्तर से गुणा किया जाता हैं।
यूसी	उपयोग प्रमाणपत्र
डब्लूबीसीआईएस	मौसम आधारित फसल बीमा योजना
ड्ब्लूएमओ	विश्व मौसम विज्ञान संगठन

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in